

JOINT COMMITTEE REPORT

ON

HON'BLE NGT ORDER DATED 21.04.2023

IN OA NO.28/2023 (CZ)

IN THE MATTER OF

RAJESH YADAV & ORS.

V/S

NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA & ORS

DATE OF INSPECTION :05.05.2023

Inspection Report

Joint Inspection Report of site situated Bank of River Ganjal, Village – Bhadugaon, Tehsile -Rehatgaon, District - Harda (M.P.) in compliance of the direction issued by Hon'ble NGT in the Original Application No. 28/2023 (Rajesh Yadav & Ors.V/s National Highway Authority of India & Ors)

Hon'ble NGT (CZ), Bhopal vide its order dated 21st April, 2023 in the OA No. 28/2023 "Rajesh Yadav & Ors. V/s National Highway Authority of India & Ors" directed in para 1, 2, 5 and 6 are as under :

- 1. The grievances of the applicant is the illegal mining and digging on the banks of River Ganjal, using the mud/gravel soil and other minerals for construction of National Highway without any permits, destroying the flora and fauna of the region.*
- 2. A substantial issue of environment has been raised.*
- 5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of :-*
 - (i) Collector, Harda, (M.P.).*
 - (ii) One representative from Madhya Pradesh Pollution Control Board.*
- 6. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.*

In compliance of the above directions a committee was constituted for inspection and submission of preliminary report in compliance of the order of NGT dated on 21/04/2023. The site inspection was carried out by four member committee on dated 05/05/2023 and submitted the report to the Collector Harda. The committee comprised of following members:

- ADM
- SDO(Revenue)/SDM Timarni
- SDO Forest Timarni
- District Mining Officer

As per the above committee's report M/s Prakash Asphaltting & Toll Highways (India) Ltd. is doing flatting of the land and transportation of the soil for construction of fourlane road after taking consent from the land owner & permission of District Mining Department. There were not any trees on the inspected land. No excavation was found in river bed area during the inspection. No impact was observed flora-fauna of Ganjal river. Copy of order and Inspection report are enclosed as **Annexure-01**.





Subsequently, the site situated at Banks of River Ganjal, Village – Bhadugaon, District-Harda (M.P.) has been visited on 15/05/2023 by the Joint Committee comprised of the following officers:

1. Shri D.K Singh, Joint Collector, Harda (OIC Mining Department and Representative of Collector Harda).
2. Shri Abhay Saraf, Regional Officer, M.P. Pollution Control Board, Mandideep

Following Officers were also present during inspection :-

1. Shri R.P Kamlesh, District Mining Officer, Harda
2. Dr. Praveen Kothari, Junior Scientist, Regional Office, MPPCB Mandideep
3. Shri Aditya Lange, AE (C), Regional Office, MPPCB Mandideep

All the Joint Committee members assembled at bank of river Ganjal which is located near village – Bhadugaon, Tehsile – Rehatgaon, District Harda. During the joint committee visit, the geographical location, photographs and other relevant information related to the petition were collected and are incorporated in the report.

Factual Observations:

1. GPS location of the bank of river Ganjal, District Harda has been recorded using a mobile-based GPS application. The flow of river is west to east direction. The google map of the site and photographs taken during the inspection are enclosed as **Annexure-02**. The geographical coordinates of bank of river Ganjal Harda are 22.325468 N, 77.34.64272 E and marked on google map.
2. District Mining Department, Harda issued permission to M/s Prakash Asphaltting & Toll Highways (India) Ltd for flattting and transportation of soil on the basis of the application submitted by the farmers (land Owner) of Bhadugaon. The copies of applications, permission granted by Mining Department are enclosed as **Annexure-03**.
3. Near the bank of river Ganjal, digging has been carried out along the river stretch below the surface of bank of the river and made dug holes deeper more than approx 10 to 12 feet at khasra no. 261/1,261/3,261//4 & 261/5. This has lead to erosion of the bank of river Ganjal. Dugged area has mentioned in the google map which is enclosed as **Annexure-04**.
4. The Mining Department Harda has permitted the total area of land 16.386 ha. of farmers for flattting the land and transport the soil. This soil is used by contractor in construction of Indore - Betul National highway No. 47 from Harda to Temagaon section in length of 30 kms four lane road. As per the information provided by

AE

AS

District Mining Department Harda & NHAI Harda the details are as follows :-

S.No.	Details	Quantity of soil (M ³)
1	Proposed quantity of soil as per DPR	3087375.00
2	Quantity of soil utilized till now	2227403.00
3	Quantity of fly ash utilized till now	709972.00
4	Quantity of soil (approx.) to be used excavated from village - Bhadugaon	1270000.00
5	Quantity of soil (approx.) to be used till completion of the project	150000.00

The M/s Prakash Asphaltting & Toll Highways (India) Ltd. has taken the permission for transportation of the soil after excavations from Mining Department Harda till date is 2892000.00 m³ quantity but as of now quantity of excavated soil is 2262000.00 m³ soil in 11.927 ha. out of 16.386 ha. The depth of digging of soil is approx. 25.00 feet out of which approx. 10 to 12 feet after flattening of the land. This adjoining land is about 30 meter away from bank of river Ganjal and may be submerged during the flood in the river. The copies of, information provided by District Mining Department Harda & NHAI Harda are enclosed as **Annexure-05**.


5. As per the information given by the District Mining Department Harda, some of the farmers had taken the permission for same cause at khasra no. 261/5 of area 0.714 Ha and khasra no. 261/3 of area 0.696 hac. in 2017-18. Copies of letters are enclosed as **Annexure-06**.
6. The stone crusher which is set up by M/s Prakash Asphaltting & Toll Highways (India) Ltd. on khasra No 157/12 was found non operational during the inspection and also application of Consent to Establishment for the same was rejected by pollution control board due to non fulfilment of sitting criteria as per the Board guideline (residential area is less than 500 m distance from the site). The site was rejected on dated 26/10/2021. During the inspection no digging was found in adjoining area of river Ganjal near stone crusher plant.
7. As per the State level Environment Impact Assessment Authority Bhopal the road projects are exempted to obtain Environmental clearance for the excavation and utilization of normal soil. Also NHAI submitted the notification of MoEF New Delhi the 22nd August 2013. As per the notification *"In respect of requirement of environmental clearance, the committee has recommended that expansion of National Highway projects up to 100 KM involving additional right of way or land acquisition up to 40mts on existing alignment and 60mts on re-alignment or by-passes may be exempted from the preview of the notification"*. Hence on the basis of the above EC is not required for this project. Copy of orders are enclosed as **Annexure-07**.
8. Dust suppression system like water sprinklers/water spraying arrangements on haul roads to control fugitive emission was not found during the loading and transportation of soil.





Action Taken:-

1. A show cause letter vide dated 24/02/2023 for imposing the penalty as well as environmental compensation for illegal mining of murrum/soil in Bhadugaon (Andherikheda). In this regard M/s Prakash Asphaltting & Toll Highways (India) Ltd has submitted their reply to District Administration Harda. The matter is under process. The matter was taken under cognisance by district administration even before the present petition was filed. Copy of letters are enclosed as **Annexure-08**.
2. District Administration Harda, has issued the direction vide letter dated 09/06/2023 to SDM Timarni and District Mining officer for constant vigil for any illegal mining activities and to take strict action against the violators. Copy of letter is enclosed as **Annexure-09**.
3. District Administration Harda, has issued a letter to M/s Prakash Asphalttings & Toll Highways (India) Ltd. regarding revised permission for transportation of soil. Now validity of permission is up to 25/06/2023 in place of 02/07/2023, keeping in mind the upcoming monsoon season **Annexure-10**.
4. DFO (Territorial) Harda, vide letter No.589, dated 15/06/2023 has been asked to keep constant vigil in the area and take action wherever necessary. DFO has been asked to also submit quarterly reports regarding impact on flora and fauna, if any, to district administration to ensure regular monitoring **Annexure-11**.


(Abhay Saraf)

Regional Officer, MPPCB, Mandideep


(D.K Singh)

Joint Collector, District- Harda

कार्यालय कलेक्टर जिला- हरदा

कक्ष क्रमांक 16, संयुक्त कलेक्टर कार्यालय, भवन

Email Address – dmharda@mp.gov.in

क्रमांक 4920 /विधि/एनजीटी/2023

हरदा, दिनांक 03/05/2023

" आदेश "

उप.पंजीयक राष्ट्रीय हरित अधिकरण मध्यक्षेत्र न्यायपीठ भोपाल के पत्र क्रमांक D.NO./NGT-CZB/2023/40, Bhopal Dated 26/04/2023 के साथ मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण मध्यक्षेत्र न्यायपीठ भोपाल द्वारा Original Application No. 28/2023 (CZ) राजेश यादव एवं अन्य बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य में दिनांक 21/04/2023 को पारित आदेश की प्रति प्रेषित की गई है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त आदेश में निम्नानुसार बिन्दुओं पर जाँच कर जाँच प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया है :-

1. गंजाल नदी के किनारे अवैध खनन और खुदाई बिना किसी परमिट के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु की जा रही है।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु मिट्टी/बजरी और अन्य खनिजों का उपयोग करने से क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों को नष्ट किया जा रहा है।

उक्त तथ्यों की मौके पर जाँच कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन मय वीडियाग्रॉफी-फोटोग्रॉफी तथा स्थल पंचनामा प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

क्रमांक	अधिकारी	समिति में स्थान
1	अपर कलेक्टर, जिला-हरदा	अध्यक्ष
2	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, टिमरनी	सदस्य
3	अनुविभागीय अधिकारी, वन, टिमरनी	सदस्य
4	जिला खनिज अधिकारी, जिला-हरदा	सदस्य सचिव

उपर्युक्त समिति अपना प्रतिवेदन 02 सप्ताह के अंदर अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगी। किसी भी स्थिति में समयसीमा में वृद्धि नहीं की जावेगी।
(कलेक्टर द्वारा आदेशित)

अपर कलेक्टर
जिला-हरदा

हरदा, दिनांक 03/05/2023

पृ.क्रमांक 4921 /विधि/एनजीटी/2023
प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी, जिला-हरदा की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, टिमरनी की ओर पालनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी, वन, टिमरनी की ओर पालनार्थ।
4. जिला खनिज अधिकारी, जिला-हरदा की ओर पालनार्थ।

अपर कलेक्टर
जिला-हरदा

प्राप्त
03.05.23

कार्यालय कलेक्टर जिला- हरदा

कक्ष क्रमांक 16, संयुक्त कलेक्टर कार्यालय भवन

Email Address – dmharda@mp.gov.in

क्रमांक 4943 /विधि/एनजीटी/2023

हरदा, दिनांक 05 /05/2023

प्रति,

1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, टिमरनी
2. अनुविभागीय अधिकारी, वन, टिमरनी
3. जिला खनिज अधिकारी, जिला-हरदा

विषय :- मान. हरित राष्ट्रीय हरित अधिकरण मध्यक्षेत्र न्यायपीठ भोपाल के समक्ष प्रचलित प्रकरण में आवश्यक जाँच बावत् ।

संदर्भ :- कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4920/विधि/एनजीटी/2023, दिनांक 03/05/2023

---0---

विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के माध्यम से उप पंजीयक राष्ट्रीय हरित अधिकरण मध्यक्षेत्र न्यायपीठ भोपाल के पत्र क्रमांक D.NO./NGT-CZB/2023/40, Bhopal Dated 26/04/2023 के साथ मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण मध्यक्षेत्र न्यायपीठ भोपाल द्वारा Original Application No. 28/2023 (CZ) राजेश यादव एवं अन्य बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंध में गठित जाँच दल में आपको सम्मिलित किया गया है।

उक्त जाँच दिनांक 05/05/2023 को नियत की गई है। अतः आप दिनांक 05/05/2023 को प्रातः 11:00 बजे इस कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ताकि संयुक्त जाँच दल द्वारा आवश्यक जाँच/निरीक्षण हेतु आगामी कार्यवाही की जा सके।

05/05/2023
अपर कलेक्टर

जिला-हरदा

प्रति,


कलेक्टर महोदय
जिला-हरदा (म.प्र.)

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) भोपाल प्रकरण क्रमांक-28/2023 (CZ) की याचिका प्रतिवेदन के संबंध में।


संदर्भ:- आपका आदेश क्रमांक 4920/विधि/एनजीटी/2023 हरदा दिनांक 03.05.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आदेश के तारतम्य में लेख है कि ग्राम-भादूगाँव तह. रहटगाँव जिला हरदा के निवासी श्री राजेश यादव एवं अन्य के द्वारा ग्राम- भादूगाँव के गंजाल नदी के किनारे बिना अनुमति के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अवैध उत्खनन किये जाने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु मिट्टी/बजरी और अन्य खनिजों का उपयोग करने से क्षेत्र के वनस्पतियों एवं जीवों को नष्ट किये जाने के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण मध्यक्षेत्र न्यायपीठ भोपाल में याचिका क्रमांक 28/2023 (CZ) प्रस्तुत किया गया है। उक्त याचिका के तारतम्य में मौका जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने संदर्भित आदेश द्वारा जांच समिति का गठन किया गया है। जिसके पालन में अपर कलेक्टर (अध्यक्ष), अ.वि.अ.(रा) टिमरनी (सदस्य) अ.वि.अ.(वन) टिमरनी (सदस्य) एवं खनिज अधिकारी हरदा द्वारा मौके पर पहुँचकर मौका जांच किया गया। जांच के समय भूमिस्वामियों से पूछताछ की गई। भूमिस्वामी मनीष कुमार पिता प्रकाशचंद्र पालीवाल नि.ग्राम भादूगाँव, के भूमि खसरा नं. 261/1 रकबा 0.809 हे., गणेश प्रसाद पुत्र राधेश्याम पालीवाल नि.ग्राम भादूगाँव के खसरा नं. 261/4 रकबा 0.696 हे., पंकज पिता गिरधारीलाल पालीवाल नि.ग्राम भादूगाँव, के खसरा नं. 261/3 रकबा 0.696 हे. एवं श्रीमति रमाबाई पत्नि बिंदु पालीवाल नि.हरदा के खसरा नं. 261/5 रकबा 0.714 हे. पर उपरोक्त भूमिस्वामियों की सहमति के आधार पर निर्माणाधीन फोरलेन सडक के ठेकेदार प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड टोल हाइवेज (इंडिया) प्रा.लिमि. महु जिला इंदौर, हा.मु. भादूगाँव तह. रहटगाँव जिला हरदा द्वारा खनिज विभाग हरदा से परिवहन अनुज्ञा विधिवत प्राप्त की गई है। उपरोक्तानुसार मौके पर उपस्थित भूमि स्वामियों के कथन भी दर्ज किये गये हैं। समस्त भूमिस्वामियों द्वारा अपनी सहमति से उनके स्वामित्व की भूमियों का समतलीकरण कराया जाना पाया गया। समतलीकरण की गई भूमि में कोई भी वृक्ष आदि नहीं थे। नदी क्षेत्र में कोई खनन कार्य नहीं पाया गया। इसलिये वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार के जलीय जीवों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। भूमिस्वामियों के सहमति/कथन/शपथ पत्र अवलोकनार्थ संलग्न हैं।

अतः प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।


सहा.खनि अधिकारी
जिला हरदा(म.प्र.)


अनुविभागीय अधिकारी(वन)
टिमरनी, जिला हरदा


अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
टिमरनी, जिला हरदा


अपर कलेक्टर,
जिला हरदा(म.प्र.)

11/05/23
3.50 PM

पंचनामा

आज दिनांक 05.05.2023 को एक पंचनामा

आसुगांव में पंचनामा करा देने हे कि उक्त गांव के सी
राजेश यादव द्वारा गंगाल नदी के किनारे बिना अनुमति
के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अवैध खनन
किये जाने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु मिट्टी/बफरी
और अन्य खनिजों का उपयोग करने हे क्षेत्र के
वनस्पतियों और जीवों को नष्ट किये जाने के संबंध
में राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेट्रल बैंक भोपाल में
थाचिका क्र. 28/2023 (CZ) प्रस्तुत किया गया है।
उक्त थाचिका के तारतम्य में जिला स्तर पर गठित
पांच दल के अधिकारी अपर कलेक्टर (अध्यक्ष), अनु.
वि. अ. (राजत्व) टिमरनी (सदस्य), अनु. वि. अ. वन
टिमरनी (सदस्य) एवं सहायक अधिकारी हरदा मौके
पर पहुंचे और मौका पांच किया। पांच के सदस्य
श्रीद्वारा किये से प्रस्ताव की गई। सदस्य श्रीद्वारा किये
द्वारा अपनी सहमति से उनके स्वादित्व की वृद्धि को
समतलीकरण कराया गया है। समतलीकरण की गई
श्रीद्वारा कोई भी वृक्ष आदि नहीं थे। नदी क्षेत्र में
कोई खनन कार्य नहीं किया गया है। इसलिए ^{वर्तमान} _{स्थिति}
में किसी प्रकार के जलीय जीवों पर कोई ^{वर्तमान} _{स्थिति}
असर नहीं पड़ा है।

॥ ॐ ॥

(महेश कुमार)
अधिकारी (रा)
Dhruv


अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
टिमरनी, जिला-हरदा

अपर कलेक्टर
जिला हरदा

03
05/05/23
उप बजटिंग अधिकारी
उद्विग्न हरदा


05-23
R. P. Kamlesh
(राजेश प्रसाद कमलेश)
अनु. वि. अ. अधिकारी
जिला हरदा (रा.प्र.)

Photograph of the visit on dated 15.05.2023



Visit of committee member





Dug holes deeper more than approx 10 to 12 feet.



Flow of river Ganjal west to east direction.





Excavation of soil is continuously going on to flattened the land





 GPS Map Camera

Bhadugaon, Madhya Pradesh, India

Bhadugaon, Madhya Pradesh, India

Lat 22.323585°

Long 77.346658°

15/05/23 04:11 PM GMT +05:30



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
(Ministry of Road Transport and Highways)
प.क्रि.इ. - मकान नं. 54-55 (प्रथम तल), अमरलोक कॉलोनी, हरदा (म.प्र.)-461331
P.U.O. Office - H.No. 54-55 (1st Floor) Amarlok Colony Harda (M.P.)-461331

भाराराप्रा/पक्रिई/हरदा/पाथ इंडिया/ह.-बै./पै.-1/खनिज/2021/204

दिनांक 27.01.2021

प्रति,
श्रीमान् कलेक्टर महोदय,
जिला - हरदा (म.प्र.)

विषय: हरदा से टेमागांव (चैनेज कि.मी. 0+000 से कि.मी. 30+000 तक) Existing Ch. 141+750 से 180+500 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच. - 47 हाइवे के अन्तर्गत (भारतमाला परियोजना) में लगने वाली साधारण मिट्टी का ~~उत्खनन~~ कर परिवहन हेतु शासकीय भूमि अस्थाई अनुज्ञा पत्र, कार्य समाप्ति तक की अवधि का प्रदान करने बावत्।

संदर्भ:- संविदाकार मेसर्स पाथ इंडिया का कार्यालय पत्र दिनांक 22.01.2021 (कुल 01 प्रकरण)।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक - 47 के, हरदा-बैतूल खण्ड में पैकेज-1 (हरदा से टेमागांव) के निर्माण कार्य हेतु, शासकीय भूमि की साधारण मिट्टी का उत्खनन कर परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र कार्य समाप्ति तक के लिए परियोजना के संविदाकार मेसर्स पाथ इंडिया लिमिटेड द्वारा पत्र दिनांक 22/01/2021 के माध्यम से, इस कार्यालय की ओर लेख किया गया है। चूंकि ~~उत्खनन~~/परिवहन हेतु अनुमति पत्र जिला खनिज विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है, इस हेतु उक्त प्रकरण इस पत्र के माध्यम से मूलतः संलग्न कर आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

अस्तु श्रीमान् जी से निवेदन है कि, हरदा से टेमागांव (चैनेज कि.मी. 0+000 से कि.मी. 30+000 तक) Existing Ch. 141+750 से 180+500 चारलेन सड़क निर्माण हेतु शासकीय भूमि की साधारण मिट्टी का ~~उत्खनन~~ अनुज्ञा पत्र कार्य समाप्ति की अवधि तक के लिए मेसर्स पाथ इंडिया लिमिटेड को उनके ही उत्तरदायित्व में प्रदान करने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

सधन्यवाद।

संलग्न: 01 नग प्रस्ताव।

भवदीय

(विपिन संगला)
परियोजना निदेशक
भाराराप्रा, पक्रिई-हरदा

मेसर्स पाथ इंडिया लिमिटेड की ओर आपके पत्र दिनांक 22.01.2021 के संबंध में ऑनलाइन जमा करने हेतु।

प्रति

श्रीमान परियोजना निदेशक महोदय

NHAI विभाग हरदा

जिला हरदा (म.प्र.)

दिनांक : 22.01.2021



Site Engr
23/1

विषय :- हरदा से टेमागांव (चैन 0+000 To 30+000/Existing ch. 141+750 to ch. 180+500 चार लेन सड़क निर्माण कार्य हेतु, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH47 हाईवे के अंतर्गत (भारत माला परियोजना) में लगने वाली साधारण मिट्टी का उत्खनन कर परिवहन हेतु शासकीय भूमि की अस्थाई अनुज्ञा पत्र, कार्य समाप्ति की अवधि तक का प्रदान करने बाबत |

संदर्भ : NHAI/HQ/MP/BRTML/Harda-Teinagaon/Pkg-2020 Date/31/07/2020

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है | कि हमारी कम्पनी प्रकाश एस्फाल्टिंग एण्ड टोल हाइवेज (इ.) ली. 76 माल रोड गृह जिला इंदौर (म.प्र.) को संदर्भित पत्र के माध्यम से हरदा से टेमागांव (चैन 0+000 To 30+000/Existing ch. 141+750 to ch. 180+500 कुल 30 कि.मी. तक चार लेन सड़क का उन्नयन / चौड़ीकरण कार्य की अनुमति प्राप्त हुई है। उक्त सड़क निर्माण कार्य के लिए हमें साधारण मिट्टी की 200000 घन मीटर की आवश्यकता है। इसलिए हमें ग्राम भादूगांव की शासकीय भूमि की साधारण मिट्टी का उत्खनन कर परिवहन करने हेतु सड़क निर्माण कार्य समाप्ति तक की अवधि तक अस्थाई अनुज्ञा पत्र प्रदान करने कि कृपा करे।

आवेदीत क्षेत्र एवं गौण खनीज की मात्रा निम्नानुसार है।

अनु क्र.	कृषक का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	तहसील	भूमि सर्वे न.	आवेदित रकबा हेक्टर	आवेदीत सट्टी कि मात्रा
1.	शासकीय	भादूगांव	07	रहटागांव	259/1	5.6780	45000
							घन मीटर
						5.6780	45000 घ. मी.
							टोटल

APP. No - 114
PIN - 1141839

Regd. Off. : 76, Mall Road, MHOW - 453441, Dist. Indore (M.P.)

Ph. : +91-7324-275001, 274616, 400317 ▶ Fax : 400318

e-mail : bath@bathltd.com ▶ Website : www.bathltd.com

यह कि मध्य प्रदेश शासन के राज पत्रक भाग 4(ग)अन्तिम नियम खनिज संसाधन विभाग वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 06/09/2013 के अनुसार शासकीय निर्माण कार्य में लगने वाली साधरण मिट्टी/मुसम पर रायल्टी देय नहीं है ।

यह कि मध्य प्रदेश शासन के राज पत्रक प्राधिकरण लोक सेवा प्रबन्धन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 30/11/2017 के तहत म. प्र. लोक सेवाओं के प्रदान गारयह कि मध्य प्रदेश शासन के गौण खनीज नियम 1996के 68(1)(दो)(4)(3) के पेरा अवसाद के अउसाद केन्द्र सरकार के किसी विभाग का उपक्रम को भी प्रदेश में निर्मित की जाने वाली सड़क निर्माण कार्यों में साधरण मिट्टी तथा मुसम पर रायल्टी से छुट है । इसलिये कम्पनी को साधरण मिट्टी के सत्खनन व परीवहन हेतु अग्रिम रायल्टी राशी जमा करने की आवश्यकता नहीं है । मध्य प्रदेश शासन के गौण खनीज राज पत्रक भाग 4- (ग) अन्तिम नियम खनिज संसाधन विभाग वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 06/09/2013 के अनुसार शासकीय निर्माण कार्य में लगने वाली साधरण मिट्टी मुसम के लिए रायल्टी टी अधिनियम 2010 कं. सन् 2010 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग लाते हुए राज्य सरकार एमद द्वारा खनिज संसाधन विभाग की नवीन सेवाए के लिए विभागीय अधिकारियों को निराकरण के लिए समय सीमा तय की गई है । म. प्र. लोक सेवाए के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत खनिज संसाधन विभाग की सेवाए का राज पत्रक अवलोकनार्थ सलग्न है ।

यह कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर जी के पत्र कं. Do.No 2-3/2020-IAIII Date- 15 July, 2020 के अनुसार तथा भारत शासन के राजपत्रक पर्यावरण वन एवं जनवायु परिवर्तन मंत्रालय कि अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 28/03/2020 के पृष्ठ कमांक 26 के परिशिष्ट - 9 में निर्देशित किया गया है । कि कतिपय मामलों के पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छुट निम्नलिखित मामलो को पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा नहीं होगी अर्थात पृष्ठ कृमांक 27 के पेरा कृमांक 06 पर उल्लेखित किया गया है । कि सड़क एवं पाइपलाइन आदी जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधरण मिट्टी की निकासी निष्कासन या प्रयोग करने पर पर्यावरणीय अनापत्ति की आवश्यकता नहीं होगी । भारत शासन के राजपत्रक अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

सलग्न :-

1. खसरा एवं नक्शा ट्रेस
2. NHAI द्वारा रिस्कृत पत्र कि छाया पत्री
3. कृषक का सहमती पत्र (शपत पत्र)
4. म.प्र. शासन के राज पत्रक दिनांक 06/09/13
5. म.प्र. शासन के राज पत्रक दिनांक 30/11/2017
6. भारत शासन के राज पत्रक दिनांक 28/03/2020



अधिकृत प्रतिनिधि

Regd.Off. : 76, Mall Road, MHOW - 453441, Dist. Indore (M.P.)

Ph. : +91-7324-275001, 274616, 400317 ▶ Fax: 400318

e-mail : path@pathltd.com ▶ Website : www.pathltd.com

4
JH MC - 70241590
76

प्रति,

दिनांक:- 03/02/2023

 श्रीमान कलेक्टर महोदयजी,
 खनिज शाखा, हरदा
 जिला-हरदा (म0प्र0)

विषय:- हरदा - टेमागांव (चैन 0+000 TO 30+000 / Existing ch. 141+750 to ch. 180+500) चार लेन सडक निर्माण कार्य हेतु कृषक निजी भूमि जो की ऊंची-नीची, उबड, खाबड, टीले वाली जमीन को समतलीय करने हेतु साधारण मिट्टी को उठाकर परिवहन हेतु भारत सरकार की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (भारत माला परियोजना) के अन्तर्गत उपयोग हेतु उत्खन्न/परिवहन की अनुज्ञा कार्य समाप्ति तक की अवधि की अनुमति प्रदान करने बाबत।

संदर्भ:- NHAI/HQ/MP/BRTML/Harda-temagaon/Pkg-2020Date:- 31/07/2020

महोदयजी,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड टोल हाइवैज (इण्डिया) लिमि. 76 माल रोड महु जिला-इंदौर (म0प्र0) को संदर्भित पत्र के माध्यम से हरदा-टेमागांव (ch. 0+000 TO 30+000 / Existing ch. 141+750 to ch. 180+500) कुल 30 कि.मी. तक चार लेन सडक का उन्नयन/चौडीकरण कार्य की अनुमति प्राप्त हुई है। उक्त सडक निर्माण कार्य के लिए हमें साधारण मिट्टी (1,00,000 घन मीटर) की आवश्यकता है। इसलिए हमे ग्राम भादूगाँव की कृषक की नीजी भूमि जो कि उबड-खाबड, ऊँची-नीची एवं टीले नुमा जमीन का समतलीकरण करने के दौरान निकलने वाली अतिरिक्त साधारण मिट्टी का उत्खन्न/परिवहन करने हेतु सडक निर्माण कार्य समाप्ती तक की अवधि मे अनुज्ञा पत्र प्रदान करने की कृपा करें।

आवेदित क्षेत्र एवं गौण खनिज की मात्रा निम्नानुसार है:-

अनु. क्र.	कृषक का नाम	ग्राम का नाम	प.ह. नं.	तहसील	भूमि सर्वे नं.	आवेदित रकबा हेक्ट. में	आवेदित मिट्टी की मात्रा
1.	रूपसिंह पिता मंगल उर्फ (सोमजी)	भादूगांव	07	रहटगांव	157/7	1.456	1,00,000घन मीटर
कुल योग						1.456	1,00,000घन मीटर



यह है कि म०प्र० शासन के राज पत्रक प्राधिकरण लोक सेवा प्रबन्धन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा दिनांक 30/11/2017 के तहत म०प्र० लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधिनियम 2010 कं. सन् 2010 की धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा खनिज संसाधन विभाग की नवीन सेवाओं के लिए विभागीय अधिकारियों को निराकरण के लिए समयसीमा तय की गई है। म०प्र० लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा (3) के तहत खनिज संसाधन विभाग की सेवाओं का राज पत्रक अवलोकनार्थ संलग्न है।

संलग्न:-

1. भूमि का खसरा एवं नक्शा की मूल प्रतिलिपि।
2. NHAI द्वारा स्वीकृत पत्र की छायाप्रति।
3. म०प्र० शासन के राज पत्रक दिनांक 30/11/2017 की छायाप्रति।

अधिकृत प्रतिनिधि



प्रति,

दिनांक:- 13/09/2022

श्रीमान कलेक्टर महोदयजी,
खनिज शाखा, हरदा
जिला-हरदा (म0प्र0)

विषय:- हरदा - टेमागांव (चैन 0+000 TO 30+000 / Existing ch. 141+750 to ch. 180+500) चार लेन सडक निर्माण कार्य हेतु कृषक निजी भूमि जो की उची-नीची, उबड, खाबड, टीले वाली जमीन को समतलीय करने हेतु साधारण मिट्टी को उठाकर परिवहन हेतु भारत सरकार की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (भारत माला परियोजना) के अन्तर्गत उपयोग हेतु उत्खन्न/परिवहन की अनुज्ञा कार्य समाप्ति तक की अवधि की अनुमति प्रदान करने बाबत।

संदर्भ:- NHAI/HQ/MP/BRTML/Harda-temagaon/Pkg-2020Date:- 31/07/2020

महोदयजी,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड टोल हाइवैज (इण्डिया) लिमि. 76 माल रोड महु जिला-इंदौर (म0प्र0) को संदर्भित पत्र के माध्यम से हरदा-टेमागांव (ch. 0+000 TO 30+000 / Existing ch. 141+750 to ch. 180+500) कुल 30 कि.मी. तक चार लेन सडक का उन्नयन/चौडीकरण कार्य की अनुमति प्राप्त हुई है। उक्त सडक निर्माण कार्य के लिए हमें साधारण मिट्टी (1,00,000 घन मीटर) की आवश्यकता है। इसलिए हमे ग्राम भादूगाँव की कृषक की निजी भूमि जो कि उबड-खाबड, ऊँची-नीची एवं टीले नुमा जमीन का समतलीकरण करने के दौरान निकलने वाली अतिरिक्त साधारण मिट्टी का उत्खन्न/परिवहन करने हेतु सडक निर्माण कार्य समाप्ती तक की अवधि मे अनुज्ञा पत्र प्रदान करने की कृपा करें।

आवेदित क्षेत्र एवं गौण खनिज की मात्रा निम्नानुसार है:-

अनु. क्र.	कृषक का नाम	ग्राम का नाम	प.ह. नं.	तहसील	भूमि सर्वे नं.	आवेदित रकबा हेक्ट. में	आवेदित मिट्टी की मात्रा
1.	उमकार पिता सददो जाति-कोरकू	भादूगाँव	07	रहटगाँव	157/18	1.6190	1,00,000घन मीटर
कुल योग						1.6190	1,00,000घन मीटर

517
13/09/2022

यह है कि म०प्र० शासन के राज पत्रक प्राधिकरण लोक सेवा प्रबन्धन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा दिनांक 30/11/2017 के तहत म०प्र० लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधिनियम 2010 कं. सन् 2010 की धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा खनिज संसाधन विभाग की नवीन सेवाओं के लिए विभागीय अधिकारियों को निराकरण के लिए समयसीमा तय की गई है। म०प्र० लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा (3) के तहत खनिज संसाधन विभाग की सेवाओं का राज पत्रक अवलोकनार्थ संलग्न है।

संलग्न:-

1. भूमि का खसरा एवं नक्शा की मूल प्रतिलिपि।
2. NHAI द्वारा स्वीकृत पत्र की छायाप्रति।
3. म०प्र० शासन के राज पत्रक दिनांक 30/11/2017 की छायाप्रति।

Prakash
अधिकृत प्रतिनिधि
Prakash Asphaltings & Toll Highways (I) Ltd.

दिनांक: - 29/03/2023

माति,

 श्रीमान कलेक्टर महोदयजी,
 खनिज शाखा, हरदा
 जिला-हरदा (म0प्र0)

विषय:-

हरदा - टेमागांव (चैन 0+000 TO 30+000 / Existing ch. 141+750 to ch. 180+500) चार लेन सडक निर्माण कार्य हेतु कृषको निजी भूमि जो की उची-नीची, उबड, खाबड, टीले वाली जमीन को समतलीय करने हेतु साधारण मिट्टी को उठाकर परिवहन हेतु भारत सरकार की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (भारत माला परियोजना) के अन्तर्गत उपयोग हेतु उत्खन्न कर परिहन अस्थाई अनुज्ञा की कार्य समाप्ति तक की अवधि के लिए प्रदान करने बाबत्।

संदर्भ:-

NHAI/HQ/MP/BRTML/Harda-temagaon/Pkg-2020

Date

31/07/2020

महोदयजी,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड टोल हाइवैज (इण्डिया) लिमि. 76 माल रोड महु जिला-इंदौर (म0प्र0) को संदर्भित पत्र के माध्यम से हरदा-टेमागांव (ch. 0+000 TO 30+000 / Existing ch. 141+750 to ch. 180+500) कुल 30 कि.मी. तक चार लेन सडक का उन्नयन/चौडीकरण कार्य की अनुमति प्राप्त हुई है। उक्त सडक निर्माण कार्य के लिए हमें साधारण मिट्टी (2,00,000 घन मीटर) की आवश्यकता है। इसलिए हमे ग्राम भादूगांव की कृषको की निजी भूमि जो कि उबड-खाबड, उंची-नीची एवं टीले नुमा जमीन का समतलीकरण करने के दौरान निकलने वाली अतिरिक्त साधारण मिट्टी का उत्खन्न कर परिवहन करने हेतु अनुमति प्रदान कर एवं सडक निर्माण कार्य समाप्ती तक की अवधि के अनुसार अनुज्ञा पत्र प्रदान करने की कृपा करें।

आवेदित क्षेत्र एवं गौण खनिज की मात्रा निम्नानुसार है:-


अनु. क्र.	कृषक का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	तहसील	भूमि सर्वे नं.	आवेदित रकबा हेक्ट. में	आवेदित मिट्टी की मात्रा
1.	जितेन्द्र कुमार पिता पन्नालाल जाति-गोंड	भादूगांव	07	रहटगांव	259/81	1.5920	80,000 घन मीटर
2.	शिवकुमार पिता पन्नालाल जाति-गोंड	भादूगांव	07	रहटगांव	259/2	1.5920	80,000 घन मीटर
कुल योग						3.184	1,60,000 घन मीटर

यह है कि म०प्र० शासन के राज पत्रक प्राधिकरण लोक सेवा प्रबन्धन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा दिनांक 30/11/2017 के तहत म०प्र० लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधिनियम 2010 कं. सन् 2010 की धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा खनिज संसाधन विभाग की नवीन सेवाओं के लिए विभागीय अधिकारियों को निराकरण के लिए समयसीमा तय की गई है। म०प्र० लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा (3) के तहत खनिज संसाधन विभाग की सेवाओं का राज पत्रक अवलोकनार्थ संलग्न है।

संलग्न:-

1. भूमि का खसरा एवं नक्शा की मूल प्रतिलिपि।
2. NHAI द्वारा स्वीकृत पत्र की छायाप्रति।
3. म०प्र० शासन के राज पत्रक दिनांक 30/11/2017 की छायाप्रति।

अधिकृत प्रतिनिधि



प्रति,

दिनांक:- 20/01/2022

विषय:-

श्रीमान कलेक्टर महोदयजी,
खनिज शाखा, हरदा
जिला-हरदा (म0प्र0)
हरदा - टेमागांव (चैन 0+000 TO 30+000 / Existing ch. 141+750 to ch. 180+500) चार लेन सडक निर्माण कार्य हेतु कृषक निजी भूमि जो की ऊची-नीची, उबड, खाबड, टीले वाली जमीन को समतलीय करने हेतु साधारण मिट्टी को उठाकर परिवहन हेतु भारत सरकार की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (भारत माला परियोजना) के अन्तर्गत उपयोग हेतु उत्खन्न/परिवहन की अनुज्ञा कार्य समाप्ति तक की अवधि की अनुमति प्रदान करने बाबत।

संदर्भ:-

NHAI/HQ/MP/BRTML/Harda-temagaon/Pkg-2020Date:-
31/07/2020

महोदयजी,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड टोल हाइवेज (इण्डिया) लिमि. 76 माल रोड महु जिला-इंदौर (म0प्र0) को संदर्भित पत्र के माध्यम से हरदा-टेमागांव (ch. 0+000 TO 30+000 / Existing ch. 141+750 to ch. 180+500) कुल 30 कि.मी. तक चार लेन सडक का उन्नयन/चौडीकरण कार्य की अनुमति प्राप्त हुई है। उक्त सडक निर्माण कार्य के लिए हमें साधारण मिट्टी (1,00,000 घन मीटर) की आवश्यकता है। इसलिए हमे ग्राम भादूगाँव की कृषक की निजी भूमि जो कि उबड-खाबड, ऊँची-नीची एवं टीले नुमा जमीन का समतलीकरण करने के दौरान निकलने वाली अतिरिक्त साधारण मिट्टी का उत्खन्न/परिवहन करने हेतु सडक निर्माण कार्य समाप्ति तक की अवधि मे अनुज्ञा पत्र प्रदान करने की कृपा करें।

आवेदित क्षेत्र एवं गौण खनिज की मात्रा निम्नानुसार है:-

अनु. क्र.	कृषक का नाम	ग्राम का नाम	प.ह. नं.	तहसील	भूमि सर्वे नं.	आवेदित रकबा हेक्ट. में	आवेदित मिट्टी की मात्रा
1.	जयसिंह पिता मंगल जाति-गौंड	भादूगाँव	07	रहटगाँव	157/11/2/1	0.8090	1,00,000घन मीटर
कुल योग						0.8090	1,00,000घन मीटर

20/01/2022



यह है कि म0प्र0 शासन के राज पत्रक प्राधिकरण लोक सेवा प्रबन्धन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन नोपाल द्वारा दिनांक 30/11/2017 के तहत म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधिनियम 2010 कं. सन् 2010 की धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा खनिज संसाधन विभाग की नवीन सेवाओं के लिए विभागीय अधिकारियों को निराकरण के लिए समयसीमा तय की गई है। म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा (3) के तहत खनिज संसाधन विभाग की सेवाओं का राज पत्रक अवलोकनार्थ संलग्न है।

संलग्न:-

1. भूमि का खसरा एवं नक्शा की मूल प्रतिलिपि।
2. NHAI द्वारा स्वीकृत पत्र की छायाप्रति।
3. म0प्र0 शासन के राज पत्रक दिनांक 30/11/2017 की छायाप्रति।


अधिकृत प्रतिनिधि



Prakash Asphaltings & Toll Highways (India) Ltd.



ISO 9001 : 2008
Reg. No. : RQ91/310

प्रति,

दिनांक:- 12/04/2021

श्रीमान परियोजना निदेशक महोदयजी
NHAI विभाग, अमरलोक कॉलोनी हरदा,
जिला-हरदा (म0प्र0)

विषय:-

हरदा - टेमागांव (चैन 0+000 TO 30+000/ Existing ch. 141+750 to ch. 180+500) चार लेन सडक निर्माण कार्य हेतु कृषक की उची-नीची, उबड, खाबड, टीले वाली जमीन को समतलीय करने हेतु साधारण मिट्टी को उठाकर परिवहन हेतु भारत सरकार की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (भारत माला परियोजना) के अन्तर्गत उपयोग हेतु उठाकर/परिवहन की अस्थाई अनुज्ञा कार्य समाप्ति तक की अवधि की अनुमति प्रदान करने बाबत।

संदर्भ:-

NHAI/HQ/MP/BRTML/Harda-temagaon/Pkg-2020 Date 31/07/2020

महोदयजी

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड टोल हाइवैज (इण्डिया) लिमि. 76 माल रोड महु जिला-इंदौर (म0प्र0) को संदर्भित पत्र के माध्यम से हरदा-टेमागांव (ch. 0+000 TO 30+000/Existing ch. 141+750 to ch. 180+500) कुल 30 कि.मी. तक चार लेन सडक का उन्नयन/चौडीकरण कार्य की अनुमति प्राप्त हुई है। उक्त सडक निर्माण कार्य के लिए हमें साधारण मिट्टी (100000 घन मीटर) ch. 30+000 TO ch. 25+000 तक की आवश्यकता है। इसलिए हमे ग्राम भादूगांव की कृषक की नीजी भूमी जो कि उबड-खाबड, उंची-नीची एवं टीले नुमा जमीन का समतलीकरण करने के दौरान निकलने वाली अतिरिक्त साधारण मिट्टी को उठाकर/परिवहन करने हेतु सडक निर्माण कार्य समाप्ती तक की अवधि मे अस्थाई अनुज्ञा पत्र प्रदान करने की कृपा करें।

आवेदित क्षेत्र एवं गौण खनिज की मात्रा निम्नानुसार है:-

अनु. क्र.	संयुक्त खाताधारक कृषक का नाम	ग्राम का नाम	प.ह. नं.	तहसील	भूमि सर्वे नं.	आवेदित रकबा हेक्ट. में	आवेदित मिट्टी की मात्रा
1.	क्षमाबाई और पिता नन्दू	भादूगाँव	07	रहटगांव	259/26/2	1.349	14000 घन मीटर
2.	रिंकू बाई और पिता नन्दू	भादूगाँव	07	रहटगांव	259/26/3	1.349	14000 घन मीटर
3.	शकुन बाई और पिता नन्दू	भादूगाँव	07	रहटगांव	259/26/4	1.349	14000 घन मीटर
					कुल	4.047	42000 घनमीटर



Regd.Off. : 76, Mall Road, MHOW - 453441, Dist. Indore (M.P.)
Ph. : +91-7324-275001, 274616, 400317 ▶ Fax : 400318
e-mail : path@pathltd.com ▶ Website : www.pathltd.com



Prakash Asphaltings & Toll Highways (India) Ltd.



CIN: U45203MP1996PLC011034

ISO 9001 : 2008
Reg. No. : RQ91/310

यह है कि म0प्र0 शासन के राज पत्रक प्राधिकरण लोक सेवा प्रबन्धन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा दिनांक 30/11/2017 के तहत म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधिनियम 2010 कं. सन् 2010 की धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा खनिज संसाधन विभाग की नवीन सेवाओं के लिए विभागीय अधिकारियों को निराकरण के लिए समयसीमा तय की गई है। म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा (3) के तहत खनिज संसाधन विभाग की सेवाओं का राज पत्रक अवलोकनार्थ संलग्न है।

संलग्न:-

1. भूमि का खसरा एवं नक्शा की मूल प्रतिलिपि।
2. NHAI द्वारा स्वीकृत पत्र की छायाप्रति।
3. म0प्र0 शासन के राज पत्रक दिनांक 30/11/2017 की छायाप्रति।
- 4.





सहमति-पत्र

दिनांक


मैं नन्दू पिता कुंजी निवासी भादूगांव तहसील- रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) का निवासी होकर यह लिख कर देता हूँ कि मेरे संयुक्त खाते में बराबर की जमीने जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1.	संयुक्त खाता धारक	खसरा नं0	कुल रकबा (हैक्ट0 में)
2.	क्षमाबाई और पिता नन्दू	259 / 26 / 2	1.349
3.	रिंकू बाई और पिता नन्दू	259 / 26 / 3	1.349
4.	शकुन बाई और पिता नन्दू	259 / 26 / 4	1.349
		कुल रकबा	4.047 हैक्ट0

जो पटवारी हल्का नं0 07 में है। जिसमें संयुक्त रूप से मेरी पुत्री क्षमा बाई एवं पुत्री रिंकू बाई एवं पुत्री शकुन बाई संयुक्त खाताधारक है। हम सभी संयुक्त खाताधारक सदस्य अपनी भूमि को समतलीकरण करने हेतु जमीन को नेशनल हाईवे की प्रकाश एस्फाल्टिंग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 76 माल रोड महु जिला-इंदौर (म0प्र0) द्वारा जमीन को समतलीकरण किया जाता है तो मैं नन्दू पिता कुंजी एवं मेरे परिवार के किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है इसलिए मैं उपरोक्त कम्पनी को हम सभी सदस्यों की सहमति पत्र लिख कर दे रहे है। ऐसा कि:-

1. यह है कि हमारे संयुक्त खाता के मालिकाना हक की जमीन ग्राम- भादूगांव पंचायत भादूगांव तहसील रहटगांव जिला-हरदा (म0प्र0) में स्थित भूमि कुल संयुक्त रकबा 4.047 हेक्टेयर है।
2. हमारे मालिकाना हक की जमीन जो कि भूमि जिसका कुल संयुक्त रकबा 4.047 हेक्टेयर है। वह पूरी तरह से उबड-खाबड, ऊँची-नीची एवं टीले में तबदील है। जिसके चलते हम गरीब किसान इस जमीन पर सही तरीके से कृषि उपज (किसानी) नहीं कर पा रहे है। जिसके कारण उचित पैदावार नहीं हो रही है।
3. उक्त जमीन जो टीलानुमा व उबड-खाबड है। उसे हम समतीलीकरण कराना चाहते है। जिसमे इस जमीन पर भरपुर कृषि उपज पैदावार हो सके।
4. उक्त जमीन को मेरे द्वारा समतीलीकरण करने के लिये बहुत मशीनरी खर्च लगेगा जिसमें जे.सी.बी., ट्रैक्टर, पोकलेन आदि का खर्च होगा साथ ही कटिंग मिट्टी को एक जगह एकत्रित करना बहुत ही कठिन कार्य है। उपरोक्त समस्त कार्य के लिये बहुत धनराशि खर्च होगी जो कि हम गरीब किसानों के लिये संभव नहीं हैं। क्योंकि हमारी वर्तमान आर्थिक हालात बहुत खराब है। जैसे-तैसे जिविका चला रहे है।
5. जैसा कि प्रकाश एस्फाल्टिंग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 को भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग (एन.एच.ए.आई.) द्वारा हरदा से टेमागांव फोरलेन सडक निर्माण का ठेका दिया गया है। इसलिये मैं अपनी उबड-खाबड टीले वाली जमीन को समतलीकरण करने के लिये कम्पनी को यह कार्य दे रहा हूँ। समतलीकरण करने के दौरान जो अतिरिक्त मिट्टी टीलो से निकलेगी उसे कम्पनी को चार लेन सडक निर्माण कार्य हेतु उपयोग में ले सकती है। उस पर हम किसानों की किसी भी प्रकार कोई आपत्ति नहीं है।

M.T. Dubey, Notary, Harada
S.W. 11/11/2018



6. यह है कि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 के द्वारा मेरी जमीन की समतलीकरण करने में जो भी मशीनरी खर्च एवं वाहनों का खर्च होगा सम्पूर्ण खर्च कम्पनी वहन करेगी। मैं उसका किराया नहीं दुगा साथ ही समतलीकरण के दौरान निकलने वाली मिट्टी का किसी भी प्रकार का मूल्य कम्पनी से नहीं लूंगा। इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ।
7. हम सभी घर के संयुक्त खाताधारक सदस्य ने हमारी जमीन का समतलीकरण कार्य के लिये घर के सभी सदस्यों की सहमति विचार विमर्श कर यह कार्य करवा रहे हैं। उपरोक्त समतलीकरण कार्य में घर के किसी भी सदस्य की कोई आपत्ति नहीं है एवं हमारी जमीन समतलीकरण के दौरान कम्पनी कर्मचारियों के साथ हम घर जैसा सहयोग करेगे। हम कम्पनी सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार की लड़ाई-झगडा, वाद-विवाद आदि नहीं करेगें।
8. यह है कि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 को श्री मान कलेक्टर महोदय (खनिज शाखा) जिला-हरदा मे अस्थाई अनुज्ञा प्राप्त करने को पूर्ण अधिकार देता हूँ तथा इसके उपरांत भी मेरी कही आवश्यकता हुई तो मे सदा तत्पर रहूंगा कम्पनी के कार्य में मेरी वजह से रुकावट पैदा नहीं होगी।

कम्पनी अधिकृत/ठेकेदार

संयुक्त खाताधारक के हस्ताक्षर/अगूठे का निशान

के हस्ताक्षर



व न व

4. नन्दू पिता कुंजी

सत्यापन

मैं संयुक्त खाताधारक नन्दू पिता कुंजी निवासी भादूगांव तहसील- रहटगांव, जिला-हरदा (M0P0) का होकर पूरे होश हवास में बिना किसी नशे पानी व बगैर दबाब के अपने घर के छोटे बड़े सदस्यों यार दोस्तो तमाम रिश्तेदारों की सहमती लेकर ईश्वर को साक्षी मानकर यह सत्य वचन देता हूँ। कि मेरे द्वारा उपर सभी बिन्दु मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। मैंने कोई भी तथ्य छुपाये नहीं है। पढ कर समझकर आज दिनांक को हस्ताक्षर/अगूठा निशानी किये।

1 गवाए
गोबिन्द सोलंकी

Sworn Before Me

M.L. Dubey, Notary, Harda

हस्ताक्षर/सत्यापनकर्ता

व न व

2 नन्दू पिता कुंजी
निवासी भादूगांव तहसील- रहटगांव, जिला-हरदा (M0P0)

नन्दू पिता कुंजी व न व

मैंने मेरे सत्य वचन को सत्यापन करने के लिये मेरे सत्य वचन हस्ताक्षर किये।

शपथ - पत्र

श्रीमान कलैक्टर महोदय

(खनिज शाखा) जिला हरदा (म.प्र.)



मैं शपथकर्ता श्री क्षमाबाई पुत्री श्री नन्दूजाति कोरकू निवासी भादूगांव तह. रहटगांव जिला हरदा (म.प्र.) का होकर मैं प्रबन्धक प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टौल हाईवैज (इ.) ली. 76 माल रोड महुँ जिला इन्दौर (म.प्र.) के पक्ष में यह शपथ पत्र देता हूँ। ऐसा कि :-

1. यह कि मेरे मालिकी हक्क एवं स्वामित्व की जमीन ग्राम भादूगांव तह. रहटगांव जिला हरदा (म.प्र.) में भूमि सर्वे नं. 259/26/1 रकबा 1.349 हैक्टर है।
2. यह कि मेरे मालिकी हक्क की जमीन जो की भूमि सर्वे नं. 259/26/2 रकबा 1.349 हैक्टर है वह उबड खाबड ऊची नीची टिले नुमा है। जिस कारण कृषि उपज पर्याप्त मात्रा में पैदावार नहीं होती है।
3. यह कि उक्त जमीन जो टिले नुमा है उसे मैं समतलीकरण करना चाहता हूँ। जिससे उसमें कृषिउपज कि भरपूर पैदावार ले सकूँ।
4. यह कि उक्त जमीन को समतलीकरण करने में बहुत धनराशी खर्च होगी उसके लिए JCB मशीन, ट्रैक्टर ट्राली या अन्य वाहनो की जरूरत होगी। तथा कटींग के दौरान निकलने वाली मट्टी को एक जगह इक्ट्ठा (एकत्रीत) करने के लिए जमीन कि जरूरत पड़ेगी तथा इसमें बहुत धन राशी खर्च होगी और वह मेरे पास उपलब्ध नहीं हो सकती क्यों की मेरी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है।
5. यह कि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टौल हाईवैज (इ.) ली. को NHAI विभाग द्वारा हरदा से टेमागांव तक वारलेन सडक निर्माण कार्य का ठेका दिया है। इसलिए मैं अपने खेत को समतलीकरण करने के लिए कम्पनी को यह कार्य दे रहा हूँ। समतलीकरण कार्य के दौरान जो अतिरिक्त मिट्टी निकलेगी वह कम्पनी सडक निर्माण कार्य के उपयोग में ले सकती है। उस पर मुझे कोई आपत्ती नहीं होगी।
6. यह कि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टौल हाईवैज (इ.) ली. के द्वारा मेरी जमीन को समतलीकरण कार्य करने में जो मशीनो तथा वहनो का उपयोग किया जावेगा उनका मैं किराया नहीं दूंगा तथा समतलीकरण कार्य के दौरान निकलने वाली मट्टी का कोई मूल्य नहीं लूंगा।
7. यह कि मेरी जमीन का समतलीकरण कार्य के लिए मैंने अपने घर के सभी सदस्यो कि सहमती लेकर यह कार्य करवा रहा हूँ। इस समतलीकरण कार्य में घर के किसी सदस्य कि कोई आपत्ती नहीं है। तथा जमीन समतलीकरण कार्य के दौरान कम्पनी के कर्मचारीयो के साथ हम घर के सभी सदस्यो हमेशा हर तरह



//2//

का सहयोग करेंगे । कम्पनी के कर्मचारीयो के साथ मेरे घर का कोई सदस्य झगडा आदि नही करेंगे ।

8. यह कि प्रबन्धक प्रकाश एस्फालटींग एण्ड टौल हाईवेज (इ.) ली. को श्री मान कलेक्टर महोदय (खनिज शाखा) जिला हरदा मे अस्थाई अनुज्ञा प्राप्त करने को पूर्ण अधिकार देता हूँ तथा इसके उपरान्त भी मेरी कही आवश्यकता हुई तो मे सदा तत्पर रहूँगा कम्पनी के कार्य मे मेरी वजह से रुकावट पैदा नही होगी ।



हस्ताक्षर शपथकर्ता .




सत्यापन

मैं शपथकर्ता श्री क्षमाबाई पुत्री श्री नन्दू जाति कोरकू निवासी भादुगांव तह. रहटगांव जिला हरदा (म.प्र.) का होकर अपने पूरे होस हवास मे बिना नशे पानी बगैर दबाव के अपने घर के छोटे बडे सदस्यो यार दोस्तो तमाम रिस्तेदारो की सहमती लेकर ईश्वर को साक्षी मानकर यह सत्य वचन देता हूँ । कि मेरे द्वारा ऊपर सभी बिन्दु मेरे ज्ञान के अनुसार सही है मेने कोई तथ्य छुपाये नही हैं । पढ समझकर आज दिनांक को अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किये ।



हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता


K.K. RAJPUT
NOTARY ADVOCATE
TIMARNI DIST. HARDA
7 JUL 2020

शपथ - पत्र

श्रीमान कलैक्टर महोदय

(खनिज शाखा) जिला हरदा (म.प्र.)



मैं शपथकर्ता श्री रिन्कू पिता श्री नन्दू जाति कोरकू निवासी भादुगांव तह. रहटगांव जिला हरदा (म.प्र.) का होकर मैं प्रबन्धक प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टौल हाईवैज (इ.) ली. 76 माल रोड महुँ जिला इन्दौर (म.प्र.) के पक्ष में यह शपथ पत्र देता हूँ। ऐसा कि :-

1. यह कि मेरे मालिकी हक्क एवं स्वामित्व की जमीन ग्राम भादुगांव तह. रहटगांव जिला हरदा (म.प्र.) में भूमि सर्वे नं. 259/26/3 रकबा 1.349 हैक्टर है।
2. यह कि मेरे मालिकी हक्क की जमीन जो की भूमि सर्वे नं. 259/26/3 रकबा 1.349 हैक्टर है वह उबड़ खाबड़ ऊंची नीची टिले नुमा है। जिस कारण कृषि उपज पर्याप्त मात्रा में पैदावार नहीं होती है।
3. यह कि उक्त जमीन जो टिले नुमा है उसे मैं समतलीकरण करना चाहता हूँ। जिससे उसमें कृषिकुपज कि भरपूर पैदावार ले सकूँ।
4. यह कि उक्त जमीन को समतलीकरण करने में बहुत धनराशी खर्च होगी उसके लिए JCB मशीन, टैक्टर ट्राली या अन्य वाहनो की जरूरत होगी। तथा कटौंग के दौरान निकलने वाली मट्टी को एक जगह इक्ठठा (एकत्रीत) करने के लिए जमीन कि जरूरत पड़ेगी तथा इसमें बहुत धन राशी खर्च होगी और वह मेरे पास उपलब्ध नहीं हो सकती क्यो की मेरी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है।
5. यह कि प्रकाश एस्फालटींग एण्ड टौल हाईवैज (इ.) ली. को NHAI विभाग द्वारा हरदा से टेमागांव तक चारलेन सडक निर्माण कार्य का ठेका दिया है। इसलिए मैं अपने खेत को समतलीकरण करने के लिए कम्पनी को यह कार्य दे रहा हूँ। समतलीकरण कार्य के दौरान जो अतिरिक्त मिट्टी निकलेगी वह कम्पनी सडक निर्माण कार्य के उपयोग में ले सकती है। उस पर मुझे कोई आपत्ती नहीं होगी।
6. यह कि प्रकाश एस्फालटींग एण्ड टौल हाईवैज (इ.) ली. के द्वारा मेरी जमीन को समतलीकरण कार्य करने में जो मशीनो तथा वहनो का उपयोग किया जावेगा उनका मैं किराया नहीं दूंगा तथा समतलीकरण कार्य के दौरान निकलने वाली मट्टी का कोई मूल्य नहीं लूंगा।
7. यह कि मेरी जमीन का समतलीकरण कार्य के लिए मैंने अपने घर के सभी सदस्यो कि सहमती लेकर यह कार्य करवा रहा हूँ। इस समतलीकरण कार्य में घर के किसी सदस्य कि कोई आपत्ती नहीं है। तथा जमीन समतलीकरण कार्य के दौरान कम्पनी के कर्मचारीगों के साथ हम घर के सभी सदस्य हमेशा हर तरह

K.K. RAJPUT
NOTARY ADVOCATE
NIMARNI DIST. HARDA
- 7 JUL 2020

//2//

का सहयोग करेंगे । कम्पनी के कर्मचारीयो के साथ मेरे घर का कोई सदस्य झगडा आदि नही करेंगे ।

8. यह कि प्रबन्धक प्रकाश एस्फालटींग एण्ड टौल हाईवैज (इ.) ली. को श्री मान कलेक्टर महोदय (खनिज शाखा) जिला हरदा मे अस्थाई अनुज्ञा प्राप्त करने को पूर्ण अधिकार देता हूँ तथा इसके उपरान्त भी मेरी कही आवश्यकता हुई तो मे सदा तत्पर रहूंगा कम्पनी के कार्य मे मेरी वजह से रुकावट पैदा नही होगी ।



रिंकू
हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं शपथकर्ता श्री रिंकू पुत्री श्री नन्दू जाति कोरकू निवासी भादुगांव तह. रहटगांव जि.जा हरदा (म.प्र.) का होकर अपने पूरे होस हवास मे बिना नशे पानी बगैर दबाव के अपने घर के छोटे बडे सदस्यो यार दोस्तो तमाम रिस्तेदारो की सहमती लेकर ईश्वर को साक्षी मानकर यह सत्य वचन देता हूँ । कि मेरे द्वारा ऊपर सभी बिन्दु मेरे ज्ञान के अनुसार सही है मेने कोई तथ्य छुपाये नही है । पढ समझकर आज दिनांक को अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किये ।

रिंकू
हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

K.R. RAJPUT
NOTARY ADVOCATE
TIMARNI DIST. BARDA
2020

शपथ - पत्र

श्रीमान कलेक्टर महोदय

(खनिज शाखा) जिला हरदा (म.प्र.)



मैं शपथकर्ता श्री 'शकुनबाई पिता श्री नन्दू जाति कोरकू निवासी भादूगांव तह. रहटगांव जिला हरदा (म.प्र.) का होकर मैं प्रबन्धक प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टौल हाईवैज (इ.) ली. 76 माल रोड महुँ जिला इन्दौर (म.प्र.) के पक्ष में यह शपथ पत्र देता हूँ। ऐसा कि :-

1. यह कि मेरे मालिकी हक्क एवं स्वामित्व की जमीन ग्राम भादुगांव तह. रहटगांव जिला हरदा (म.प्र.) में भूमि सर्वे नं. 259/26/4 रकबा 1.349 हैक्टर है।
2. यह कि मेरे मालिकी हक्क की जमीन जो की भूमि सर्वे नं. 259/26/4 रकबा 1.349 हैक्टर है वह उबड़ खाबड़ ऊची नीची टिले नुमा है। जिस कारण कृषि उपज पर्याप्त मात्रा में पैदावार नहीं होती है।
3. यह कि उक्त जमीन जो टिले नुमा है उसे में समतलीकरण करना चाहता हूँ। जिससे उसमें कृषिउपज में भरपूर पैदावार ले सकूँ।
4. यह कि उक्त जमीन को समतलीकरण करने में बहुत धनराशी खर्च होगी उसको लिए JCB मशीन, ट्रैक्टर ट्राली या अन्य वाहनो की जरूरत होगी। तथा कटींग के दौरान निकलने वाली मट्टी को एक जगह इकट्ठा (एकत्रीत) करने के लिए जमीन में जरूरत पड़ेगी तथा इसमें बहुत धन राशी खर्च होगी और वह मेरे पास उपलब्ध नहीं हो सकती क्योंकि मेरी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है।
5. यह कि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टौल हाईवैज (इ.) ली. को NHAI विभाग द्वारा हरदा से टेमागांव तक चारलेन सडक निर्माण कार्य का ठेका दिया है। इसलिए मैं अपने खेत को समतलीकरण करने के लिए कम्पनी को यह कार्य करा रहा हूँ। समतलीकरण कार्य के दौरान जो अतिरिक्त मिट्टी निकलेगी वह कम्पनी सडक निर्माण कार्य के उपयोग में ले सकती है। उस पर मुझे कोई आपत्ती नहीं होगी।
6. यह कि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टौल हाईवैज (इ.) ली. के द्वारा मेरी जमीन को समतलीकरण कार्य करने में जो मशीनो तथा वहनो का उपयोग किया जावेगा उनका मैं किराया नहीं दूंगा तथा समतलीकरण कार्य के दौरान निकलने वाली मट्टी का कोई मूल्य नहीं लूंगा।
7. यह कि मेरी जमीन का समतलीकरण कार्य के लिए मैंने अपने घर के सभी सदस्यो कि सहमती लेकर यह कार्य करवा रहा हूँ। इस समतलीकरण कार्य में घर के किसी सदस्य कि कोई आपत्ती नहीं है। तथा जमीन समतलीकरण कार्य

NOTARY
M.P.



//2//

का सहयोग करेंगे । कम्पनी के कर्मचारीयो के साथ मेरे घर का कोई सदस्य झगडा आदि नही करेंगे ।

8. यह कि प्रबन्धक प्रकाश एस्फालटींग एण्ड टौल हाईवेज (इ.) ली. को श्री मान कलेक्टर महोदय (खनिज शाखा) जिला हरदा मे अस्थाई अनुज्ञा प्राप्त करने को पूर्ण अधिकार देता हूँ तथा इसके उपरान्त भी मेरी कही आवश्यकता हुई तो मे सदा तत्पर रहूंगा कम्पनी के कार्य मे मेरी वजह से रुकावट पैदा नही होगी ।



हस्ताक्षर शपथकर्ता
शकुन

सत्यापन

मैं शपथकर्ता श्री 'शकुनबाई पिता श्री नन्दू जाति कोरकू निवासी भादुगांव तह. रहटगांव जिला हरदा (म.प्र.) का होकर अपने पूरे होस हवास मे बिना नशे पानी बगैर दबाव के अपने घर के छोटे बडे सदस्यो यार दोस्तो तमाम रिस्तेदारो का सहमती लेकर ईश्वर को साक्षी मानकर यह सत्य वचन देता हूँ । कि मेरे द्वारा ऊपर सभी बिन्दु मेरे ज्ञान के अनुसार सही है मेने कोई तथ्य छुपाये नही है । पढ समझकर आज दिनांक को अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किये ।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता
शकुन

शकुन
K.R. RAJPUT
NOTARY
TIMARNI DIST. HARDA

7 JUL 2020

शपथ - पत्र


श्रीमान कलैक्टर महोदय

(खनिज शाखा) जिला हरदा (म.प्र.)



मैं शपथकर्ता श्री अमरदास पिता श्री कुन्जी जाति कोरकू निवासी भादूगांव तह. रहटगांव जिला हरदा (म.प्र.) का होकर मैं प्रबन्धक प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टौल हाईवैज (इ.) ली. 76 माल रोड महुँ जिला इन्दौर (म.प्र.) के पक्ष में यह शपथ पत्र देता हूँ। ऐसा कि :-

1. यह कि मेरे मालिकी हक्क एवं स्वामित्व की जमीन ग्राम भादुगांव तह. रहटगांव जिला हरदा (म.प्र.) में भूमि सर्वे नं. 259/13/1 रकबा 1.482 हैक्टर है।
2. यह कि मेरे मालिकी हक्क की जमीन जो की भूमि सर्वे नं. 259/13/1 रकबा 1.482 हैक्टर है वह उबड खाबड ऊची नीची टिले नुमा है। जिस कारण कृषि उपज पर्याप्त मात्रा में पैदावार नहीं होती है।
3. यह कि उक्त जमीन जो टिले नुमा है उसे मे समतलीकरण करना चाहता हूँ। जिससे उसमें कृषिउपज कि, भरपूर पैदावार ले सकूँ।
4. यह कि उक्त जमीन को समतलीकरण करने में बहुत धनराशी खर्च होगी उसमें लिए JCB मशीन, टैक्टर ट्राली या अन्य वाहनो की जरूरत होगी। तथा कटींग के दौरान निकलने वाली मट्टी को एक जगह इक्ठठा (एकत्रीत) करने के लिए जमीन कि जरूरत पड़ेगी तथा इसमें बहुत धन राशी खर्च होगी और वह मेरे पास उपलब्ध नहीं हो सकती क्यों की मेरी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है।
5. यह कि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टौल हाईवैज (इ.) ली. को NHAI विभाग द्वारा हरदा से टेमागांव तक चारलेन सडक निर्माण कार्य का ठेका दिया है। इसलिए मे अपने खेत को समतलीकरण करने के लिए कम्पनी को यह कार्य दे रहा हूँ। समतलीकरण कार्य के दौरान जो अतिरिक्त मिट्टी निकलेगी वह कम्पनी सडक निर्माण कार्य के उपयोग में ले सकती है। उस पर मुझे कोई आपत्ती नहीं होगी।
6. यह कि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टौल हाईवैज (इ.) ली. के द्वारा मेरी जमीन को समतलीकरण कार्य करने में जो मशीनो तथा वहनो का उपयोग किया जावेगा उनका मे किराया नहीं दूंगा तथा समतलीकरण कार्य के दौरान निकलाने वाली मट्टी का कोई मूल्य नहीं लूंगा।
7. यह कि मेरी जमीन का समतलीकरण कार्य के लिए मेने अपने घर के सभी सदस्यो कि सहमती लेकर यह कार्य करवा रहा हूँ। इस समतलीकरण कार्य में घर के किसी सदस्य कि कोई आपत्ती नहीं है। तथा जमीन समतलीकरण कार्य के दौरान कम्पनी के कर्मचारियों के साथ हम घर के सभी सदस्य हमेशा का साथ



//2//

का सहयोग करेंगे । कम्पनी के कर्मचारीयो के साथ मेरे घर का कोई सदस्य झगडा आदि नही करेंगे ।

8. यह कि प्रबन्धक प्रकाश एस्फालटींग एण्ड टौल हाईवेज (इ.) ली. को श्री मान कलेक्टर महोदय (खनिज शाखा) जिला हरदा मे अस्थाई अनुज्ञा प्राप्त करने को पूर्ण अधिकार देता हूँ तथा इसके उपरान्त भी मेरी कही आवश्यकता हुई तो मे सदा तत्पर रहूँगा कम्पनी के कार्य मे मेरी वजह से रुकावट पैदा नही होगी ।



अमरदास
हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं शपथकर्ता श्री अमरदास पिता श्री कुन्जी जाति कोरकू निवासी भादुगांव तह. रहटगांव जिला हरदा (म.प्र.) का होकर अपने पूरे होस हवास मे बिना नशे पानी बगैर दबाव के अपने घर के छोटे बड़े सदस्यों यार दोस्तो तमाम रिस्तेदारो की सहमती लेकर ईश्वर को साक्षी मानकर यह सत्य वचन देता हूँ । कि मेरे द्वारा ऊपर सभी बिन्दु मेरे ज्ञान के अनुसार सही है मेने कोई तथ्य छुपाये नही है । पढ समझकर आज दिनांक को अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किये ।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता


अमरदास

K.K. RAJPUT
NOTARY ADVOCATE
TIMARNI DIST. HARDA
- 7 JUL 2020

शपथ - पत्र

श्रीमान कलेक्टर महोदय

(खनिज शाखा) जिला हरदा (म.प्र.)



मैं शपथकर्ता श्री इमरतलाल पिता श्री कुन्जी जाति कोरकू निवासी भादूगांव तह. रहटगांव जिला हरदा (म.प्र.) का होकर मैं प्रबन्धक प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टौल हाईवैज (इ.) ली. 76 माल रोड महुँ जिला इन्दौर (म.प्र.) के पक्ष में यह शपथ पत्र देता हूँ। ऐसा कि :-

1. यह कि मेरे मालिकी हक्क एवं स्वामित्व की जमीन ग्राम भादूगांव तह. रहटगांव जिला हरदा (म.प्र.) में भूमि सर्वे नं. 259/49259/13/2 रकबा 1.482 हैक्टर है।
2. यह कि मेरे मालिकी हक्क की जमीन जो की भूमि सर्वे नं. 259/49259/13/2 रकबा 1.482 हैक्टर है वह उबड़ खाबड़ ऊची नीची टिले नुमा है। जिस कारण कृषि उपज पर्याप्त मात्रा में पैदावार नहीं होती है।
3. यह कि उक्त जमीन जो टिले नुमा है उसे मैं समतलीकरण करना चाहता हूँ। जिससे उसमें कृषिरूपज कि भरपूर पैदावार ले सकूँ।
4. यह कि उक्त जमीन को समतलीकरण करने में बहुत धनराशी खर्च होगी उसमें लिए JCB मशीन, टैक्टर ट्राली या अन्य वाहनो की जरूरत होगी। तथा कटौत के दौरान निकलने वाली मिट्टी को एक जगह इकट्ठा (एकत्रीत) करने के लिए जमीन कि जरूरत पड़ेगी तथा इसमें बहुत धन राशी खर्च होगी और वह मेरे पास उपलब्ध नहीं हो सकती क्यो की मेरी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है।
5. यह कि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टौल हाईवैज (इ.) ली. को NHAI विभाग द्वारा हरदा से टेमागांव तक चारलेन सडक निर्माण कार्य का ठेका दिया है। इसलिए मैं अपने खेत को समतलीकरण करने के लिए कम्पनी को यह कार्य दे रहा हूँ। समतलीकरण कार्य के दौरान जो अतिरिक्त मिट्टी निकलेगी वह कम्पनी सडक निर्माण कार्य के उपयोग में ले सकती है। उस पर मुझे कोई आपत्ती नहीं होगी।
6. यह कि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टौल हाईवैज (इ.) ली. के द्वारा मेरी जमीन को समतलीकरण कार्य करने में जो मशीनो तथा वहनो का उपयोग किया जावेगा उनका मैं किराया नहीं दूंगा तथा समतलीकरण कार्य के दौरान निकलने वाली मिट्टी का कोई मूल्य नहीं लूंगा।
7. यह कि मेरी जमीन का समतलीकरण कार्य के लिए मैंने अपने घर के सभी सदस्यो कि सहमती लेकर यह कार्य करवा रहा हूँ। इस समतलीकरण कार्य में

//2//

का सहयोग करेंगे । कम्पनी के कर्मचारीयो के साथ मेरे घर का कोई सदस्य झगडा आदि नही करेंगे ।

8. यह कि प्रबन्धक प्रकाश एस्फालटींग एण्ड टौल हाईवैज (इ.) ली. को श्री मान कलेक्टर महोदय (खनिज शाखा) जिला हरदा : मे अस्थाई अनुज्ञा प्राप्त करने को पूर्ण अधिकार देता हूँ तथा इसके उपरान्त भी मेरी कही आवश्यकता हुई तो मे सदा तत्पर रहूंगा कम्पनी के कार्य मे मेरी वजह से रुकावट पैदा नही होगी ।

रजपूत

हस्ताक्षर शपथकर्ता



सत्यापन

मैं शपथकर्ता श्री इमरतलाल पिता श्री कुन्जी जाति कोरकू निवासी भादुगांव तह. रहटगांव जिला हरदा (म.प्र.) का होकर अपने पूरे होस हवास मे बिना नशे पानी बगैर दबाव के अपने घर के छोटे बडे सदस्यो यार दोस्तो तमाम रिस्तेदारो की सहमती लेकर ईश्वर को साक्षी मानकर यह सत्य वचन देता हूँ । कि मेरे द्वारा ऊपर सभी बिन्दु मेरे ज्ञान के अनुसार सही है मेने कोई तथ्य छुपाये नही हैं । पढ समझकर आज दिनांक को अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी कियें ।

रजपूत

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता


K.R. RAJPOT
NOTARY ADVOCATE
TIMARNI DIST. HARDA

7 JUL 2020

शपथ - पत्र

श्रीमान कलैक्टर महोदय

(खनिज शाखा) जिला हरदा (म.प्र.)



मैं शपथकर्ता श्री नन्दू पिता श्री कुन्जी जाति कोरकू निवासी भादुगांव तह. रहटगांव जिला हरदा (म.प्र.) का होकर मैं प्रबन्धक प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टौल हाईवैज (इ.) ली. 76 माल रोड महुँ जिला इन्दौर (म.प्र.) के पक्ष में यह शपथ पत्र देता हूँ। ऐसा कि :-

1. यह कि मेरे मालिकी हक्क एवं स्वामित्व की जमीन ग्राम भादुगांव तह. रहटगांव जिला हरदा (म.प्र.) में भूमि सर्वे नं. 259/41, 259/13/3 रकबा 1.485 हैक्टर है।
2. यह कि मेरे मालिकी हक्क की जमीन जो की भूमि सर्वे नं. 259/41, 259/13/3 रकबा 1.485 हैक्टर है वह उबड़ खाबड़ ऊची नीची टिले नुमा है। जिस कारण कृषि उपज पर्याप्त मात्रा में पैदावार नहीं होती है।
3. यह कि उक्त जमीन जो टिले नुमा है उसे में समतलीकरण करना चाहता हूँ। जिससे उसमें कृषि उपज कि भरपूर पैदावार ले सकूँ।
4. यह कि उक्त जमीन को समतलीकरण करने में बहुत धनराशी खर्च होगी उसके लिए JCB मशीन, ट्रैक्टर ट्राली या अन्य वाहनो की जरूरत होगी। तथा कटिंग के दौरान निकलने वाली मिट्टी को एक जगह इक्टा (एकत्रीत) करने के लिए जमीन कि जरूरत पड़ेगी तथा इसमें बहुत धन राशी खर्च होगी और वह मेरे पास उपलब्ध नहीं हो सकती क्यो की मेरी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है।
5. यह कि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टौल हाईवैज (इ.) ली. को NHAI विभाग द्वारा हरदा से टेमागांव तक चारलेन सडक निर्माण कार्य का ठेका दिया है। इसलिए मे अपने खेत को समतलीकरण करने के लिए कम्पनी को यह कार्य दे रहा हूँ। समतलीकरण कार्य के दौरान जो अतिरिक्त मिट्टी निकलेगी वह कम्पनी सडक निर्माण कार्य के उपयोग में ले सकती है। उस पर मुझे कोई आपत्ती नहीं होगी।
6. यह कि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टौल हाईवैज (इ.) ली. के द्वारा मेरी जमीन को समतलीकरण कार्य करने में जो मशीनो तथा वहनो का उपयोग किया जावेगा उनका में किराया नहीं दूंगा तथा समतलीकरण कार्य के दौरान निकलने वाली मिट्टी का कोई मूल्य नहीं लूंगा।
7. यह कि मेरी जमीन का समतलीकरण कार्य के लिए मेने अपने घर के सभी सदस्यो कि सहमती लेकर यह कार्य करवा रहा हूँ। इस समतलीकरण कार्य में

Chint
K.K. RAJPUT
NOTARY ADVOCATE
TIMARNI DIST. HARDA

//2//

का सहयोग करेंगे । कम्पनी के कर्मचारियों के साथ मेरे घर का कोई सदस्य झगडा आदि नहीं करेंगे ।

8. यह कि प्रबन्धक प्रकाश एस्फालटींग एण्ड टौल हाईवैज (इ.) ली. को श्री मान कलेक्टर महोदय (खनिज शाखा) जिला हरदा मे अस्थाई अनुज्ञा प्राप्त करने को पूर्ण अधिकार देता हूँ तथा इसके उपरान्त भी मेरी कही आवश्यकता हुई तो मे सदा तत्पर रहूंगा कम्पनी के कार्य मे मेरी वजह से रुकावट पैदा नहीं होगी ।



हस्ताक्षर शपथकर्ता

न नू

सत्यापन

मैं शपथकर्ता श्री नन्दू पिता श्री कुन्जी जाति कोरकू निवासी भादुगांव तह. रहटगांव जिला हरदा (म.प्र.) का होकर अपने पूरे होस हवास मे बिना नशे पानी बगैर दबाव के अपने घर के छोटे बडे सदस्यो यार दोस्तो तमाम रिस्तेदारो की सहमती लेकर ईश्वर को साक्षी मानकर यह सत्य वचन देता हूँ । कि मेरे द्वारा ऊपर सभी बिन्दु मेरे ज्ञान के अनुसार सही है मेने कोई तथ्य छुपाये नहीं है । पढ समझकर आज दिनांक को अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किये ।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

न नू

Original
K.K. RAJPUT
NOTARY ADVOCATE
TIMARNI DIST. HARADA
27 JUL 2020

प्रति,

दिनांक-



श्रीमान कलेक्टर महोदयजी
खनिज शाखा हरदा
जिला-हरदा (म0प्र0)

मैं सहमति कर्ता उमकार पिता सददो जाति-कोरकू निवासी भादूगांव तहसील-रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 का निवासी होकर मैं अपनी स्वामित्व की भूमि को नेशनल हाईवे की कान्ट्रेक्टर कम्पनी प्रबंधक प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 76 माल रोड महुँ जिला-इंदौर (म0प्र0) के पक्ष में यह सहमति पत्र लिख दे रहा हूँ। ऐसा कि :-

1. निवेदन यह है कि मैं कृषक उमकार पिता सददो के स्वामित्व व मालिकाना हक की जमीन ग्राम- भादूगांव, तहसील-रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 में स्थित है। जिसका भूमि सर्वे नं. 157/18 कुल रकवा 1.619 हेक्टेयर है।
2. श्रीमान जी मैं कृषक उमकार पिता सददो के मालिकाना हक की जमीन जो कि भूमि सर्वे नं0 157/18 कुल रकवा 1.619 हेक्टेयर जमीन को समतलीकरण करना है। जो कि पूरी तरह से उबड़-खाबड़, उची-नीची एवं टीले में तबदील है। जिसके चलते मैं गरीब किसान इस जमीन पर सही तरीके से कृषि उपज (किसानी) नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके कारण उचित पैदावार नहीं हो रही है।
3. श्रीमान जी उक्त जमीन जो टीलेनुमा व उबड़-खाबड़ है, उसे मैं समतलीकरण कराना चाहता हूँ। जिससे इस जमीन पर भरपूर कृषि उपज पैदावार ले सकूँ।
4. महोदयजी उक्त जमीन को मेरे द्वारा समतलीकरण करने के लिये बहुत मशीनरी खर्च लगेगा। जिसमें जे.सी.बी., ट्रैक्टर, पोकलेन आदि का खर्च होगा साथ ही कटिंग मिट्टी को एक जगह एकत्रित करना बहुत ही कठिन कार्य है। उपरोक्त समस्त कार्य के लिये बहुत धनराशि खर्च होगी जो कि मुझ गरीब किसान के लिये संभव नहीं हैं। क्योंकि वर्तमान मे मेरी आर्थिक हालात बहुत खराब है। जैसे-तैसे जिविका चला रहा हूँ।
5. जैसा कि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 को भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग (एन.एच.ए.आई.) द्वारा हरदा से टेमागांव चारलेन सडक निर्माण का ठेका दिया गया है। इसलिये मैं अपनी उबड़-खाबड़ टीले वाली जमीन को समतलीकरण करने के लिये उक्त कम्पनी को यह कार्य दे रहा हूँ। समतलीकरण करने के दौरान जो अतिरिक्त मिट्टी टीलो से निकलेगी उसे कम्पनी अपने चारलेन सडक निर्माण कार्य हेतु उपयोग में ले सकती है। उस पर मुझ किसान को किसी भी प्रकार कोई आपत्ति नहीं है।



उमकार

RAJPUT

समतलीकरण करने में जो भी मशीनरी खर्च एवं वाहनों का खर्च होगा सम्पूर्ण खर्च कम्पनी वहन करेगी। मैं उसका किराया नहीं दूंगा साथ ही समतलीकरण के दौरान निकलने वाली मिट्टी का किसी भी प्रकार का मूल्य कम्पनी से नहीं लूंगा। इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ।

7. मैं और मेरे घर के सभी सदस्यो ने अपनी मर्जी से जमीन का समतलीकरण कार्य करवाने के लिये सहमति विचार विमर्श कर यह कार्य करवाने के लिए अनुमति दे रहे हैं। उपरोक्त समतलीकरण कार्य में घर के किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है एवं मेरी जमीन समतलीकरण कार्य के दौरान कम्पनी कर्मचारियों के साथ हम घर जैसा व्यवहार एवं सहयोग करेगे। हम कम्पनी के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार कि लड़ाई-झगडा, बाद-विवाद एवं गाली-गलोच आदि नहीं करेगें। इस बात का पूरा विश्वास दिलाते है।

8. यह है कि प्रबंधक प्रकाश एस्फाल्टिंग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 को श्री मान कलेक्टर महोदय (खनिज शाखा) जिला-हरदा में उत्खनन/परिवहन अनुज्ञा प्राप्त करने को पूर्ण अधिकार देता हूँ तथा इसके उपरांत भी मेरी कही आवश्यकता हुई तो मे सदा तत्पर रहूंगा कम्पनी के कार्य में मेरी वजह से कोई रुकावट पैदा नहीं होगी।

सत्यापन

मैं सहमती कर्ता उमकार पिता सददो निवासी-भादूगांव तहसील- रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 का होकर पूरे होशो हवास में बिना किसी नशे पानी व बगैर दबाव के अपने घर के छोटे बडे सभी सदस्यों, यार दोस्तो एवं तमाम रिश्तेदारों की सहमती लेकर ईश्वर को साक्षी मानकर यह सत्य वचन देता हूँ। कि मेरे द्वारा ऊपर सभी बिन्दु मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। मैंने कोई भी तथ्य छुपाये नहीं है। पढ कर समझकर आज दिनांक को हस्ताक्षर किये।

मैं शपथ गृहिता/निष्पादक को पहचानता हूँ

गवाह : इसने में समक्ष अंगठे किये है.....

हस्ताक्षर/सत्यापनकर्ता

1.



2.

हस्ताक्षर/अधिकृत प्रतिनिधि

उमकार

Sworn Before Me

K.K. RAJPUT NOTARY TIMARNI
13 SEP 2022



K.K. RAJPUT
NOTARY ADVOCATE
TIMARNI, DIST. HARDA

13 SEP 2022

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड	01011512092022016040
ई स्टाम्प राशि (रुपए)	500
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	500
जनपद ड्यूटी (रुपए)	0
छूट दी गई राशि (रुपए)	0
ई स्टाम्प का प्रकार	नगर पालिका ड्यूटी (रुपए)
निर्गमन तिथि एवं समय	उपकर राशि (रुपए)
यूजर आईडी / जारीकर्ता	0
एस पी / एस आर ओ /	नोर न्यायिक
डी आर ओ / एच ओ विवरण	12/09/2022 17:37:51
	Anil Kumar Pagare/SP011542306201500300
	Up Panjeevan Karyalay Timarni टिमरनी हरदा

डोड विवरण

विलेख का प्रकार करार या करार का ज्ञापन
 लिखत (ज) यदि अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया हो.- पांच सौ रुपए,
 उद्देश्य एग्रीमेंट हेतु

पहले पक्ष के विवरण


नाम उमकार उर्फ ओंकार कोरकू पुत्र/पुत्री/पत्नी/द्वारा सदवे कोरकू
 पता निवासी भादगांव तहसील रहटगांव जिला हरदा मध्य प्रदेश भारत
 व्यक्तियों की संख्या 1

दूसरे पक्ष के विवरण

नाम राजेन्द्र कुमार लॉड पुत्र/पुत्री/पत्नी/द्वारा लखनलाल लॉड
 पता निवासी 112 ए महालक्ष्मी नगर बाबे हास्पिटल के पास इन्दौर जिला इंदौर मध्य प्रदेश भारत
 व्यक्तियों की संख्या 1

एग्रीमेंट हेतु

K.K. RAJPUT
 NOTARY ADVOCATE
 TIMARNI, DIST. HARDA
 13 SEP 2022



Anil Kumar Pagare
 उमकार




श्रीमान कलेक्टर महोदयजी
खनिज शाखा हरदा
जिला-हरदा (म0प्र0)

मैं सहमति कर्ता श्रीमति क्षमाबाई पत्नी ईश्वर जाति कोरकू निवासी भादूगांव तहसील-रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 कि निवासी होकर मैं अपनी स्वामित्व की भूमि को नेशनल हाईवे की कान्ट्रेक्टर कम्पनी प्रबंधक प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 76 माल रोड महुँ जिला-इंदौर (म0प्र0) के पक्ष में यह सहमति पत्र लिख दे रही हूँ। ऐसा कि :-

1. निवेदन यह है कि मैं कृषक श्रीमति क्षमाबाई पत्नी ईश्वर के स्वामित्व व मालिकाना हक की जमीन ग्राम- भादूगांव, तहसील-रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 में स्थित है। जिसका भूमि सर्वे नं. 157/19 कुल रकवा 1.6190 हेक्टेयर है।
2. श्रीमान जी मैं कृषक क्षमाबाई पत्नी ईश्वर के मालिकाना हक की जमीन जो कि भूमि सर्वे नं0 157/19 कुल रकवा 1.6190 हेक्टेयर जमीन को समतलीकरण करना है। जो कि पूरी तरह से उबड़-खाबड़, उची-नीची एवं टीले में तबदील है। जिसके चलते मैं गरीब किसान इस जमीन पर सही तरीके से कृषि उपज (किसानी) नहीं कर पा रही हूँ। जिसके कारण उचित पैदावार नहीं हो रही है।
3. श्रीमान जी उक्त जमीन जो टीलेनुमा व उबड़-खाबड़ है, उसे मैं समतलीकरण कराना चाहती हूँ। जिससे इस जमीन पर भरपूर कृषि उपज पैदावार ले सकूँ।
4. महोदयजी उक्त जमीन को मेरे द्वारा समतलीकरण करने के लिये बहुत मशीनरी खर्च लगेगा। जिसमें जे.सी.बी., ट्रेक्टर, पोकलेन आदि का खर्च होगा साथ ही कटिंग मिट्टी को एक जगह एकत्रित करना बहुत ही कठिन कार्य है। उपरोक्त समस्त कार्य के लिये बहुत धनराशि खर्च होगी जो कि मुझ गरीब किसान के लिये संभव नहीं है। क्योंकि वर्तमान मे मेरी आर्थिक हालात बहुत खराब है। जैसे-तैसे जिविका चला रही हूँ।
5. जैसा कि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 को भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग (एन.एच.ए.आई.) द्वारा हरदा से टेमागांव चारलेन सडक निर्माण का ठेका दिया गया है। इसलिये मैं अपनी उबड़-खाबड़ टीले वाली जमीन को समतलीकरण करने के लिये उक्त कम्पनी को यह कार्य दे रही हूँ। समतलीकरण करने के दौरान जो अतिरिक्त मिट्टी टीलो से निकलेगी उसे कम्पनी अपने चारलेन सडक निर्माण कार्य हेतु उपयोग में ले सकती है। उस पर मुझ किसान को किसी भी प्रकार कोई आपत्ति नहीं है।


क्षमाबाई



Signed Before me

RAVINDRA KUMAR JAIN
Advocate
Harada (M.P.) India
9/12/22

6. यह है कि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 के द्वारा मेरी जमीन को समतलीकरण करने में जो भी मशीनरी खर्च एवं वाहनों का खर्च होगा सम्पूर्ण खर्च कम्पनी वहन करेगी। मैं उसका किराया नहीं दूंगी साथ ही समतलीकरण के दौरान निकलने वाली मिट्टी का किसी भी प्रकार का मूल्य कम्पनी से नहीं लूंगी। इसका मैं विश्वास दिलाती हूँ।

7. मैं और मेरे घर के सभी सदस्यो ने अपनी मर्जी से जमीन का समतलीकरण कार्य करवाने के लिये सहमति विचार विमर्श कर यह कार्य करवाने के लिए अनुमति दे रहे हैं। उपरोक्त समतलीकरण कार्य में घर के किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है एवं मेरी जमीन समतलीकरण कार्य के दौरान कम्पनी कर्मचारियों के साथ हम घर जैसा व्यवहार एवं सहयोग करेगे। हम कम्पनी के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार कि लडाई-झगडा, बाद-विवाद एवं गाली-गलोच आदि नहीं करेगें। इस बात का पूरा विश्वास दिलाती हूँ।

8. यह है कि प्रबंधक प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 को श्री मान कलेक्टर महोदय (खनिज शाखा) जिला-हरदा में उत्खनन/परिवहन अनुज्ञा प्राप्त करने को पूर्ण अधिकार देती हूँ तथा इसके उपरांत भी मेरी कही आवश्यकता हुई तो मे सदा तत्पर रहूंगी कम्पनी के कार्य में मेरी वजह से कोई रुकावट पैदा नहीं होगी।

सत्यापन

मैं सहमती कर्ता श्रीमति क्षमाबाई पत्नी ईश्वर जाति कोरकू निवासी भादूगांव तहसील-रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 कि होकर पूरे होशो हवास में बिना किसी नशे पानी व बगैर दबाब के अपने घर के छोटे बड़े सभी सदस्यों, यार दोस्तो एवं तमाम रिश्तेदारों की सहमती लेकर ईश्वर को साक्षी मानकर यह सत्य वचन देती हूँ। कि मेरे द्वारा ऊपर सभी बिन्दु मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। मैंने कोई भी तथ्य छुपाये नहीं है। पढ कर समझकर आज दिनांक को हस्ताक्षर किये।

गवाह :-

1. मुकेश मिश्रा पिता रामशिरोमण

निवासी-निमसराय


2. सलीम मंसूरी पिता बाबू खान

मंसूरी निवासी-टिमरनी

हस्ताक्षर/सत्यापनकर्ता

क्षमाबाई पत्नी ईश्वर


हस्ताक्षर/अधिकृत प्रतिनिधि



RAVINDRA KUMAR
Advocate
Harada (M.P.) India

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश



इस स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

इस स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड	01011503122022008549
ई स्टाम्प राशि (रुपए)	500
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	500
जनपद ड्यूटी (रुपए)	0
छूट दी गई राशि (रुपए)	0
ई स्टाम्प का प्रकार	गैर न्यायिक
निर्गमन तिथि एवं समय	03/12/2022 17:31:31
यूजर आईडी / जारीकर्ता	Meenakshi Sharma/SP011542306201500301
एस पी / एस आर ओ /	Up Panjeeyan Karyalay Timarni
डी आर ओ / एच ओ विवरण	तिमरनी हरदा




विलेख का प्रकार कार या करार का ज्ञापन
 लिखत (ज) यदि अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया हो - पांच सौ रूपए
 उद्देश्य करार हेतु

पहले पक्ष के विवरण

नाम क्षमाबाई कारक पुत्र/पुत्री/पत्नी/द्वारा इश्वर कारकू
 पता निवासी मादगांव तहसील रूहटगांव जिला हरदा मध्य प्रदेश भारत
 व्यक्तियों की संख्या 1

दूसरे पक्ष के विवरण

नाम राजेन्द्र कुमार लोड पुत्र/पुत्री/पत्नी/द्वारा लखनलाल लोड
 पता निवासी 112 ए महालक्ष्मी नगर बांबे हासिटी के पास इंदौर जिला इंदौर मध्य प्रदेश भारत
 व्यक्तियों की संख्या 1



Signed Before me
 RAJESH KUMAR JAIN
 Advocate & Notary
 Harda (M.P.) India

Digitally signed by
 MEENAKSHI SHARMA
 Date: 2022.12.03 17:31:47
 IST

जमीन बसतलीकरण सहमति पत्र
 कलेश्वर खनिज शायवा हरदा

सहमति / शपथ पत्र

प्रति,

दिनांक-02/02/2023

श्रीमान कलेक्टर महोदयजी
खनिज शाखा हरदा
जिला-हरदा (म0प्र0)

मैं सहमति कर्ता रूपसिंह पिता मंगल उर्फ (सोमजी) जाति-कोरकू निवासी भादूगांव तहसील-रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 का निवासी होकर मैं अपनी स्वामित्व की भूमि को नेशनल हाईवे की कान्ट्रेक्टर कम्पनी प्रबंधक प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 76 माल रोड महुँ जिला-इंदौर (म0प्र0) के पक्ष में यह सहमति पत्र लिख दे रहा हूँ। ऐसा कि :-

1. निवेदन यहकि मैं कृषक रूपसिंह पिता मंगल उर्फ (सोमजी) के स्वामित्व व मालिकाना हक की जमीन ग्राम- भादूगांव, तहसील-रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 में स्थित है। जिसका भूमि सर्वे नं. 157/7 कुल रकवा 1.456 हेक्टेयर है।

2. श्रीमान जी मैं कृषक रूपसिंह पिता मंगल उर्फ (सोमजी) के मालिकाना हक की जमीन जो कि भूमि सर्वे नं0 157/7 कुल रकवा 1.456 हेक्टेयर जमीन को समतलीकरण करना है। जो कि पूरी तरह से उबड-खाबड, ऊची-नीची एवं टीले में तबदील है। जिसके चलते मैं गरीब किसान इस जमीन पर सही तरीके से कृषि उपज (किसानी) नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके कारण उचित पैदावार नहीं हो रही है।

3. श्रीमान जी उक्त जमीन जो टीलेनुमा व उबड-खाबड है, उसे मैं समतीलीकरण कराना चाहता हूँ। जिससे इस जमीन पर भरपूर कृषि उपज पैदावार ले सकूँ।

4. महोदय जी उक्त जमीन को मेरे द्वारा समतीलीकरण करने के लिये बहुत मशीनरी खर्च लगेगा। जिसमें जे.सी.बी., ट्रेक्टर, पोकलेन आदि का खर्च होगा साथ ही कटिंग मिट्टी को एक जगह एकत्रित करना बहुत ही कठिन कार्य है। उपरोक्त समस्त कार्य के लिये बहुत धनराशि खर्च होगी जो कि मुझ गरीब किसान के लिये संभव नहीं हैं। क्योंकि वर्तमान मे मेरी आर्थिक हालात बहुत खराब है। जैसे-तैसे जिविका चला रहा हूँ।

5. जैसा कि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 को भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग (एन.एच.ए.आई.) द्वारा हरदा से टेमागांव चारलेन सडक निर्माण का ठेका दिया गया है। इसलिये मैं अपनी उबड-खाबड टीले वाली जमीन को समतलीकरण करने के लिये उक्त कम्पनी को यह कार्य दे रहा हूँ। समतलीकरण करने के दौरान जो अतिरिक्त मिट्टी टीलो से निकलेगी उसे कम्पनी अपने चारलेन सडक निर्माण कार्य


Rajpu
Advocate, Timarni
NOTARY
02 JAN 2023

रूपसिंह



हेतु उपयोग में ले सकती है। उस पर मुझ किसान को किसी भी प्रकार कोई आपत्ति नहीं है।

6. यहकि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 के द्वारा मेरी जमीन को समतलीकरण करने में जो भी मशीनरी खर्च एवं वाहनों का खर्च होगा सम्पूर्ण खर्च कम्पनी वहन करेगी। मैं उसका किराया नहीं दूंगा साथ ही समतलीकरण के दौरान निकलने वाली मिट्टी का किसी भी प्रकार का मूल्य कम्पनी से नहीं लूंगा। इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ।

7. मैं और मेरे घर के सभी सदस्यो ने अपनी मर्जी से जमीन का समतलीकरण कार्य करवाने के लिये सहमति विचार विमर्श कर यह कार्य करवाने के लिए अनुमति दे रहे हैं। उपरोक्त समतलीकरण कार्य में घर के किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है एवं मेरी जमीन समतलीकरण कार्य के दौरान कम्पनी कर्मचारियों के साथ हम घर जैसा व्यवहार एवं सहयोग करेगे। हम कम्पनी के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार कि लड़ाई-झगडा, बाद-विवाद एवं गाली-गलोच आदि नहीं करेगें। इस बात का पूरा विश्वास दिलाते है।

यहकि प्रबंधक प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 को श्री मान कलेक्टर महोदय (खनिज शाखा) जिला-हरदा में उत्खनन/परिवहन अनुज्ञा प्राप्त करने को पूर्ण अधिकार देता हूँ तथा इसके उपरांत भी मेरी कही आवश्यकता हुई तो मैं सदा तत्पर रहूंगा कम्पनी के कार्य में मेरी वजह से कोई रुकावट पैदा नहीं होगी।

रूपसिंह
हस्ताक्षर सहमति कर्ता

Sworn Before Me

सत्यापन

K.K. RAJPUT, Notary, Tilmarni
02 JAN 2023

सहमती कर्ता रूपसिंह पिता मंगल उर्फ (सोमजी)निवासी-भादूगांव तहसील-रहेटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 का होकर पूरे होशो हवास में बिना किसी नशे पानी व बगैर दबाब के अपने घर के छोटे बड़े सभी सदस्यों, यार दोस्तो एवं तमाम रिश्तेदारों की सहमती लेकर ईश्वर को साक्षी मानकर यह सत्य वचन देता हूँ। कि मेरे द्वारा ऊपर सभी बिन्दु मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। मैंने कोई भी तथ्य छुपाये नहीं है। पढ कर समझकर आज दिनांक 02/02/23 को हस्ताक्षर किये।


रूपसिंह
हस्ताक्षर/सत्यापनकर्ता

गवाह :- मैं शपथ कृहिता/लिप्यांक को पहचानता हूँ
इसने में समझ/अगठे किये है.....

1. रूपसिंह रूपसिंह
2. रूपसिंह रूपसिंह

K.K. RAJPUT
Advocate, Tilmarni
NOTARY
02 JAN 2023

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड	01011702022023012928
ई स्टाम्प राशि (रुपए)	500
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	500
जनपद ड्यूटी (रुपए)	0
छूट दी गई राशि (रुपए)	0
गैर न्यायिक	
निर्माण तिथि एवं समय	02/02/2023 16:48:11
यूजर आईडी / जारीकर्ता	Meenakshi Sharma/SP011542306201500301
एस पी / एस आर ओ / डी आर ओ / एच ओ विवरण	Up Panjeeyan Karyalay Timarni टिमरनी हरदा

डीड विवरण

विलेख का प्रकार करार या करार का ज्ञापन
लिखत (ज) यदि अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया हो - पांच सौ रुपए.
उद्देश्य एग्रीमेंट हेतु

पहले पक्ष के विवरण

नाम राजेन्द्र कुमार लॉड पुत्र/पुत्री/पत्नी/द्वारा लखनलालजी लॉड
पता निवासी 112 ए महालक्ष्मी नगर बांबे हास्पिटल के सामने इन्दौर इंदौर मध्य प्रदेश भारत
व्यक्तियों की संख्या 1

दूसरे पक्ष के विवरण

संगठन का नाम श्रीमान खनिज अधिकारी महोदय खनिज विभाग हरदा
पता श्रीमान खनिज अधिकारी महोदय खनिज विभाग हरदा जिला हरदा मध्य प्रदेश भारत
व्यक्तियों की संख्या 1


एग्रीमेंट हेतु



Digitally signed by
MEENAKSHI SHARMA
Date: 2023.02.02 16:48:13
IST

K.K. Rajput
K.K. RAJPUT
Advocate, Timarni
NOTARY
02 JAN 2023

रजिस्ट्रीकरण





प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदयजी
खनिज शाखा हरदा
जिला-हरदा (म0प्र0)

- मै सहमति कर्ता जयसिंह पिता मंगल सिंह जाति-गौंड निवासी भादूगांव तहसील-रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 का निवासी होकर मै अपनी स्वामित्व की भूमि को नेशनल हाईवे की कान्ट्रेक्टर कम्पनी प्रबंधक प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 76 माल रोड महुँ जिला-इंदौर (म0प्र0) के पक्ष में यह सहमति पत्र लिख दे रहा हूँ। ऐसा कि :-
1. निवेदन यहकि मै कृषक जयसिंह पिता मंगल सिंह के स्वामित्व व मालिकाना हक की जमीन ग्राम- भादूगांव, तहसील-रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 में स्थित है। जिसका भूमि सर्वे नं. 157/11/2/1 कुल रकवा 0.8090 हेक्टेयर है।
 2. श्रीमान जी मै कृषक जयसिंह पिता मंगल सिंह के मालिकाना हक की जमीन जो कि भूमि सर्वे नं0 157/11/2/1 कुल रकवा 0.8090 हेक्टेयर जमीन को समतलीकरण करना है। जो कि पूरी तरह से उबड़-खाबड़, उची-नीची एवं टीले में तबदील है। जिसके चलते मै गरीब किसान इस जमीन पर सही तरीके से कृषि उपज (किसानी) नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके कारण उचित पैदावार नहीं हो रही है।
 3. श्रीमान जी उक्त जमीन जो टीलेनुमा व उबड़-खाबड़ है, उसे मै समतीलीकरण कराना चाहता हूँ। जिससे इस जमीन पर भरपूर कृषि उपज पैदावार ले सकूँ।
 4. महोदय जी उक्त जमीन को मेरे द्वारा समतीलीकरण करने के लिये बहुत मशीनरी खर्च लगेगा। जिसमें जे.सी.बी., ट्रेक्टर, पोकलेन आदि का खर्च होगा साथ ही कटिंग मिट्टी को एक जगह एकत्रित करना बहुत ही कठिन कार्य है। उपरोक्त समस्त कार्य के लिये बहुत धनराशि खर्च होगी जो कि मुझ गरीब किसान के लिये संभव नहीं हैं। क्योंकि वर्तमान मे मेरी आर्थिक हालात बहुत खराब है। जैसे-तैसे जिविका चला रहा हूँ।
 5. जैसा कि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 को भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग (एन.एच.ए.आई.) द्वारा हरदा से टेमागांव चारलेन सडक निर्माण का ठेका दिया गया है। इसलिये मै अपनी उबड़-खाबड़ टीले वाली जमीन को समतलीकरण करने के लिये उक्त कम्पनी को यह कार्य दे रहा हूँ। समतलीकरण करने के दौरान जो अतिरिक्त मिट्टी टीलो से निकलेगी उसे कम्पनी अपने चारलेन सडक निर्माण कार्य

जयसिंह

Signed Before Me
18-1-2023
VINOD KUMAR SARAF
ADVOCATE & NOTARY
NARDA (M.P.) INDIA

हेतु उपयोग में ले सकती है। उस पर मुझ किसान को किसी भी प्रकार कोई आपत्ति नहीं है।

6. यहकि प्रकाश एस्फाल्टिंग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 के द्वारा मेरी जमीन को समतलीकरण करने में जो भी मशीनरी खर्च एवं वाहनों का खर्च होगा सम्पूर्ण खर्च कम्पनी वहन करेगी। मैं उसका किराया नहीं दूंगा साथ ही समतलीकरण के दौरान निकलने वाली मिट्टी का किसी भी प्रकार का मूल्य कम्पनी से नहीं लूंगा। इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ।

NOTARY
VINOD SARAF
NOTARY ADVOCATE
HARDA (M.P.) INDIA
18-1-2023

NO. 18

7. मैं और मेरे घर के सभी सदस्यों ने अपनी मर्जी से जमीन का समतलीकरण कार्य करने के लिये सहमति विचार विमर्श कर यह कार्य करवाने के लिए अनुमति दे रहे हैं। उपरोक्त समतलीकरण कार्य में घर के किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है एवं मेरी जमीन समतलीकरण कार्य के दौरान कम्पनी कर्मचारियों के साथ हम घर जैसा व्यवहार एवं सहयोग करेगे। हम कम्पनी के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार कि लड़ाई-झगडा, बाद-विवाद एवं गाली-गलोच आदि नहीं करेगे। इस बात का पूरा विश्वास दिलाते है।

8. यहकि प्रबंधक प्रकाश एस्फाल्टिंग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 को श्री मान कलेक्टर महोदय (खनिज शाखा) जिला-हरदा में उत्खनन/परिवहन अनुज्ञा प्राप्त करने को पूर्ण अधिकार देता हूँ तथा इसके उपरांत भी मेरी कही आवश्यकता हुई तो मैं सदा तत्पर रहूंगा कम्पनी के कार्य में मेरी वजह से कोई रुकावट पैदा नहीं होगी।

जयसिंह

सत्यापन

Signed Before Me
18-1-2023
VINOD KUMAR SARAF
ADVOCATE & NOTARY
HARDA (M.P.) INDIA

मैं सहमती कर्ता जयसिंह पिता मंगल सिंह निवासी-भादूगांव तहसील-रहटागांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 का होकर पूरे होशो हवास में बिना किसी नशे पानी व बगैर दबाब के अपने घर के छोटे बड़े सभी सदस्यों, यार दोस्तों एवं तमाम रिश्तेदारों की सहमती लेकर ईश्वर को साक्षी मानकर यह सत्य वचन देता हूँ। कि मेरे द्वारा ऊपर सभी बिन्दु मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। मैंने कोई भी तथ्य छुपाये नहीं है। पढ कर समझकर आज दिनांक 18-1-2023 को हस्ताक्षर किये।

ये दस्तावेज निष्पादक को पहचानता है उक्त
के समक्ष समझकर हस्ताक्षर/अंगूठा लगायी की

गवाह :-

1. राजेश कुमार शर्मा
2. श्रीमती
सुखम देवी

जयसिंह
हस्ताक्षर/सत्यापनकर्ता

श्रीमती
हस्ताक्षर/अधिकृत प्रतिनिधि

ये दस्तावेज निष्पादक को पहचानता है उक्त
के समक्ष समझकर हस्ताक्षर/अंगूठा लगायी की

VINOD KUMAR SARAF
ADVOCATE & NOTARY
HARDA (M.P.) INDIA

भारतीय गैर न्यायालयीय

Rs. 100

एक सौ रुपये

रु. 100




ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA


INDIA NON JUDICIAL

BS 556270

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH




506-100



जय सिंह

Signed Before Me
18-1-2023
VINOD KUMAR SARAF
ADVOCATE & NOTARY
MADHYA PRADESH



सहमति / शपथ पत्र

दिनांक- 30-1-23

प्रांति,

श्रीमान कलेक्टर महोदयजी
खनिज शाखा हरदा
जिला-हरदा (म0प्र0)

मैं सहमति कर्ता मनीष कुमार पिता प्रकाशचन्द्र, गणेशप्रसाद पुत्र राधेश्याम, पंकज पिता गिरधारीलाल एवं रमाबाई पत्नि बिन्दु जाति-पालीवाल निवासी भादूगांव तहसील-रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 का निवासी होकर मैं अपनी स्वामित्व की भूमि को नेशनल हाईवे की कान्ट्रेक्टर कम्पनी प्रबंधक प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 76 माल रोड महुँ जिला-इंदौर (म0प्र0) के पक्ष में यह सहमति पत्र लिख दे रहा हूँ। ऐसा कि :-

1. निवेदन यहकि श्रीमान जी हम कृषक मनीष कुमार पिता प्रकाशचन्द्र के स्वामित्व व मालिकाना हक की जमीन ग्राम- भादूगांव, तहसील-रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह. नं. 07 में स्थित है। जिसका भूमि सर्वे नं. 261/1(S) कुल रकवा 0.8090 हेक्टेयर है, गणेशप्रसाद पुत्र राधेश्याम के स्वामित्व व मालिकाना हक की जमीन ग्राम- भादूगांव, तहसील-रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 में स्थित है। जिसका भूमि सर्वे नं. 261/4(S) कुल रकवा 0.6960 हेक्टेयर है, पंकज पिता गिरधारीलाल के स्वामित्व व मालिकाना हक की जमीन ग्राम- भादूगांव, तहसील-रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह. नं. 07 में स्थित है। जिसका भूमि सर्वे नं. 261/3(S) कुल रकवा 0.6960 हेक्टेयर है एवं रमाबाई पत्नि बिन्दु के स्वामित्व व मालिकाना हक की जमीन ग्राम- भादूगांव, तहसील-रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 में स्थित है। जिसका भूमि सर्वे नं. 261/5(S) कुल रकवा 0.7140 हेक्टेयर है। कुल रकवा 2.915 हेक्टेयर कुल 7.20 एकड़ है। जमीन को समतलीकरण करना है, समतलीकरण के दौरान निकलने वाले सबग्रेड मटेरियल को सडक निर्माण कंपनी मटेरियल को ले जाते है तो इसके लिए हमे कोई आपत्ति नही है।

2. श्रीमान जी उक्त जमीन जो टीलेनुमा व उबड-खाबड है, उसे मैं समतीलीकरण कराना चाहता हूँ। जिससे इस जमीन पर भरपूर कृषि उपज पैदावार ले सकूँ।

3. महोदय जी उक्त जमीन को मेरे द्वारा समतीलीकरण करने के लिये बहुत मशीनरी खर्च लगेगा। जिसमें जे.सी.बी., ट्रैक्टर, पोकलेन आदि का खर्च होगा साथ ही कटिंग मिट्टी को एक जगह एकत्रित करना बहुत ही कठिन कार्य है। उपरोक्त समस्त कार्य के लिये बहुत धनराशि खर्च होगी जो कि हम गरीब किसानों के लिये संभव नहीं हैं। क्योंकि वर्तमान में हमारी आर्थिक हालात बहुत खराब है। जैसे-तैसे जिविका चला रहे है।

जैसा कि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 को भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग (एन.एच.ए.आई.) द्वारा हरदा से टेमागांव चारलेन सडक निर्माण का ठेका दिया गया है। इसलिये मैं अपनी उबड-खाबड टीले वाली जमीन को समतलीकरण करने के लिये

Beobal

मनीष कुमार

Family

रमापालीवाल



उक्त कम्पनी को यह कार्य दे रहा हूँ। समतलीकरण करने के दौरान जो अतिरिक्त सबग्रेड मिट्टी टीलो से निकलेगी उसे कम्पनी अपने चारलेन सडक निर्माण कार्य हेतु उपयोग में ले सकती है। उस पर हम सभी किसानों को किसी भी प्रकार कोई आपत्ति नहीं है

5. यहकि प्रकाश एस्फाल्टिंग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 के द्वारा मेरी जमीन को समतलीकरण करने में जो भी मशीनरी खर्च एवं वाहनों का खर्च होगा सम्पूर्ण खर्च कम्पनी वहन करेगी। हम उसका किराया नहीं देगे साथ ही समतलीकरण के दौरान निकलने वाली सबग्रेड मिट्टी का किसी भी प्रकार का मूल्य कम्पनी से नहीं लेगे, इसका हम विश्वास दिलाते है।

6. हम और हमारे घर के सभी सदस्यो ने अपनी मर्जी से जमीन का समतलीकरण कार्य करवाने के लिये सहमति विचार विमर्श कर यह कार्य करवाने के लिए अनुमती दे रहे हैं। उपरोक्त समतलीकरण कार्य में घर के किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है एवं हमारी जमीन समतलीकरण कार्य के दौरान कम्पनी कर्मचारियों के साथ हम घर जैसा व्यवहार एवं सहयोग करेगे। हम कम्पनी के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार कि लडाई-झगडा, बाद-विवाद एवं गाली-गलोच आदि नहीं करेगे। इस बात का पूरा विश्वास दिलाते है।

7. यहकि प्रबंधक प्रकाश एस्फाल्टिंग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 को श्री मान कलेक्टर महोदय (खनिज शाखा) जिला-हरदा में उत्खनन/परिवहन अनुज्ञा प्राप्त करने को पूर्ण अधिकार देते है तथा इसके उपरांत भी हमारी कही आवश्यकता हुई तो हम सदा तत्पर रहेगे कम्पनी के कार्य में हमारी वजह से कोई रुकावट पैदा नहीं होगी।

सत्यापन

हम सहमती कर्ता मनीष कुमार पिता प्रकाशचन्द्र, गणेशप्रसाद पुत्र राधेश्याम, पंकज पिता गिरधारीलाल एवं रमाबाई पन्ति बिन्दु जाति-पालीवाल निवासी-भादूगांव तहसील- रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 का होकर पूरे होशो हवास में बिना किसी नशे पानी व बगैर दबाब के अपने घर के छोटे बडे सभी सदस्यों, यार दोस्तो एवं तमाम रिश्तेदारों की सहमती लेकर ईश्वर को साक्षी मानकर यह सत्य वचन देते है। कि हमारे द्वारा ऊपर सभी बिन्दु हमारे ज्ञान के अनुसार सही है। हमने कोई भी तथ्य छुपाये नहीं है। पढ कर समझकर आज दिनांक 20.1.23 को हस्ताक्षर किये।

गवाह :- *अरविन्द किरार*

1. अरविन्द किरार पिता हेमराज किरार

हस्ताक्षर/सत्यापनकर्ता कृषक

निवासी भादूगांव

(4/03)
अरविन्द

7000-

2. जय कुमार पिता प्रकाशचन्द्र पालिवाल
निवासी भादूगाव

Jay Kumar

1. मनीष कुमार पिता प्रकाशचन्द्र ^{मनीष पालिवाल}

2. गणेशप्रसाद पुत्र राधेश्याम *Ganesh Prasad*

3. पंकज पिता गिरधारीलाल *Pankaj*

4. रामबाई पन्ति बिन्दु *Rama Palival*

Notaral Register No. 10312
Date 30.1.23

Notaral Register No. 10312
RAVINDRA KUMAR
Advocate
Haridwar (U.P.) India

हस्ताक्षर / अधिकृत प्रतिनिधि



7/21
INDIA

सहमति / शपथ पत्र

दिनांक- 29/03/2023

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदयजी
खनिज शाखा हरदा
जिला-हरदा (म0प्र0)

मैं सहमति कर्ता जितेन्द्र कुमार पिता श्री पन्नालाल जाति-गोंड निवासी भादूगांव तहसील-रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 का निवासी होकर मैं अपनी स्वामित्व की भूमि को नेशनल हाईवे की कान्ट्रेक्टर कम्पनी प्रबंधक प्रकाश एस्फाल्टिंग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 76 माल रोड महुँ जिला-इंदौर (म0प्र0) के प्रक्ष में यह सहमति पत्र लिख दे रहा हूँ। ऐसा कि :-

निवेदन यहकि मैं कृषक जितेन्द्र कुमार पिता श्री पन्नालाल के स्वामित्व व मालिकाना हक की जमीन ग्राम- भादूगांव, तहसील-रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 में स्थित है। जिसका भूमि सर्वे नं. 259/81 कुल रकवा 1.5920 हेक्टेयर है।

श्रीमान जी मैं कृषक जितेन्द्र कुमार पिता श्री पन्नालाल मालिकाना हक की जमीन जो कि भूमि सर्वे नं0 259/81 कुल रकवा 1.5920 हेक्टेयर जमीन को समतलीकरण करना है। जो कि पूरी तरह से उबड़-खाबड़, ऊची-नीची एवं टीले में तबदील है। जिसके चलते मैं गरीब किसान इस जमीन पर सही तरीके से कृषि उपज (किसानी) नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके कारण उचित पैदावार नहीं हो रही है।

3. श्रीमान जी उक्त जमीन जो टीलेनुमा व उबड़-खाबड़ है, उसे मैं समतलीकरण कराना चाहता हूँ। जिससे इस जमीन पर भरपूर कृषि उपज पैदावार ले सकूँ।
4. महोदय जी उक्त जमीन को मेरे द्वारा समतलीकरण करने के लिये बहुत मशीनरी खर्च लगेगा। जिसमें जे.सी.बी., ट्रैक्टर, पोकलेन आदि का खर्च होगा साथ ही कटिंग मिट्टी को एक जगह एकत्रित करना बहुत ही कठिन कार्य है। उपरोक्त समस्त कार्य के लिये बहुत धनराशि खर्च होगी जो कि मुझ गरीब किसान के लिये संभव नहीं हैं। क्योंकि वर्तमान मे मेरी आर्थिक हालात बहुत खराब है। जैसे-तैसे जिविका चला रहा हूँ।
5. जैसा कि प्रकाश एस्फाल्टिंग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 को भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग (एन.एच.ए.आई.) द्वारा हरदा से टेमागांव चारलेन सडक निर्माण का ठेका दिया गया है। इसलिये मैं अपनी उबड़-खाबड़ टीले वाली जमीन को समतलीकरण करने के लिये उक्त कम्पनी को यह कार्य दे रहा हूँ। समतलीकरण करने के दौरान जो अतिरिक्त मिट्टी टीलो से निकलेगी उसे कम्पनी अपने चारलेन सडक निर्माण कार्य हेतु उपयोग में ले सकती है। उस पर मुझ किसान को किसी भी प्रकार कोई आपत्ति नहीं है।

K.K. RAJPUT
NOTARY / ADVOCATE
Timarni
29 MAR 2023

जितेन्द्र

6. यहकि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 के द्वारा मेरी जमीन को समतलीकरण करने में जो भी मशीनरी खर्च एवं वाहनों का खर्च होगा सम्पूर्ण खर्च कम्पनी वहन करेगी। मैं उसका किराया नहीं दूंगा साथ ही समतलीकरण के दौरान निकलने वाली मिट्टी का किसी भी प्रकार का मूल्य कम्पनी से नहीं लूंगा। इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ।

7. मैं और मेरे घर के सभी सदस्यो ने अपनी मर्जी से जमीन का समतलीकरण कार्य करवाने के लिये सहमति विचार विमर्श कर यह कार्य करवाने के लिए अनुमति दे रहे हैं। उपरोक्त समतलीकरण कार्य में घर के किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है एवं मेरी जमीन समतलीकरण कार्य के दौरान कम्पनी कर्मचारियों के साथ हम घर जैसा व्यवहार एवं सहयोग करेगे। हम कम्पनी के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार कि लडाई-झगडा, बाद-विवाद एवं गाली-गलोच आदि नहीं करेगें। इस बात का पूरा विश्वास दिलाते है।

8. यहकि प्रबंधक प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 को श्री मान कलेक्टर महोदय (खनिज शाखा) जिला-हरदा में उत्खनन/परिवहन अनुज्ञा प्राप्त करने को पूर्ण अधिकार देता हूँ तथा इसके उपरांत भी मेरी कही आवश्यकता हुई तो मैं सदा तत्पर रहूंगा कम्पनी के कार्य में मेरी वजह से कोई रुकावट पैदा नहीं होगी।



हस्ताक्षर/सहमतिकर्ता

सत्यापन

मैं सहमती कर्ता जितेन्द्र कुमार पिता श्री पन्नालाल निवासी-भादूगांव तहसील-रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 का होकर पूरे होशो हवास में बिना किसी नष्टे गानी व बगैर दबाब के अपने घर के छोटे बडे सभी सदस्यों, यार दोस्तो एवं तमाम रिश्तेदारों की सहमती लेकर ईश्वर को साक्षी मानकर यह सत्य वचन देता हूँ। कि मेरे द्वारा ऊपर सभी बिन्दु मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। मैंने कोई भी तथ्य छुपाये नहीं है। पढ कर समझकर आज दिनांक को हस्ताक्षर किये।




हस्ताक्षर/सत्यापनकर्ता


गवाह 

1. शरवि 13 राट


2. शेषरा

Sworn Before Me


K.K. RAJPUT, NOTARY & ADVOCATE, TIMARNI


K.K. RAJPUT
NOTARY / ADVOCATE
Timarni

29 MAR 2017



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

29 MAR 2023 BS 419552

जमीन समतलीकरण समझौता करिष्य पत्र

रुपय नं- BS 419552 से BS 419556 तक दिनांक

29/03/2023

(1) श्री मान कलेश्वर महोदय
रवनिजा शाबवा हरदा
तह. हरदा जिला हरदा
सं प्र०

एवं

(2) श्री जितेन्द्र कुमार यिता पन्नालाल
निवासी भाडुगाँव तह. रदरगाँव
जिला हरदा सं प्र० आधार नं.
2765-9337-3073 रवसका नं.
259/81 भाडुगाँव

जितेन्द्र

K.K. RAIPUT
NOTARY / ADVOCATE
Timarni

29 MAR 2023



सहमति / शपथ पत्र

प्रति,

दिनांक- 29/03/2023

श्रीमान कलेक्टर महोदयजी
खनिज शाखा हरदा
जिला-हरदा (म0प्र0).

मैं सहमति कर्ता शिवकुमार पिता श्री पन्नालाल जाति-गोंड निवासी भादूगांव तहसील-रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 का निवासी होकर मैं अपनी स्वामित्व की भूमि को नेशनल हाईवे की कान्ट्रेक्टर कम्पनी प्रबंधक प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 76 माल रोड महुँ जिला-इंदौर (म0प्र0) के पक्ष में यह सहमति पत्र लिख दे रहा हूँ। ऐसा कि :-

निवेदन यह कि मैं कृषक शिवकुमार पिता श्री पन्नालाल के स्वामित्व व मालिकाना हक की जमीन ग्राम- भादूगांव, तहसील-रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 में स्थित है। जिसका भूमि सर्वे नं. 259/2 कुल रकवा 1.5920 हेक्टेयर है।

- श्रीमान जी मैं कृषक शिवकुमार पिता श्री पन्नालाल मालिकाना हक की जमीन जो कि भूमि सर्वे नं0 259/2 कुल रकवा 1.5920 हेक्टेयर जमीन को समतलीकरण करना है। जो कि पूरी तरह से उबड़-खाबड़, ऊची-नीची एवं टीले में तबदील है। जिसके चलते मैं गरीब किसान इस जमीन पर सही तरीके से कृषि उपज (किसानी) नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके कारण उचित पैदावार नहीं हो रही है।
- श्रीमान जी उक्त जमीन जो टीलेनुमा व उबड़-खाबड़ है, उसे मैं समतलीकरण कराना चाहता हूँ। जिससे इस जमीन पर भरपूर कृषि उपज पैदावार ले सकूँ।
- महोदय जी उक्त जमीन को मेरे द्वारा समतलीकरण करने के लिये बहुत मशीनरी खर्च लगेगा। जिसमें जे.सी.बी., ट्रैक्टर, पोकलेन आदि का खर्च होगा साथ ही कटिंग मिट्टी को एक जगह एकत्रित करना बहुत ही कठिन कार्य है। उपरोक्त समस्त कार्य के लिये बहुत धनराशि खर्च होगी जो कि मुझ गरीब किसान के लिये संभव नहीं हैं। क्योंकि वर्तमान मे मेरी आर्थिक हालात बहुत खराब है। जैसे-तैसे जिविका चला रहा हूँ।
- जैसा कि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 को भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग (एन.एच.ए.आई.) द्वारा हरदा से टेमागांव चारलेन सडक निर्माण का ठेका दिया गया है। इसलिये मैं अपनी उबड़-खाबड़ टीले वाली जमीन को समतलीकरण करने के लिये उक्त कम्पनी को यह कार्य दे रहा हूँ। समतलीकरण करने के दौरान जो अतिरिक्त मिट्टी टीलो से निकलेगी उसे कम्पनी अपने चारलेन सडक निर्माण कार्य हेतु उपयोग में ले सकती है। उस पर मुझ किसान को किसी भी प्रकार कोई आपत्ति नहीं है।

K.K. RAJPUT
NOTARY / ADVOCATE
Timarni

29 MAR

शिवकुमार

6. यहकि प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 के द्वारा मेरी जमीन को समतलीकरण करने में जो भी मशीनरी खर्च एवं वाहनों का खर्च होगा सम्पूर्ण खर्च कम्पनी वहन करेगी। मैं उसका किराया नहीं दूंगा साथ ही समतलीकरण के दौरान निकलने वाली मिट्टी का किसी भी प्रकार का मूल्य कम्पनी से नहीं लूंगा। इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ।

7. मैं और मेरे घर के सभी सदस्यो ने अपनी मर्जी से जमीन का समतलीकरण कार्य करवाने के लिये सहमति विचार विमर्श कर यह कार्य करवाने के लिए अनुमति दे रहे हैं। उपरोक्त समतलीकरण कार्य में घर के किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है एवं मेरी जमीन समतलीकरण कार्य के दौरान कम्पनी कर्मचारियों के साथ हम घर जैसा व्यवहार एवं सहयोग करेगे। हम कम्पनी के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार कि लड़ाई-झगडा, बाद-विवाद एवं गाली-गलोच आदि नहीं करेगें। इस बात का पूरा विश्वास दिलाते है।

8. यहकि प्रबंधक प्रकाश एस्फाल्टींग एण्ड टोल हाईवेज (इ0) लिमि0 को श्री मान कलेक्टर महोदय (खनिज शाखा) जिला-हरदा में उत्खनन/परिवहन अनुज्ञा प्राप्त करने को पूर्ण अधिकार देता हूँ तथा इसके उपरांत भी मेरी कही आवश्यकता हुई तो मे सदा तत्पर रहूंगा कम्पनी के कार्य में मेरी वजह से कोई रुकावट पैदा नहीं होगी।

शिवकुमार

हस्ताक्षर सहमति कर्ता

सत्यापन

मैं सहमती कर्ता शिवकुमार पिता श्री पन्नालाल निवासी-भादूगांव तहसील-रहटगांव, जिला-हरदा (म0प्र0) प.ह.नं. 07 का होकर पूरे होशो हवास में बिना किसी नशे पानी व बगैर दबाब के अपने घर के छोटे बडे सभी सदस्यों, यार दोस्तो एवं तमाम रिश्तेदारों की सहमती लेकर ईश्वर को साक्षी मानकर यह सत्य वचन देता हूँ। कि मेरे द्वारा ऊपर सभी बिन्दु मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। मैंने कोई भी तथ्य छुपाये नहीं है। पढ कर समझकर आज दिनांक 29/03/2023 को हस्ताक्षर किये।

मैं हस्ताक्षर करने/सत्यापन करने के लिये
गवाह : हमने में मजबूत/अजोडेये है.....

1. अरवि उता

2. रपेश

शिवकुमार

हस्ताक्षर/सत्यापनकर्ता

SWORN Before Me

K.K. RAJPUT NOTARY PUBLIC TIMARNI

K.K. RAJPUT
NOTARY / ADVOCATE
Timarni

29 March 2021

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

NOTARIAL

NOTARIAL

DIA

INDIA NON JUDICIAL

BS 419547

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

जमीन स्वमतली करण स्वस्माली कापण पत्र

स्टैम्प न - BS 419547 रसे BS 419551 तक दिनांक 29/03/2023



(1) श्री आन कलेश्वर महोदय
स्वनिज शारवा दरदा
जिला दरदा म० प्र०

श्री शिवकुमार पिता पन्नालाल
निवासी भाडुगाँव तह-बहुरगाँव
जिला दरदा म० प्र०
आधात न० 9472 8398 6467
स्वसना न० 259/2

K.K. RAJPUT
NOTARY / ADVOCATE
TINARI
29 MAR 2023

शिवकुमार

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक 526 / खनिज / अ.अनु. / 2021-22

हरदा, दिनांक 26/11/2021

:: अस्थाई/उत्खनन अनुज्ञा ::

प्रति,

✓ प्रकाश एस्फाल्टिंग एवं
टोल हाईवे(इंडिया) लिमि.,
76 माल रोड महु,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की शासकीय भूमि खसरा नं.-259/1 में से अंश रकबा 0.911 हे0 क्षेत्र में खनिज साधारण मिट्टी उत्खनन/अस्थाई अनुज्ञा स्वीकृत के संबंध में।

- संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 21.05.2021
2.कार्यालयीन आदेश क्रमांक-375/खनिज/2021-22 हरदा, दिनांक 03.09.2021
3.सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण का पत्र क्रमांक-1642/सिया/2021 दिनांक 12.08.2021
4 क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मंडीदीप का पत्र क्रमांक नं. 1779, दिनांक 08.10.2021

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है कि ग्राम-भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की शासकीय भूमि खसरा नं.-259/1 का रकबा 5.687 हे0 क्षेत्र में खनिज साधारण मिट्टी उत्खनन/अस्थाई अनुज्ञा आवेदन पत्र राष्ट्रीय राजमार्ग-47 हरदा-बैतूल खण्ड में पैकेज-1(हरदा से टेमागांव) फोर लेन निर्माण कार्य अवधि तक स्वीकृत किये जाने हेतु दिनांक 01.02.2021 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

यह है, कि आवेदित क्षेत्र के संबंध में प्राप्त जॉच प्रतिवेदनों/अभिमतो के आधार पर ग्राम-भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की शासकीय भूमि खसरा नं.-259/1 रकबा 5.687 हे0में से उपलब्ध रकबा 0.911 हे0 क्षेत्र में खनिज साधारण मिट्टी हेतु उत्खनन/अस्थाई अनुज्ञा आवेदन पत्र राष्ट्रीय राजमार्ग-47 हरदा-बैतूल खण्ड में पैकेज-1(हरदा से टेमागांव) फोरलेन निर्माण कार्य अवधि तक स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाकर म0प्र0गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(1) के तहत कार्यालयीन आदेश क्रमांक-375/खनिज /2021-22 हरदा, दिनांक 03.09.2021 से 01 माह के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मंडीदीप से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त किये जाने हेतु लेख किया गया है।

सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण का पत्र क्रमांक-1642/सिया/2021 दिनांक 12.08.2021 में उल्लेख किया है, कि भारत का राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-1088, दिनांक 28 मार्च 2020 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली के परिशिष्ट-9 के बिन्दु क्रं.6 में स्पष्ट उल्लेख है, कि "सड़क एवं पाईपलाईन आदि जैसी रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी की निकासी, निष्कासन या प्रयोग करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति (अनापत्ति) से छूट प्रदान की गई है।

क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मंडीदीप द्वारा आउटवर्ड नं. 1779, दिनांक 08.10.2021 से मात्रा 50,000 घ.मी. (प्रति वर्ष) अवधि दिनांक 07.10.2022 तक जल एवं वायु सम्मति (सी.टी.ओ.) प्रदान की गई है।

म0प्र0 राजपत्र(असाधारण) क्रमांक-394, भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2019 के अनुसार म0प्र0गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68 के उपनियम (3) में:-

" राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के किसी विभाग के उपक्रम को प्रदेश में निर्मित की जाने वाली सड़क या अन्य निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली साधारण मिट्टी तथा मुरुम पर रॉयल्टी की छूट प्रदान की गई है "

गिरन्तर2

अतः ग0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68 में हुये संशोधन दिनांक 20.09.2019 अनुसार, के उपनियम (3) के अंतर्गत ग्राम-भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की शासकीय भूमि खसरा नं.-259/1 का उपलब्ध रकबा 0.911 हे0 क्षेत्र में खनिज साधारण मिट्टी हेतु उत्खनन्/अस्थाई अनुज्ञा आदेश दिनांक 26/11/2021 से 07.10.2022 तक निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

- 1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से उत्खनन् एवं परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।
- 2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/ सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।
- 3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का खनन्/परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।
- 4-स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।
- 5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा। वगैर वैध ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।
- 6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर अस्थाई/उत्खनन् अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।
- 7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज विक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
- 9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- 10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।

22/11/2021
प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा

पृ.क्रमांक/ /खनिज/अ.अनु./2021-22
प्रतिलिपि :-

हरदा,दिनांक / /2021

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (रजस्व), टिगरनी की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-रहटगांव की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

/
प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक/५३८ / खनिज/परि.अनु./2021-22

हरदा,दिनांक ०१/१२/2021

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

प्रकाश एस्फालटिंग एवं
टोल हाईवे(इंडिया) लिमि.,
76 माल रोड़ महु,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि(सहमति) संयुक्त खाताधारक खसरा नं.-259/26/2, 259/26/3 एवं 259/26/4 का कुल रकबा 4.047 हे. क्षेत्र में समतलीकरण पश्चात् निकले खनिज साधारण मिट्टी की परिवहन अनुज्ञा बावत।

संदर्भ- 1.परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण के पत्र क्रमांक/भाराराप्रा/पक्रिई/हरदा/पाथ इंडिया/ह.-बैं./पै.-1/खनिज/2021/334 दिनांक 12.04.2021 (प्रकाश एस्फालटिंग एवं टोल हाईवे लिमि.महु का संलग्न आवेदन दिनांक 12.04.2021)
2.नायब तहसीलदार, रहटगांव का पत्र क्रमांक/1154/प्रवा.तह./2020 रहटगांव,दिनांक 13.05.2021
3.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 08.11.2021

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, कि ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि(सहमति) संयुक्त खाताधारक खसरा नं. -259/26/2, 259/26/3 एवं 259/26/4 का कुल रकबा 4.047 हे. क्षेत्र में समतलीकरण पश्चात् निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 42,000 घ.मी.को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने का लेख है।

नायब तहसीलदार, रहटगांव का प्रतिवेदन दिनांक 13.05.2021 से उल्लेख किया गया है, किं हल्का पटवारी अनुसार आवेदित भूमि खसरा नं.-259/26/2, 259/26/3 एवं 259/26/4 का कुल रकबा 4.047 हे.भूमि क्षमाबाई, रिकूबाई, शकुनबाई सभी के पिता नंदू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है सभी समतलीकरण हेतु सहमत है कुल, रकबा 4.047 में से 2.000 हे. भूमि ऊंची-नीची (टीलानुमा) होने से समतलीकरण पश्चात् भूमि पर एकत्रित मिट्टी लगभग मात्रा 25,000 घ.मी. की परिवहन अनुज्ञा नियमानुसार प्रदान किये जाने की अनुशंसा का लेख किया है।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 08.11.2021 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि(सहमति) संयुक्त खाताधारक खसरा नं.-259/26/2, 259/26/3 एवं 259/26/4 का कुल रकबा 4.047 हे. भूमि क्षमाबाई, रिकूबाई, शकुनबाई सभी के पिता नंदू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है सभी समतलीकरण हेतु सहमत है कुल रकबा 4.047 में से 2.000 हे. भूमि ऊंची-नीची (टीलानुमा) होने से समतलीकरण पश्चात् भूमि पर एकत्रित मिट्टी लगभग मात्रा 15,000 घ.मी. पड़ी है, जिसको म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3) एवं 68(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि(सहमति) संयुक्त खाताधारक खसरा नं.-259/26/2, 259/26/3 एवं 259/26/4 का कुल रकबा 4.047 हे. में से 2.000 हे. क्षेत्र समतलीकरण पश्चात् भूमि पर एकत्रित मिट्टी लगभग मात्रा 15,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक ०१/१२/२०२१ से दिनांक ०१/०२/२०२२ तक निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

निरन्तर.....2

०१/१२/२०२१



- 1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।
- 2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/ सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।
- 3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।
- 4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।
- 5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा। बगैर वैध ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।
- 6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।
- 7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
- 9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- 10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।



01/12/2021
 प्रभारी अधिकारी
 (खनिज शाखा)
 जिला-हरदा(म.प्र.)

पृ.क्रमांक / 539 / खनिज / परि.अनु. / 2021-22
 प्रतिलिपि :-

हरदा, दिनांक 01/12/2021

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-रहटगांव की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

01/12/2021
 प्रभारी अधिकारी
 (खनिज शाखा)
 जिला-हरदा(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक/६१२/खनिज/परि.अनु./2021-22,

हरदा,दिनांक 22/12/2021

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

हरदा पाथवेज प्रा०लिमि०,
76 माल रोड महू,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम अबगांव खुर्द तह० हरदा जिला हरदा की निजी भूमि(सहमति) खसरा नं.-4/2 में से अंश रकबा 2.023 हे. क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी की परिवहन अनुज्ञा बावत।

संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 21.10.2021

2.तहसीलदार, हरदा का अनापत्ति पत्र का रा.प्र.क्रं.310 बी/121 वर्ष 2021-22, दिनांक 23.09.2021

3.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 30.11.2021

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, कि ग्राम अबगांव खुर्द तह० हरदा जिला हरदा की निजी भूमि(सहमतिकर्ता युवराज पटेल आ.अर्जुन पटेल) खसरा नं.-4/2 में से अंश रकबा 2.023 हे. क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 60,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने का लेख है।

तहसीलदार, हरदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 23.09.2021 से उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम अबगांव खुर्द तह०हरदा, जिला हरदा के खसरा नं.-4/2 में से अंश रकबा 2.023 हेक्टे. क्षेत्र पर भूमिस्वामी युवराज पटेल आ.अर्जुन पटेल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, आवेदक स्वयं के उपयोग हेतु तालाब निर्माण कराना चाहते हैं, जिससे बारिश का पानी इकटठा किया जा सके। न्यायालय को तालाब निर्माण/खोदने हेतु कोई आपत्ति नहीं है, बशर्त कि आवेदक परिवहन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने का लेख किया है।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 30.11.2021 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम अबगांव खुर्द तह०हरदा, जिला हरदा के खसरा नं.-4/2 में से अंश रकबा 2.023 हेक्टे. जो कि भूमिस्वामी युवराज पटेल आ.अर्जुन पटेल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त भूमि पर तालाब निर्माण अंतर्गत निकले साधारण मिट्टी मात्रा 60,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, मौके पर वर्तमान में लगभग मात्रा 25,000 घ.मी. खुदी रखी हुई है, जिसको म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3) एवं 68(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में ग्राम अबगांव खुर्द तह० हरदा जिला हरदा की निजी भूमि(सहमति) खसरा नं.-4/2 में से अंश रकबा 2.023 हे. क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 25,000 घ.मी. को म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 22/12/2021 से दिनांक 21/01/2022 तक निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

निरन्तर.....2


- 1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।
- 2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उताये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।
- 3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।
- 4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।
- 5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा। बगैर वैध ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।
- 6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।
- 7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
- 9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- 10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।



पृ.क्रमांक/613/खनिज/परि.अनु./2021-22
प्रतिस्तिपि :-

हरदा,दिनांक 22/12/2021

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।


प्रमोदी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)


प्रमोदी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

By mail
22/12/2021

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक/614/खनिज/परि.अनु./2021-22

हरदा,दिनांक 22/12/2021

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

हरदा पाथवेज प्रा0लिमि0,
76 माल रोड़ महु,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम हरदा खुर्द तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि(सहमति) खसरा नं.-97/1 में से अंश रकबा 1.214 हे. क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी की परिवहन अनुज्ञा बावत।

संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 21.10.2021

2.तहसीलदार, हरदा का अनापत्ति पत्र का रा.प्र.क्रं.311 बी/121 वर्ष 2021-22 ,दिनांक 23.09.2021

3.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 30.11.2021

—000—



उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, कि ग्राम हरदा खुर्द तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि(सहमतिकर्ता देवचन्द्र आ.हरिराम पटेल) खसरा नं.-97/1 में से अंश रकबा 1.214 हे. क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 50,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने का लेख है।

तहसीलदार, हरदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 23.09.2021 से उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम हरदा खुर्द तह0 हरदा, जिला हरदा के खसरा नं.-97/1 रकबा 3.743 हेक्टे. में से रकबा 1.214 हेक्टे. क्षेत्र पर भूमिस्वामी देवचन्द्र आ.हरिराम पटेल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, आवेदक स्वयं के उपयोग हेतु तालाब निर्माण कराना चाहते हैं, जिससे बारिश का पानी इकटठा किया जा सके। न्यायालय को तालाब निर्माण/खोदने हेतु कोई आपत्ति नहीं है, बशर्त कि आवेदक परिवहन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने का लेख किया है।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 30.11.2021 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम हरदा खुर्द तह0 हरदा, जिला हरदा के खसरा नं.-97/1 में से अंश रकबा 1.214 हेक्टे. जो कि भूमिस्वामी देवचन्द्र आ.हरिराम पटेल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त भूमि पर तालाब निर्माण अंतर्गत निकले साधारण मिट्टी मात्रा 50,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, मौके पर वर्तमान में लगभग मात्रा 20,000 घ.मी. खुदी रखी हुई है, जिसको म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3) एवं 68(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में ग्राम हरदा खुर्द तह0 हरदा, जिला हरदा के खसरा नं.-97/1 रकबा में से अंश रकबा 1.214 हे. क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 20,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 22/12/2021 से दिनांक 21/01/2022 तक निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

निरन्तर.....2

- 1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।
- 2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।
- 3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।
- 4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।
- 5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा। बगैर वैध ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।
- 6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।
- 7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
- 9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- 10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।



पृ.क्रमांक/ 615/खनिज/परि.अनु./2021-22
प्रतिलिपि :-

हरदा,दिनांक 22/12/2021

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, पालनार्थ।

22/12/2021
प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

22/12/2021
प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

B+M41
22/12/21

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक/630/खनिज/परि.अनु./2021-22

हरदा, दिनांक 28/12/2021

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड महू,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि(सहमति) खसरा नं.-
259/13/1, 259/40, 259/13/2, 259/41, 259/13/3 का कुल रकबा 4.451
हे0 क्षेत्र में उबड़-खाबड़, टीले वाली भूमि को समतलीकरण पश्चात् एकत्रित खनिज
साधारण मिट्टी को परिवहन करने बावत।

- संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 21.06.2021
2.अनुविभागीय अधिकारी(रा.), टिमरनी का पत्र-4746/रीडर/2020, टिमरनी दिनांक
12.11.2021
3.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 20.12.2021

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, ग्राम
भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि(भूमिस्वामी-अमरदास आ.कुंजी, इमरतलाल
आ.कुंजी एवं नंदू आ.कुंजी)खसरा नं.- 259/13/1, 259/40, 259/13/2, 259/41,
259/13/3 का कुल रकबा 4.451 हे0 क्षेत्र में उबड़-खाबड़, टीले वाली भूमि को समतलीकरण
पश्चात् एकत्रित खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 99,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य
में उपयोग किये जाने का लेख है।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.), टिमरनी का प्रतिवेदन दिनांक 12.11.2021 (तहसीलदार
रहटगांव एवं हल्का पटवारी के प्रतिवेदन अनुसार) से उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि
ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि(भूमिस्वामी-अमरदास आ.कुंजी,
इमरतलाल आ.कुंजी एवं नंदू आ.कुंजी)खसरा नं.- 259/13/1, 259/40, 259/13/2,
259/41, 259/13/3 का कुल रकबा 4.451 हे0 में से 2.450 हे. क्षेत्र में उबड़-खाबड़, टीले
वाली भूमि को समतलीकरण पश्चात् एकत्रित खनिज साधारण मिट्टी परिवहन करने की
= अनुशंसा की गई है।


खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 20.12.2021 में उल्लेख किया गया है, कि
आवेदित भूमि ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-
259/13/1, 259/40, 259/13/2, 259/41, 259/13/3 का कुल रकबा 4.451 हे0 जो
कि भूमिस्वामी अमरदास आ.कुंजी, इमरतलाल आ.कुंजी एवं नंदू आ.कुंजी के नाम राजस्व रिकार्ड
में दर्ज है, उक्त भूमि पर समतलीकरण पश्चात् एकत्रित निकले साधारण मिट्टी मात्रा 99,000
घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, मौके पर वर्तमान में लगभग मात्रा 25,000 घ.मी. खुदी रखी
हुई है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण
खनिज नियम 1996 के नियम 68(3) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई
है।

अतः आपके पक्ष में ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा, जिला हरदा के खसरा नं.
-259/13/1, 259/40, 259/13/2, 259/41, 259/13/3 का कुल रकबा 4.451 हे0 में
से 2.450 हे. क्षेत्र उबड़-खाबड़, टीले वाली भूमि को समतलीकरण पश्चात् एकत्रित खनिज
साधारण मिट्टी मात्रा 25,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के
अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन
परिपत्र आदेश दिनांक 29/12/2021 से दिनांक 28/01/2022 तक निम्नलिखित शर्तों
पर प्रदान की जाती है।

28/12/2021



- 1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।
- 2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।
- 3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।
- 4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।
- 5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा। बगैर वैध ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।
- 6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।
- 7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
- 9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- 10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।



28/12/2021
 प्रभारी अधिकारी
 (खनिज शाखा)
 जिला-हरदा(म.प्र.)

पृ.क्रमांक/63/खनिज/परि.अनु./2021-22
 प्रतिलिपि :-

हरदा,दिनांक 28/12/2021

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-रहटगांव की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

प्रभारी अधिकारी
 (खनिज शाखा)
 जिला-हरदा(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक/१५६/खनिज/परि.अनु./2021-22

हरदा,दिनांक १३/०३/2022

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

✓ प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड़ महू,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम अबगांव खुर्द तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 4/1, 4/7 का कुल रकबा 8.397 हे0 क्षेत्र में से रकबा 1.214 हे. क्षेत्र में तालाब निर्माण उपरांत निकले खनिज-साधारण मिट्टी को परिवहन करने बावत।

संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 09.02.2022
2.तहसीलदार, हरदा का रा0प्र0क्र0-0466/बी.121./2021-22,हरदा,दिनांक 28.01.2021
3.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 16.03.2022

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, ग्राम अबगांव खुर्द तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 4/1, 4/7 का कुल रकबा 8.397 हे0 क्षेत्र में से रकबा 1.214 हे. क्षेत्र में तालाब निर्माण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 60,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने का लेख है।

तहसीलदार, हरदा द्वारा आर्डरशीट दिनांक 28.01.2021 से उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम अबगांव खुर्द तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 4/1, 4/7 का कुल रकबा 8.397 हे0 क्षेत्र में से रकबा 1.214 हे. क्षेत्र राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि रकबा 1.214 हे. भूमि पर तालाब खोदना चाहता है, जिसमें गर्मी एवं रबी मौसम में उक्त रकबे की सिंचाई कर सके। आवेदक को सशर्त पर अनुमति प्रदान किये का लेख है।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 16.03.2022 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम अबगांव खुर्द तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 4/1, 4/7 का कुल रकबा 8.397 हे0 क्षेत्र में से रकबा 1.214 हे. क्षेत्र में तालाब निर्माण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 60,000 घ.मी. क्षेत्र जो कि भूमिस्वामी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त भूमि पर तालाब निर्माण अंतर्गत निकले साधारण मिट्टी मात्रा 60,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, मौके पर वर्तमान में लगभग मात्रा 60,000 घ.मी. निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशांसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में ग्राम अबगांव खुर्द तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं. - 4/1, 4/7 का कुल रकबा 8.397 हे0 क्षेत्र में से रकबा 1.214 हे. क्षेत्र तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 60,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 23.../03/2022 से दिनांक 30/04/2022 तक निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।


2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।

निरन्तर.....2



- 3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।
- 4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।
- 5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा। बगैर वैध ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।
- 6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।
- 7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
- 9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- 10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।




 प्रमारी अधिकारी
 खनिज शाखा)
 जिला-हरदा(म.प्र.)

पृ.क्रमांक/956 खनिज/परि.अनु./2021-22
 प्रतिलिपि :-

हरदा,दिनांक 23/03/2022

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।


 प्रमारी अधिकारी
 खनिज शाखा)
 जिला-हरदा(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक / 4 / खनिज / परि.अनु. / 2022-23

हरदा, दिनांक 20/04/2022

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

प्रकाश एस्फालटिंग एवं
टोल हाईवे(इंडिया) लिमि.,
76 माल रोड महू,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि(सहमति) संयुक्त खाताधारक खसरा नं.-259/26/2, 259/26/3 एवं 259/26/4 का कुल रकबा 4.047 हे. क्षेत्र में समतलीकरण पश्चात् निकले खनिज साधारण मिट्टी की परिवहन अनुज्ञा अवधि बढ़ाये जाने बावत।

संदर्भ- 1. प्रकाश एस्फालटिंग एवं टोल हाईवे लिमि.महू का संलग्न आवेदन दिनांक 12.04.2022
2. खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 18.04.2022
3. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-538, दिनांक 01.12.2021
—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, कि ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि(सहमति) संयुक्त खाताधारक खसरा नं. -259/26/2, 259/26/3 एवं 259/26/4 का कुल रकबा 4.047 हे. क्षेत्र में ऊँची-नीची(टीलानुमा) भूमि समतलीकरण पश्चात् निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 15,000 घ.मी. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-538, दिनांक 01.12.2021 से दिनांक 01.02.2022 तक परिवहन अनुज्ञा प्रदान की गई थी, आवेदक द्वारा आवेदन में उल्लेख किया है, कि सीमित होने के कारण उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सका है एवं अतिरिक्त 70,000 घ0मी0 साधारण मिट्टी को उठाये तथा कार्यावधि बढ़ाये जाने का लेख है।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 08.11.2021 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि(सहमति) संयुक्त खाताधारक खसरा नं.-259/26/2, 259/26/3 एवं 259/26/4 का कुल रकबा 4.047 हे. पर मात्रा 15,000 घ0मी0 कार्यालयीन आदेश क्रमांक-538, दिनांक 01.12.2021 से दिनांक 01.02.2022 तक परिवहन अनुज्ञा प्रदान की गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में उल्लेख किया है, कि सीमित होने के कारण उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सका है एवं अतिरिक्त 70,000 घ0मी0 साधारण मिट्टी को उठाये तथा कार्यावधि बढ़ाये जाने का लेख है। मौके पर वर्तमान में लगभग मात्रा 50,000 घ.मी. निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि(सहमति) संयुक्त खाताधारक खसरा नं.-259/26/2, 259/26/3 एवं 259/26/4 का कुल रकबा 4.047 हे. में से 2.000 हे. क्षेत्र समतलीकरण पश्चात् भूमि पर एकत्रित मिट्टी लगभग मात्रा 50,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 20/04/2022 से दिनांक 19/05/2022 तक प्रदान की जाती है। अनुज्ञा की शर्तें पूर्व आदेश क्रमांक-538/खनिज/परि.अनु./2021-22 हरदा, दिनांक 01.12.2021 अनुसार यथावत रहेगी।

Subi
20/04/22

Dand.
33560010
20/04/2022

20/04/2022
प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

पृ.क्रमांक / 42 / खनिज / परि.अनु. / 2022-23
प्रतिलिपि :-

हरदा, दिनांक 20/04/2022

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-रहटगांव की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

प्रमारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

हरदा पाथवेज प्रा0लिमि0,
76 माल रोड महू,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम अबगांव खुर्द तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि(सहमति) खसरा नं.-4/2 में से अंश रकबा 2.023 हे. क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी की परिवहन अनुज्ञा अवधि बढ़ाये जाने बावत।

- संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 23.03.2022
2. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-612, दिनांक 22.12.2021
3.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 30.11.2021

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, कि ग्राम अबगांव खुर्द तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि(सहमतिकर्ता युवराज पटेल आ.अर्जुन पटेल) खसरा नं.-4/2 में से अंश रकबा 2.023 हे. क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 25,000 घ.मी. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-612, दिनांक 22.12.2021 से दिनांक 21.01.2022 तक प्रदान की गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में उल्लेख किया है, कि सीमित होने के कारण उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सका है एवं अतिरिक्त 1,00,000 घ0मी0 साधारण मिट्टी को उठाये तथा कार्यावधि बढ़ाये जाने का लेख है।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 30.11.2021 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम अबगांव खुर्द तह0हरदा, जिला हरदा के खसरा नं.-4/2 में से अंश रकबा 2.023 हेक्टे. जो कि भूमिस्वामी युवराज पटेल आ.अर्जुन पटेल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त भूमि पर तालाब निर्माण अंतर्गत निकले साधारण मिट्टी मात्रा 25,000 घ.मी. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-612, दिनांक 22.12.2021 से दिनांक 21.01.2022 तक परिवहन अनुज्ञा प्रदान की गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में उल्लेख किया है, कि सीमित होने के कारण उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सका है एवं अतिरिक्त 1,00,000 घ0मी0 साधारण मिट्टी को उठाये तथा कार्यावधि बढ़ाये जाने का लेख है। मौके पर वर्तमान में लगभग मात्रा 80,000 घ.मी. निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में ग्राम अबगांव खुर्द तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि(सहमति) खसरा नं.-4/2 में से अंश रकबा 2.023 हे. क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 80,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 20/04/2021 से दिनांक 1.11/05/2022 तक प्रदान की जाती है। अनुज्ञा की शर्तें पूर्व आदेश क्रमांक-612/खनिज/परि.अनु./2021-22 हरदा, दिनांक 22.12.2021 अनुसार यथावत रहेगी।

नक्षीलदार

आवक/जुब 22
हरदा (म.प्र.)

20/04/2022

Kumar
S80011025
20/04/2022

20/4/2022
प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(ग.प्र.)
गिरन्तर2



11211

पृ.क्रमांक / 46 / खनिज / परि.अनु. / 2022-23
प्रतिलिपि :-

हरदा, दिनांक 20/04/2022

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

20/4/2022
प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)



कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक/47/खनिज/परि.अनु./2022-23

हरदा,दिनांक 20/04/2022

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

हरदा पाथवेज प्रा0लिमि0,
76 माल रोड़ महु,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम हरदा खुर्द तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि(सहमति) खसरा नं.-97/1 में से अंश रकबा 1.214 हे. क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी की परिवहन अनुज्ञा अवधि बढ़ाये जाने बावत।

- संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 23.03.2022
2.कार्यालयीन आदेश क्रमांक-614, दिनांक 22.12.2021
3.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 19.04.2022

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, कि ग्राम हरदा खुर्द तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि(सहमतिकर्ता देवचन्द्र आ.हरिराम पटेल) खसरा नं.-97/1 में से अंश रकबा 1.214 हे. क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 20,000 घ.मी. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-614, दिनांक 22.12.2021 से दिनांक 21.01.2022 तक प्रदान की गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में उल्लेख किया है, कि सीमित होने के कारण उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सका है एवं अतिरिक्त 70,000 घ0मी0 साधारण मिट्टी को उठाये तथा कार्यावधि बढ़ाये जाने का लेख है।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 19.04.2022 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम हरदा खुर्द तह0 हरदा, जिला हरदा के खसरा नं.-97/1 में से अंश रकबा 1.214 हेक्टे. क्षेत्र पर मात्रा 20,000 घ0मी0 कार्यालयीन आदेश क्रमांक-614, दिनांक 22.12.2021 से दिनांक 21.01.2020 तक परिवहन अनुज्ञा प्रदान की गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में उल्लेख किया है, कि सीमित होने के कारण उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सका है एवं अतिरिक्त 70,000 घ0मी0 साधारण मिट्टी को उठाये तथा कार्यावधि बढ़ाये जाने का लेख है। मौके पर वर्तमान में लगभग मात्रा 50,000 घ.मी. निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में ग्राम हरदा खुर्द तह0 हरदा, जिला हरदा के खसरा नं.-97/1 रकबा में से अंश रकबा 1.214 हे. क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 50,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 20/04/2022 से दिनांक 19/05/2022 तक प्रदान की जाती है। अनुज्ञा की शर्तें पूर्व आदेश क्रमांक-614/खनिज/परि.अनु./2021-22 हरदा, दिनांक 22.12.2021 अनुसार यथावत रहेगी।

तहसीलदार
आवेदक/जावक
रकबा (म.प्र.) 2.52



Handwritten signature and date: 20/04/2022

20/04/2022
प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)
निरन्तर2

// 2 //

पृ.क्रमांक / 48 / खनिज / परि.अनु. / 2022-23
प्रतिलिपि :-

हरदा, दिनांक 20/04/2022

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

20/04/2022
प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

निरीक्षक
खनिज शाखा
(म.प्र.) हरदा



कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक /43 / खनिज / परि.अनु. / 2022-23

हरदा, दिनांक 20/04/2022

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड़ महू,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम मनियाखेड़ी तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-
186/1,185/1,184/2,184/1 एवं 183 का कुल रकबा 1.808 हे0 क्षेत्र में तालाब
निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन अवधि बढ़ाये जाने कादर।

- संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 23.03.2022
2.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 18.04.2022
3.कार्यालयीन आदेश क्रमांक-877, दिनांक 25.02.2022

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, ग्राम
मनियाखेड़ी तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-
186/1,185/1,184/2,184/1 एवं 183 का कुल रकबा 1.808 हे0 क्षेत्र में तालाब निर्माण
अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 50,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य
में उपयोग हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक-877, दिनांक 25.02.2022 से दिनांक 24.03.2022 तक
परिवहन अनुज्ञा प्रदान की गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में उल्लेख किया है, कि सीमित होने
के कारण उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सका है एवं अतिरिक्त 1,00,000 घ0मी0 साधारण मिट्टी को
उठाये तथा कार्यावधि बढ़ाये जाने का लेख है।

खनि निरीक्षक हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 18.04.2022 में उल्लेख किया गया है, कि
आवेदित भूमि ग्राम मनियाखेड़ी तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-
186/1,185/1,184/2,184/1 एवं 183 का कुल रकबा 1.808 हे0 क्षेत्र पर मात्रा 50,000
घ0मी0 कार्यालयीन आदेश क्रमांक-877, दिनांक 25.02.2022 से दिनांक 24.03.2022 तक
परिवहन अनुज्ञा प्रदान की गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में उल्लेख किया है, कि सीमित होने
के कारण उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सका है एवं अतिरिक्त 1,00,000 घ0मी0 साधारण मिट्टी को
उठाये तथा कार्यावधि बढ़ाये जाने का लेख है। मौके पर वर्तमान में लगभग मात्रा 80,000 घ.मी.
निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये
जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने
की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में ग्राम मनियाखेड़ी तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा
नं.- 186/1,185/1,184/2,184/1 एवं 183 का कुल रकबा 1.808 हे0 क्षेत्र तालाब निर्माण
अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 80,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम
1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन
अनुज्ञा और परिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 20.04/2022 से दिनांक 19.05/2022
तक प्रदान की जाती है। अनुज्ञा की शर्तें पूर्व आदेश क्रमांक-877/खनिज/परि.अनु.
/2021-22 हरदा, दिनांक 25.02.2022 अनुसार यथावत रहेगी।

20/04/2022
प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)
निरन्तर2


प्राप्त
Date
20/04/22

Received
20/04/2022

पृ.क्रमांक / 44 / खनिज / परि.अनु. / 2022-23
प्रतिलिपि :-

हरदा, दिनांक 20/04/2022

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-रहटगांव की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।


प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक/२६४ /खनिज/परि.अनु./2022-23

हरदा,दिनांक२६/०८/2022

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लि.
76, माल रोड महु
जिला- इंदौर (म०प्र०)

विषय- ग्राम-भादूगांव, तह० रहटगांव हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा क्र० 259/13/1, 259/13/2 एवं 259/13/3, 259/40 एवं 259/41 का कुल रकबा 4.451 हे० क्षेत्र में से 2.450 हे० क्षेत्र पर समतलीकरण पश्चात निकले खनिज साधारण मिट्टी की परिवहन अनुज्ञा अवधि बढ़ाये जाने बावत् ।

- संदर्भ- 1. आपका आवेदन पत्र दिनांक 20.05.2022
2. इस कार्यालय का आदेश क्रमांक-630/खनिज/परि.अनु./2021-22, हरदा दिनांक 28.12.2021
3. प्र.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 25.08.2022

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है कि ग्राम-भादूगांव, तह० रहटगांव हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा क्र० 259/13/1, 259/13/2 एवं 259/13/3, 259/40 एवं 259/41 का कुल रकबा 4.451 हे० क्षेत्र में से 2.450 उबड़-खाबड़, टीले वाली भूमि को समतलीकरण पश्चात निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 25,000 घ.मी. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-630,दिनांक 28.12.2021 खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन अनुज्ञा अवधि दिनांक 29.12.2021 से दिनांक 28.01.2022 तक प्रदान की गई थी, आवेदक द्वारा आवेदन में उल्लेख किया गया है कि सीमित अवधि होने के कारण उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सका है एवं अतिरिक्त 1,00,000 घ०मी० साधारण मिट्टी को उठाये तथा कार्यावधि बढ़ाये जाने का लेख है ।

प्र.खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 25.08.2022 में उल्लेख किया गया है, कि ग्राम-भादूगांव, तह० रहटगांव हरदा जिला हरदा की निजी भूमि संयुक्त खाताधारक खसरा नं. 259/13/1, 259/13/2 एवं 259/13/3, 259/40 एवं 259/41 का कुल रकबा 4.451 हे० क्षेत्र में से 2.450 हे. क्षेत्र पर 25,000 घ.मी. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-630, दिनांक 29.12.2021 से दिनांक 28.01.2022 तक परिवहन अनुज्ञा प्रदान की गई है । मौके पर वर्तमान में लगभग मात्रा 1,00,000 घ०मी० निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68 (3) एवं 68(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है ।

अतः आपके पक्ष में ग्राम-भादूगांव, तह० रहटगांव हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा क्र० 259/13/1, 259/13/2 एवं 259/13/3, 259/40 एवं 259/41 का कुल रकबा 4.451 हे० क्षेत्र उबड़-खाबड़ टीले वाली भूमि को समतलीकरण पश्चात निकले खनिज साधारण मिट्टी अतिरिक्त मात्रा 1,00,000 घ०मी० को म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक ०१/०९/2022 से दिनांक ३०/११/2022 तक बढ़ाई जाती है । अनुज्ञा की शर्तें पूर्व आदेश क्रमांक-630/खनिज/परि.अनु./2021-22, हरदा दिनांक- 28.12.2021 अनुसार यथावत रहेगी ।

२६/८/२०२२
प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा



// 2 //

पु.क./२६७/खनिज/परि.अनु./2022-23
प्रतिलिपि -

हरदा,दिनांक-२६/०३/2022

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील रहटगांव की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, खनिज शाखा हरदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा



कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक/१७०/खनिज/परि.अनु./2022-23

हरदा,दिनांक १६/०८/2022

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लि.
76, माल रोड महू
जिला- इंदौर (म०प्र०)

विषय- ग्राम-भादूगांव, तह० रहटगांव हरदा जिला हरदा की निजी भूमि (सहमति) संयुक्त खाताधारक खसरा क्र० 259/26/2, 259/26/3 एवं 259/26/4 का कुल रकबा 4.047 हे० क्षेत्र में से 2.000 हे० क्षेत्र पर समतलीकरण पश्चात निकले खनिज साधारण मिट्टी की परिवहन अनुज्ञा अवधि बढ़ाये जाने बावत् ।

- संदर्भ- 1. आपका आवेदन पत्र दिनांक 20.05.2022
2. इस कार्यालय का आदेश क्रमांक-41/खनिज/परि.अनु./2022-23, हरदा दिनांक-20.04.2022
3. खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 19.07.2022

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है कि ग्राम-भादूगांव, तह० रहटगांव हरदा जिला हरदा की निजी भूमि (सहमति) खसरा क्र० 259/26/2, 259/26/3 एवं 259/26/4 का कुल रकबा 4.047 हे० क्षेत्र में से 2.000 हे० क्षेत्र ऊँची-नीची (टीलानुमा) भूमि समतलीकरण पश्चात निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 50,000 घ.मी. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-41, दिनांक 20.04.2022 खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन अनुज्ञा अवधि दिनांक 20.04.2022 से दिनांक 19.05.2022 तक प्रदान की गई थी, आवेदक द्वारा आवेदन में उल्लेख किया गया है कि सीमित अवधि होने के कारण उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सका है एवं अतिरिक्त 1,00,000 घ०मी० साधारण मिट्टी को उठाये तथा कार्यावधि बढ़ाये जाने का लेख है ।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 19.07.2022 में उल्लेख किया गया है, कि ग्राम-भादूगांव, तह० रहटगांव हरदा जिला हरदा की निजी भूमि (सहमति) संयुक्त खाताधारक 259/26/2, 259/26/3 एवं 259/26/4 का कुल रकबा 4.047 हे० क्षेत्र में से 2.000 हे० क्षेत्र पर मात्रा 50,000 घ०मी० कार्यालयीन आदेश क्रमांक-41, दिनांक 20.04.2022 से दिनांक 19.05.2022 तक परिवहन अनुज्ञा प्रदान की गई है । मौके पर वर्तमान में लगभग मात्रा 1,00,000 घ०मी० निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68 (3) एवं 68(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है ।

अतः आपके पक्ष में ग्राम-भादूगांव, तह० रहटगांव हरदा जिला हरदा की निजी भूमि (सहमति) संयुक्त खाताधारक 259/26/2, 259/26/3 एवं 259/26/4 का कुल रकबा 4.047 हे० क्षेत्र में से 2.000 हे० क्षेत्र में समतलीकरण पश्चात निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ०मी० को म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 01/07/2022 से दिनांक 30/11/2022 तक बढ़ाई जाती है । अनुज्ञा की शर्तें पूर्व आदेश क्रमांक-538/खनिज/परि.अनु./2021-22, हरदा दिनांक- 01.12.2021 अनुसार स्थापित रहेगी ।

२६/०८/२०२२
प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा

आर्डर परमिट

// 2 //

पृ.क./२७/खनिज/परि.अनु./2022-23
प्रतिलिपि -

हरदा,दिनांक-२६/०३/२०२२

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील रहटगांव की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, खनिज शाखा हरदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


26/03/2022
प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक/२७१/खनिज/परि.अनु./2022-23

हरदा,दिनांक २६/०८/2022

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

हरदा पाथवेज प्रा०लिमि०,
76 माल रोड महु
जिला- इंदौर (म०प्र०)

विषय- ग्राम-हरदा खुर्द, तह० हरदा जिला हरदा की निजी भूमि (सहमति) खसरा क्र० 97/1 में से अंश रकबा 1.214 हे० क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी की परिवहन अनुज्ञा अवधि बढ़ाये जाने बावत् ।

संदर्भ-1. आपका आवेदन पत्र दिनांक 20.05.2022

2. इस कार्यालय का आदेश क्रमांक-47/खनिज/परि.अनु./2022-23, हरदा दिनांक-20.04.2022

3. खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 05.08.2022

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है कि ग्राम-हरदा खुर्द, तह० हरदा जिला हरदा की निजी भूमि (सहमति) खसरा क्र० 97/1 में से अंश रकबा 1.214 हे० क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी जिला हरदा को वाणिज्य प्रयोजन उपयोग हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक-47, दिनांक 20.04.2022 खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 50,000 घ.मी.को परिवहन अनुज्ञा अवधि दिनांक 20.04.2022 से दिनांक 19.05.2022 तक प्रदान की गई थी, आवेदक द्वारा आवेदन में उल्लेख किया गया है कि सीमित अवधि होने के कारण उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सका है एवं अतिरिक्त 2,00,000 घ०मी० साधारण मिट्टी को उठाये तथा कार्यावधि बढ़ाये जाने का लेख है ।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 05.08.2022 में उल्लेख किया गया है, कि ग्राम- हरदा खुर्द, तह० हरदा जिला हरदा की निजी भूमि (सहमति) देवचंद्र आ. हरिराम पटेल खसरा क्र० 97/1 में से अंश रकबा 1.214 हे० क्षेत्र जो कि के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त भूमि पर तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 50,000 घ०मी० कार्यालयीन आदेश क्रमांक-47, दिनांक 20.04.2022 से दिनांक 19.05.2022 तक परिवहन अनुज्ञा प्रदान की गई है । मौके पर वर्तमान में लगभग मात्रा 2,00,000 घ०मी० निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68 (3) एवं 68(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है

अतः आपके पक्ष में ग्राम-हरदा खुर्द, तह० हरदा जिला हरदा की निजी भूमि (सहमति) खसरा क्र० 97/1 में से अंश रकबा 1.214 हे० क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 2,00,000 घ०मी० को म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 01/09/2022 से दिनांक 30/11/2022 तक बढ़ाई जाती है । अनुज्ञा की शर्तें पूर्व आदेश क्रमांक-614/खनिज/परि.अनु./2021-22, हरदा दिनांक-22.12.2021 अनुसूचित यथावत रहेगी ।

26/8/2022
प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा

निसंखर2

पृ.क./२७३/खनिज/परि.अनु./2022-23
प्रतिलिपि -

हरदा,दिनांक-२६/०८/2022

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, खनिज शाखा हरदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक/२७५/खनिज/परि.अनु./2022-23

हरदा,दिनांक २६/०८/2022

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

हरदा पाथवेज प्रा०लिमि०,
76 माल रोड महू
जिला- इंदौर (म०प्र०)

विषय- ग्राम-अबगांव खुर्द, तह० हरदा जिला हरदा की निजी भूमि (सहमति) खसरा क्र० 4/2 में से अंश रकबा 2.023 हे० क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी की परिवहन अनुज्ञा अवधि बढ़ाये जाने बावत् ।

संदर्भ-1. आपका आवेदन पत्र दिनांक 20.05.2022

2. इस कार्यालय का आदेश क्रमांक-45/खनिज/परि.अनु./2022-23, हरदा दिनांक-20.04.2022


3. खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 05.08.2022

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है कि ग्राम-अबगांव खुर्द, तह० हरदा जिला हरदा की निजी भूमि (सहमतिकर्ता युवराज पटेल आ. अर्जुन पटेल) खसरा क्र० 4/2 में से अंश रकबा 2.023 हे० क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी जिला हरदा को वाणिज्य प्रयोजन उपयोग हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक-45, दिनांक 20.04.2022 खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 80,000 घ.मी.को परिवहन अनुज्ञा अवधि दिनांक 20.04.2022 से दिनांक 19.05.2022 तक प्रदान की गई थी, आवेदक द्वारा आवेदन में उल्लेख किया गया है कि सीमित अवधि होने के कारण उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सका है एवं अतिरिक्त 2,00,000 घ०मी० साधारण मिट्टी को उठाये तथा कार्यावधि बढ़ाये जाने का लेख हैं ।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 05.08.2022 में उल्लेख किया गया है, कि ग्राम-अबगांव खुर्द, तह० हरदा जिला हरदा की निजी भूमि (सहमति) खसरा क्र० 4/2 में से अंश रकबा 2.023 हे० क्षेत्र जो कि भूमिस्वामी युवराज पटेल आ० अर्जुन पटेल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त भूमि पर तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 80,000 घ०मी० कार्यालयीन आदेश क्रमांक-45, दिनांक 20.04.2022 से दिनांक 19.05.2022 तक परिवहन अनुज्ञा अनुज्ञा प्रदान की गई हैं । मौके पर वर्तमान में लगभग मात्रा 2,00,000 घ०मी० निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68 (3) एवं 68(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई हैं

अतः आपके पक्ष में ग्राम-अबगांव खुर्द, तह० हरदा जिला हरदा की निजी भूमि (सहमति) खसरा क्र० 4/2 में से अंश रकबा 2.023 हे० क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 2,00,000 घ०मी० को म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक ०५/०९/2022 से दिनांक १०/११/2022 तक बढ़ाई जाती हैं । अनुज्ञा की शर्त पूर्व आदेश क्रमांक-612/खनिज/परि.अनु./2021-22, हरदा दिनांक- 22.12.2021अनुसार यथावत रहेगी ।


प्रमोरी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा

निरन्तर2



पृ.क./२१५/खनिज/परि.अनु./2022-23
प्रतिलिपि -

हरदा,दिनांक-२६/०८/2022

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा की ओर सूचनार्थ ।
- 2- तहसीलदार, तहसील हरदा की ओर सूचनार्थ ।
- 3- खनि निरीक्षक, खनिज शाखा हरदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

26/8/2022
प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक / 386 / खनिज / परि.अनु. / 2022-23

हरदा, दिनांक 10/10/2022

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड महू,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 157/18 का कुल रकबा 1.619 हे0 में से 1.012 हे.क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन करने बावत।

- संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 13.09.2022
2.हल्का पटवारी, भादूगांव तहसील रहटगांव का प्रतिवेदन, दिनांक 29.09.2022
3.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 04.10.2022

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि(उमकार आ.सद्दो सहमति) खसरा नं.- 157/18 का कुल रकबा 1.619 हे0 में से 1.012 हे.क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने का लेख है।

हल्का पटवारी भादूगांव, तह.रहटगांव का प्रतिवेदन दिनांक 29.09.2022 से उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि मनियाखेड़ी तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 157/18 का कुल रकबा 1.619 हे0 में से 1.012 हे.क्षेत्र पर समतलीकरण किये जाने पर आवेदक को कोई आपत्ति नहीं है। भूमि अनुउपजाऊ ऊची नीची है। समतलीकरण से कृषि योग्य हो जायेगी। राजस्व अभिलेख में उमकार आ0सद्दो के नाम दर्ज है।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 04.10.2022 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 157/18 का कुल रकबा 1.619 हे0 में से 1.012 हे.क्षेत्र ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 157/18 का कुल रकबा 1.619 हे0 में से 1.012 हे.क्षेत्र गांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 157/18 का कुल रकबा 1.619 हे0 में से 1.012 हे.क्षेत्र जो कि भूमिस्वामी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त भूमि पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, मौके पर वर्तमान में लगभग मात्रा 1,00,000 घ.मी. खनिज निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 157/18 का कुल रकबा 1.619 हे0 में से 1.012 क्षेत्र उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 1.10/10/2022 से दिनांक 1.10/10/2022 तक निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।

निरन्तर.....2

आवेदक/आवेदक शाखा
तहसील रहटगांव
12/10/22

- 2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।
- 3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।
- 4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।
- 5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा। बगैर वैध ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।
- 6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।
- 7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
- 9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- 10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।

10/10/2022
 प्रभारी अधिकारी
 (खनिज-शाखा)
 जिला-हरदा(म.प्र.)

पृ.क्रमांक/387/खनिज/परि.अनु./2022-23
 प्रतिलिपि :-

हरदा,दिनांक 10/10/2022

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-रहटगांव की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

प्रभारी अधिकारी
 (खनिज शाखा)
 जिला-हरदा(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक/390/खनिज/परि.अनु./2022-23

हरदा, दिनांक 10/10/2022

प्रति,

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड महु,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम गोगिया तह0 हंडिया जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 14/1 का कुल रकबा 6.783 हे0में से 1.114 हे. क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन करने बावत।

- संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 04.03.2022
2.ना.तहसीलदार, हंडिया का पत्र-270/प्रवा.2/ना. तह./2022, हंडिया दिनांक 10.06.2022
3.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 04.10.2022

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, ग्राम गोगिया तह0 हंडिया जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 14/1 का कुल रकबा 6.783 हे0में से 1.114 हे. क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 60,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने का लेख है।

तहसीलदार, हंडिया का प्रतिवेदन(हल्का पटवारी प्रतिवेदन) दिनांक 10.06.2022 से उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम गोगिया तह0 हंडिया जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-14/1 का कुल रकबा 6.783 हे0में से 1.114 हे0 राजस्व अभिलेख में आवेदक कैलाश आ.प्रेमनारायण के नाम से दर्ज है। आवेदक खसरा नं. 14/1 में से रकबा 1.114 हे.पर मौके पर उथला तालाब बना हुआ है तथा जिससे उक्त खसरे पर सिंचाई का कार्य किया जाता है, जो पर्याप्त नहीं है का लेख है।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 04.10.2022 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम गोगिया तह0 हंडिया जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-14/1 का कुल रकबा 6.783 हे0में से 1.114 हे0 क्षेत्र जो कि भूमिस्वामी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त भूमि पर तालाब निर्माण अंतर्गत निकले साधारण मिट्टी मात्रा 60,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, मौके पर वर्तमान में लगभग मात्रा 60,000 घ.मी. निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में भूमि ग्राम गोगिया तह0 हंडिया जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-14/1 का कुल रकबा 6.783 हे0में से 1.114 हे0 क्षेत्र तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 60,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 11.10/2022 से दिनांक 11.12/2022 तक निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।

2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।

- 3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।
- 4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।
- 5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा।
- 6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।
- 7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
- 9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- 10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।

10/10/2022
 प्रभारी अधिकारी
 (खनिज शाखा)
 जिला-हरदा(म.प्र.)

हरदा,दिनांक 10/10/2022

पृ.क्रमांक/39/खनिज/परि.अनु./2022-23
 प्रतिलिपि :-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-हंडिया की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

10/10/2022
 प्रभारी अधिकारी
 (खनिज शाखा)
 जिला-हरदा(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक / 5392 / खनिज / परि.अनु. / 2022-23

हरदा, दिनांक 10/10/2022

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड महू,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम कायागांव तह0 हंडिया जिला हरदा की शासकीय भूमि खसरा नं.-29/1,29/3, 30/1,98/1,99/1क, 100/1, 100/3 एवं 100/4 का कुल रकबा 50.516 क्षेत्र में तालाब निर्माण/गहरीकरण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन करने बावत।

- संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 28.02.2022
2.मुख्य कार्यपालन अधिकारी(मत्सय) जिला हरदा का पृ.पत्र क्रमांक/583/म/ससंम/तक/2021-22 हरदा, दिनांक 24.12.2021
3.ना.तहसीलदार हंडिया का पत्र क्रमांक-269/प्रवा.2/2022/तह./हंडिया, दिनांक 10.06.2022
4.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 04.10.2022

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, ग्राम कायागांव तह0 हंडिया जिला हरदा की शासकीय भूमि खसरा नं.-29/1,29/3, 30/1,98/1,99/1क, 100/1, 100/3 एवं 100/4 का कुल रकबा 50.516 क्षेत्र में तालाब निर्माण/गहरीकरण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 60,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने का लेख है।

नायब तहसीलदार, हंडिया का प्रतिवेदन(हल्का पटवारी प्रतिवेदन) दिनांक 10.06.2022 से उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम कायागांव तह0 हंडिया जिला हरदा की शासकीय भूमि खसरा नं.-29/1,29/3, 30/1,98/1,99/1क, 100/1, 100/3 एवं 100/4 का कुल रकबा 50.516 क्षेत्र राजस्व अभिलेख में शासकीय तालाब मद में दर्ज है। ग्राम कायागांव के ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि उत्खनन कार्य से तालाब की गहराई बढ़ेगी, जिससे कृषकों को सिंचाई कार्य हेतु पर्याप्त पानी मिल सकेगा। पंचों की राय में शासकीय तालाब कायागांव का गहरीकरण किया जाना उचित होगा।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 04.10.2022 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम कायागांव तह0 हंडिया जिला हरदा की शासकीय भूमि खसरा नं.-29/1,29/3, 30/1,98/1,99/1क, 100/1, 100/3 एवं 100/4 का कुल रकबा 50.516 क्षेत्र राजस्व अभिलेख में शासकीय तालाब मद में दर्ज है। उक्त भूमि पर तालाब निर्माण अंतर्गत निकले साधारण मिट्टी मात्रा 60,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, मौके पर वर्तमान में लगभग मात्रा 60,000 घ.मी. निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में भूमि ग्राम कायागांव तह0 हंडिया जिला हरदा की शासकीय भूमि खसरा नं.-29/1,29/3, 30/1,98/1,99/1क, 100/1, 100/3 एवं 100/4 का कुल रकबा 50.516 क्षेत्र तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 60,000 घ.मी. को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 11.11/10/2022 से दिनांक 10/10/2022 तक निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।
1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।

गिरन्तर.....2



- 2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।
- 3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।
- 4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।
- 5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा। बगैर वैध ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।
- 6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।
- 7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
- 9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- 10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।

10/10/2022
प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

पृ.क्र.नांक/393/खनिज/परि.अनु./2022-23
प्रतिलिपि :-

हरदा,दिनांक 10/10/2022

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-हंडिया की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

10/10/2022
प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक/384/खनिज/परि.अनु./2022-23

हरदा,दिनांक | 07/0/2022

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड महू,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम गोगिया तह0 हंडिया जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 141/4/1 का कुल रकबा 2.509 हे0में से 1.114 हे. क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन करने बावत।

- संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 04.03.2022
2.तहसीलदार, हंडिया का पत्र-292/प्रवा./तह./2022, हंडिया दिनांक 23.02.2022
3.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 04.10.2022

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, ग्राम गोगिया तह0 हंडिया जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 141/4/1 का कुल रकबा 2.509 हे0में से 1.114 हे. क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 60,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने का लेख है।

तहसीलदार, हंडिया का प्रतिवेदन(हल्का पटवारी प्रतिवेदन) दिनांक 23.02.2022 से उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम गोगिया तह0 हंडिया जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 141/4/1 का कुल रकबा 2.509 हे0 भूमि राजस्व अभिलेख में आवेदक धमेन्द्र आ. कैलाश के नाम से दर्ज है। आवेदक खसरा नं. 141/4/1 रकबा 2.509 हे.में से 1.000 हे. भूमि पर स्वयं के व्यय पर तालाब खुदवाना चाहता है का लेख है।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 04.10.2022 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम गोगिया तह0 हंडिया जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 141/4/1 का कुल रकबा 2.509 हे.में से 1.000 हे. क्षेत्र जो कि भूमिस्वामी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त भूमि पर तालाब निर्माण अंतर्गत निकले साधारण मिट्टी मात्रा 60,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, मौके पर वर्तमान में लगभग मात्रा 60,000 घ.मी. खुदी रखी हुई है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में भूमि ग्राम गोगिया तह0 हंडिया जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं. - 141/4/1 का कुल रकबा 2.509 हे.में से 1.000 हे क्षेत्र तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 60,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 1.11.2022 से दिनांक 1.11.2022 तक निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

- 1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।
- 2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।



निरन्तर.....2

- 3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।
- 4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।
- 5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा। बगैर वैध ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।
- 6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।
- 7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
- 9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- 10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।

10/10/2022
 प्रभारी अधिकारी
 (खनिज शाखा)
 जिला-हरदा(म.प्र.)

पृ.क्रमांक/385/खनिज/परि.अनु./2022-23
 प्रतिलिपि :-

हरदा,दिनांक 07/10/2022

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-हंडिया की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

प्रभारी अधिकारी
 (खनिज शाखा)
 जिला-हरदा(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक/388/खनिज/परि.अनु./2022-23

हरदा,दिनांक 10/10/2022

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड़ महु,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम मनियाखेड़ी तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-
186/1,185/1,184/2,184/1 एवं 183 का कुल रकबा 1.808 क्षेत्र में तालाब निर्माण
अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन करने बावत।

संदर्भ-1.आपका आवेदन दिनांक 01.09.2022
2.कार्यालयीन आदेश क्रमांक-43, दिनांक 20.04.2022
3.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 04.10.2022

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है कि ग्राम मनियाखेड़ी तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 186/1,185/1,184/2, 184/1 एवं 183 का कुल रकबा 1.808 क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 80,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक-43, दिनांक 20.04.2022 से दिनांक 19.05.2022 तक परिवहन अनुज्ञा प्रदान की गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में उल्लेख किया है, कि सीमित समय न होने के कारण उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सका है एवं अतिरिक्त 2,00,000 घ.मी. साधारण मिट्टी को उठाये जाने एवं कार्यावधि बढ़ाये जाने का लेख है।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 04.10.2022 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम मनियाखेड़ी तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 186/1,185/1,184/2, 184/1 एवं 183 का कुल रकबा 1.808 क्षेत्र में तालाब निर्माण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 80,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक-43, दिनांक 20.04.2022 से दिनांक 19.05.2022 तक, परिवहन अनुज्ञा प्रदान की गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में उल्लेख अतिरिक्त 2,00,000 घ.मी. साधारण मिट्टी को उठाये जाने एवं कार्यावधि बढ़ाये जाने का लेख है। मौके पर वर्तमान में लगभग मात्रा 2,00,000 घ.मी.खनिज साधारण मिट्टी निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में ग्राम मनियाखेड़ी तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 186/1,185/1,184/2, 184/1 एवं 183 का कुल रकबा 1.808 क्षेत्र पर तालाब गहरीकरण के उपरांत अंतर्गत निकले खनिज मुरुम/मिट्टी मात्रा 2,00,000 घ0मी0को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68 (6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी छूट नियम 68 (3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 11/12/2022 से दिनांक 10/12/2022 तक बढ़ाई जाती हैं। अनुज्ञा की शर्तें आदेश क्रमांक- 877/खनिज/परि.अनु./2021-22, हरदा दिनांक- 25.02.2022 अनुसार यथावत रहेगी।

10/10/2022
प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा

निरन्तर 2

आवक/प्रतिवेदन

क. वि. अ. कार्यालय, डिगजर

पृ.क./-389/खनिज/परि.अनु./2022-23

हरदा,दिनांक- 10/10/2022

प्रतिलिपि -

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, रहटगांव की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, खनिज शाखा हरदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

10/10/2022
प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक/408/खनिज/परि.अनु./2022-23

हरदा,दिनांक/7/10/2022

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

✓ प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड महू,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम आलनपुर तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 105/8 का कुल रकबा 3.269 क्षेत्र में तालाब निर्माण/गहरीकरण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन करने बावत।

- संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 14.02.2022
2.तहसीलदार, हरदा का रा.प्र.क्रं.0526/ब-121/21-22 दिनांक 30.12.2021
3.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 11.10.2022

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, ग्राम आलनपुर तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 105/8 का कुल रकबा 3.269 क्षेत्र में से 1.214 हे. क्षेत्र में तालाब निर्माण/गहरीकरण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 50,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने का लेख है।

तहसीलदार, हरदा की आर्डरशीट दिनांक 30.12.2021 से उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम आलनपुर तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 105/8 का कुल रकबा 3.269 क्षेत्र में से 1.214 हे. ग्राम में ईशतहार का प्रकाशन किया गया तथा समयावधि में कोई आपतियों प्राप्त नहीं पाई गई। मिट्टी परिवहन की अनुमति सक्षम विभाग से प्राप्त होने शर्तों पर अनुमति प्रदान किये जाने का लेख है।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 11.10.2022 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम आलनपुर तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 105/8 का कुल रकबा 3.269 क्षेत्र में से 1.214 हे. क्षेत्र पर तालाब निर्माण अंतर्गत निकले साधारण मिट्टी मात्रा 50,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, मौके पर वर्तमान में लगभग मात्रा 50,000 घ.मी. निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।


अतः आपके पक्ष में भूमि ग्राम आलनपुर तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 105/8 का कुल रकबा 3.269 क्षेत्र में से 1.214 हे. क्षेत्र पर तालाब निर्माण/गहरीकरण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 50,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 17/10/2022 से दिनांक 17/10/2022 तक निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

- 1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।
- 2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।

निरन्तर.....2



- 3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।
- 4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।
- 5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा। बगैर वैध ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।
- 6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।
- 7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
- 9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- 10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।




प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

पृ.क्रमांक / 409 / खनिज / परि.अनु. / 2022-23
प्रतिलिपि :-

हरदा,दिनांक 17/10/2022

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।



प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक/410/खनिज/परि.अनु./2022-23

हरदा,दिनांक/7/10/2022

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

✓ प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड महु,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम मनियाखेड़ी तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 182/3 का कुल रकबा 2.040 हे0 क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन करने बावत।

संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 14.03.2022
2.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 11.10.2022

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, ग्राम मनियाखेड़ी तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 182/3 का कुल रकबा 2.040 हे0 क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 70,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने का लेख है।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 11.10.2022 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम मनियाखेड़ी तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 182/3 का कुल रकबा 2.040 हे0 क्षेत्र पर परिवहन किये जाने का लेख है उक्त भूमि पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले साधारण मिट्टी मात्रा 70,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, मौके पर वर्तमान में लगभग मात्रा 70,000 घ.मी.खनिज निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में ग्राम मनियाखेड़ी तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 182/3 का कुल रकबा 2.040 हे0 क्षेत्र उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 70,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 17/10/2022 से दिनांक 17/12/2022 तक निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

- 1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।
- 2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।
- 3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।
- 4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।
- 5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा। वगैर वैध ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।
- 6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।


निरन्तर.....2

7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।

9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।




प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

पृ.क्रमांक / 411 / खनिज / परि.अनु. / 2022-23
प्रतिलिपि :-

हरदा,दिनांक 17/10 /2022

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-रहटगांव की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।



प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)



कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक 1502 / खनिज / परि.अनु. / 2022-23

हरदा, दिनांक 20/12/2022

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड महू,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-157/19 का कुल रकबा 1.619 हे0 क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन करने बावत।

- संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 09.12.2022
2.तहसीलदार, रहटगांव का पत्र क्रं.2285/प्रवा.1/तह./2022 हरदा,दि.19.12.2022
3.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 19.12.2022

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-157/19 का कुल रकबा 1.619 क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,50,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने का लेख है।

तहसीलदार, हंडिया का प्रतिवेदन दिनांक 19.12.2022(हल्का पटवारी प्रतिवेदन,घंचानामा) में उल्लेख किया है, कि ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-157/19 का कुल रकबा 1.619 क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन का लेख किया है, उक्त क्षेत्र पर परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

प्र.खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 19.12.2022 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-157/19 का कुल रकबा 1.619 हे. क्षेत्र पर परिवहन किये जाने का लेख है उक्त भूमि पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले साधारण मिट्टी मात्रा 1,50,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, मौके पर वर्तमान में लगभग मात्रा 1,50,000 घ.मी.खनिज निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-157/19 का कुल रकबा 1.619 हे. क्षेत्र उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,50,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम. 1996 के नियम. 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 21/12/2022 से दिनांक 31/12/2023 तक निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये. गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।

2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।

निरन्तर.....2

o/c

88888888
21/12/2022
आवेदन परमिट
अधिकारी/जायक शाखा
तहसील रहटगांव

21-12-22
अधिकारी/जायक शाखा
तहसील रहटगांव

- 3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।
- 4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।
- 5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा। बगैर वैध ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।
- 6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।
- 7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
- 9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- 10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।


 प्रभारी अधिकारी
 (खनिज शाखा)
 जिला-हरदा(म.प्र.)

पृ.क्रमांक / 703 / खनिज / परि.अनु. / 2022-23
 प्रतिलिपि :-

हरदा, दिनांक 20/12/2022

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-रहटगांव की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।


 प्रभारी अधिकारी
 (खनिज शाखा)
 जिला-हरदा(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक / ११ / खनिज / परि.अनु. / 2022-23

हरदा, दिनांक ०८/०२/2023

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड महू,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम भुन्नास तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-195/1 का कुल रकबा 4.047 हे.में से रकबा 1.214 हे.(3 एकड़) क्षेत्र में तालाब निर्माण/गहरीकरण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन करने बावत।

संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 13.05.2022
2.इस कार्यालय का पत्र क्रमांक-278, दिनांक 26.08.2022 एवं पत्र क्रं. 553, दिनांक 25.11.2022
3.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 09.01.2023

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, ग्राम भुन्नास तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-195/1 का कुल रकबा 4.047 हे.में से रकबा 1.214 हे.(3 एकड़) क्षेत्र में तालाब निर्माण/गहरीकरण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने का लेख है।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 09.01.2023 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम भुन्नास तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-195/1 का कुल रकबा 4.047 हे.में से रकबा 1.214 हे.(3 एकड़) क्षेत्र पर तालाब निर्माण अंतर्गत निकले साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, मौके पर वर्तमान में तालाब निर्माण अंतर्गत लगभग मात्रा 1,00,000 घ.मी. निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में भूमि ग्राम भुन्नास तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं. -195/1 का कुल रकबा 4.047 हे.में से रकबा 1.214 हे.क्षेत्र पर तालाब निर्माण/गहरीकरण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक ०९/०२/२०२३ से दिनांक २०/०३/२०२३ तक निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।

2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।

3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।

4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।

5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा। वगैर वैध ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।

निरन्तर.....2

आर्डर परमिट

6-यह कि रवीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिवधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।

7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

8-यह कि उपरोक्त रवीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।

9.रवीकृत अस्थायी अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।

प्रभारी अधिकारी
खनिज शाखा
जिला-हरदा(म.प्र.)

पृ.क्रमांक/123/खनिज/परि.अनु./2022-23
प्रतिलिपि :-

हरदा,दिनांक 08/02/2023

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

प्रभारी अधिकारी
खनिज शाखा
जिला-हरदा(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक / 126 / खनिज / परि.अनु / 2022-23

हरदा, दिनांक 08/02/2023

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड महू,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम ऊँडा तह0 हरदा जिला हरदा की भूमि खसरा नं.-53 का कुल रकबा 11.348 हे.में से रकबा 1.214 हे.(3 एकड़) क्षेत्र में तालाब निर्माण/गहरीकरण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन करने बावत।

- संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 26.04.2022
2.इस कार्यालय का पत्र क्रमांक-110, दिनांक 19.05.2022 एवं पत्र क्रं. 551, दिनांक 25.11.2022
3.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 10.01.2023

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, ग्राम ऊँडा तह0 हरदा जिला हरदा की भूमि खसरा नं.-53 का कुल रकबा 11.348 हे.में से रकबा 1.214 हे.(3 एकड़) क्षेत्र में तालाब निर्माण/गहरीकरण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने का लेख है।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 10.01.2023 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम ऊँडा तह0 हरदा जिला हरदा की भूमि खसरा नं.-53 का कुल रकबा 11.348 हे.में से रकबा 1.214 हे.(3 एकड़) क्षेत्र पर तालाब निर्माण अंतर्गत निकले साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, मौके पर वर्तमान में तालाब निर्माण अंतर्गत लगभग मात्रा 1,00,000 घ.मी. निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में भूमि ग्राम ऊँडा तह0 हरदा जिला हरदा की भूमि खसरा नं.-53 का कुल रकबा 11.348 हे.में से रकबा 1.214 हे.(3 एकड़) क्षेत्र पर तालाब निर्माण/गहरीकरण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 09/02/2023 से दिनांक 28/03/2023 तक निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

- 1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।
- 2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।
- 3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।
- 4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।
- 5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा। वगैर वैध ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।

गिरन्तर.....2

आर्डर परगिट


6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिवधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।

7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।

9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।


प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

पृ.क्रमांक / 127 / खनिज / परि.अनु. / 2022-23
प्रतिलिपि :-

हरदा.दिनांक 08/02 / 2023

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।


प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक / १५ / खनिज / परि.अनु. / 2022-23

हरदा, दिनांक ०८/०१/२०२३

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

हरदा प्राथवेज प्रा०लिमि०

76, माल रोड महु,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम खिड़की तह० टिमरनी जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 201 का कुल रकबा 1.712 हे० क्षेत्र पर तालाब निर्माण/गहरीकरण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन करने बावत।

- संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 06.09.2022
2.अनुविभागीय अधिकारी(रा०) टिमरनी का आदेश क्रमांक-3397, दिनांक 23.11.2022
3.राजस्व निरीक्षक, टिमरनी का प्रतिवेदन दिनांक 01.08.2022
3.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 09.01.2023

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, ग्राम खिड़की तह० टिमरनी जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 201 का कुल रकबा 1.712 हे० क्षेत्र पर तालाब निर्माण/गहरीकरण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 80,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने का लेख है।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)टिमरनी का (रा०नि०प्रतिवेदन) प्रतिवेदन दिनांक 23.11.2022 से उल्लेख किया गया है, किं आवेदित भूमि ग्राम खिड़की तह० टिमरनी जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 201 का कुल रकबा 1.712 हे० क्षेत्र पर तालाब निर्माण करना चाहता है, जिसका उपयोग वह स्वयं के उपयोग हेतु करेगा तथा तालाब निर्माण से भूमि गत जलस्तर में वृद्धि होगी और तालाब के पानी का उपयोग सिंचाई कार्य में किया जायेगा। तालाब निर्माण उपरांत तालाब के चारों ओर पाल बनानी होगी, जिससे कोई जन दुर्घटना ना हो, तालाब निर्माण अपने भूमिस्वामी हक की भूमि पर करना होगा सशर्त अनुसंशा की गई है।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 09.01.2023 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम खिड़की तह० टिमरनी जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 201 का कुल रकबा 1.712 हे० क्षेत्र पर तालाब निर्माण अंतर्गत निकले साधारण मिट्टी मात्रा 80,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, मौके पर वर्तमान में तालाब निर्माण अंतर्गत लगभग मात्रा 80,000 घ.मी. खनिज निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुसंशा की गई है।

अतः आपके पक्ष में ग्राम खिड़की तह० टिमरनी जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.- 201 का कुल रकबा 1.712 हे० क्षेत्र पर तालाब निर्माण/गहरीकरण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 80,000 घ.मी. को म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक ०९/०२/२०२३ से दिनांक २०/०३/२०२३ तक निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

- 1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।
- 2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।

निरन्तर.....2

आर्डर परमिट

- 3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।
- 4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।
- 5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा। बगैर वैध ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।
- 6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।
- 7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
- 9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- 10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

पृ.क्रमांक/125 /खनिज/परि.अनु./2022-23
प्रतिलिपि :-

हरदा,दिनांक 08/07/2023

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-टिमरनी की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक / 77 / खनिज / परि.अनु. / 2022-23

हरदा, दिनांक / 7/02 / 2023

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

प्रकाश एरफाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड महु,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-261/1, 261/4, 261/3 एवं 261/5 का कुल रकबा 2.915 हे0 क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन करने वावत।

संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 31.01.2023
2.प्र.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 10.02.2023

--000--

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-261/1, 261/4, 261/3 एवं 261/5 का कुल रकबा 2.915 हेक्टे. क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 2,00,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने का लेख है।

प्र.खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 10.02.2023 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-261/1, 261/4, 261/3 एवं 261/5 का कुल रकबा 2.915 हेक्टे. क्षेत्र पर परिवहन किये जाने का लेख है उक्त भूमि पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले साधारण मिट्टी मात्रा 2,00,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, मौके पर वर्तमान में समतलीकरण उपरांत लगभग मात्रा 2,00,000 घ.मी.खनिज निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं. -261/1, 261/4, 261/3 एवं 261/5 का कुल रकबा 2.915 हेक्टे. क्षेत्र उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 2,00,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक / 7/02/2023 से दिनांक / 6/03/2023 तक निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

- 1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।
- 2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।
- 3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।
- 4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।

निरन्तर.....2

आर्डर परमिट



5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा।
बगैर वैध ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।

6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।

7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।

9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।


प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

पृ.क्रमांक/178/खनिज/परि.अनु./2022-23
प्रतिलिपि :-

हरदा,दिनांक 17/02/2023

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-रहटगांव की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।


प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

आर्डर परमिट

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक /173/ खनिज/परि.अनु./2022-23

हरदा,दिनांक 17/02/2023

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड महु,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-157/7 का कुल रकबा 1.456 हे0 क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन करने बावत।

संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 03.02.2023
2.प्र.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 10.02.2023

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-157/7 का कुल रकबा 1.456 हेवटे. क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने का लेख है।

प्र.खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 10.02.2023 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-157/7 का कुल रकबा 1.456 हे.क्षेत्र पर परिवहन किये जाने का लेख है उक्त भूमि पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, मौके पर वर्तमान में समतलीकरण उपरांत लगभग मात्रा 1,00,000 घ.मी.खनिज निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-157/7 का कुल रकबा 1.456 हेवटे. क्षेत्र उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 17/02/2023 से दिनांक 16/03/2023 तक निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

- 1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।
- 2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।
- 3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।
- 4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।

गिरन्तर..... 2

आर्डर परमिट

- 5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैद्य ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा। वगैर वैद्य ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।
- 6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।
- 7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज विक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
- 9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- 10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

पृ.क्रमांक / 174 / खनिज / परि.अनु. / 2022-23
प्रतिलिपि :-

हरदा,दिनांक 17/02 / 2023

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-रहटगांव की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

आर्डर परमिट

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक / 175 / खनिज / परि.अनु. / 2022-23

हरदा, दिनांक / 7 / 02 / 2023

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

✓ प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड महू,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-157/11/2/1 का कुल रकबा 0.809 हे0 क्षेत्र पर उबड़-खावड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन करने वावत।

संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 20.01.2023
2.प्र.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 10.02.2023

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-157/11/2/1 का कुल रकबा 0.809 हेक्टे. क्षेत्र पर उबड़-खावड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने का लेख है।

प्र.खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 10.02.2023 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं. -157/11/2/1 का कुल रकबा 0.809 हे.क्षेत्र पर परिवहन किये जाने का लेख है उक्त भूमि पर उबड़-खावड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, मौके पर वर्तमान में समतलीकरण उपरांत लगभग मात्रा 1,00,000 घ.मी.खनिज निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेगागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं. -157/11/2/1 का कुल रकबा 0.809हेक्टे. क्षेत्र उबड़-खावड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 17/02/2023 से दिनांक 16/03/2023 तक निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।

2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।

3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।

4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।

निरन्तर.....2

आर्डर परमिट

- 5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा। वगैर वैध ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।
- 6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।
- 7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज विक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
- 9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- 10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

पृ.क्रमांक/176/खनिज/परि.अनु./2022-23
प्रतिलिपि :-

हरदा,दिनांक 17/02/2023

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-रहटगांव की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक/२४७/खनिज/परि.अनु./2022-23

हरदा, दिनांक ३/०३/2023

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड महू,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-261/1, 261/4, 261/3 एवं 261/5 का कुल रकबा 2.915 हे0 क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन करने बावत।

- संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 16.03.2023
2.कार्यालयीन आदेश क्रमांक-177, दिनांक 17.02.2023
3.प्र.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 17.03.2023

--000--

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-261/1, 261/4, 261/3 एवं 261/5 का कुल रकबा 2.915 हेक्टे. क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 2,00,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने कार्यालयीन आदेश क्रमांक-177, दिनांक 17.02.2023 से दिनांक 16.03.2023 तक प्रदान की गई है। सीमित अवधि होने से उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, इसलिये 1,50,000 घ.मी. साधारण मिट्टी उठाने की अनुमति एवं 03 माह की कार्यावधि बढ़ाने की अनुमति चाही गई है का लेख है।


प्र.खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 17.03.2023 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-261/1, 261/4, 261/3 एवं 261/5 का कुल रकबा 2.915 हेक्टे. क्षेत्र पर परिवहन किये जाने का लेख है उक्त भूमि पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले साधारण मिट्टी मात्रा 2,00,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते है, मौके पर वर्तमान में समतलीकरण कर मात्रा 1,00,000 घ.मी.खनिज निकली पाई गई है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-261/1, 261/4, 261/3 एवं 261/5 का कुल रकबा 2.915 हेक्टे. क्षेत्र उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 100,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 29.../03/2023 से दिनांक 29.../03/2023 तक सशर्त प्रदान की जाती है। अनुज्ञा की शर्तों आदेश क्रमांक-177/खनिज/परि.अनु./2022-23, हरदा दिनांक-17.02.2023 अनुसार यथावत रहेगी।




प्रकाश अधिकारी
खनिज शाखा
जिला-हरदा(म.प्र.)

निसार2



// 2 //

पृ.क्रमांक/२०८/खनिज/परि.अनु./२०२२-२३
प्रतिलिपि :-

हरदा,दिनांक ३/०३/२०२३

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिगरनी की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-रहटगांव की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।



प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)


Nishu


Nishu


खनिज निरीक्षण
जिला-हरदा


जानक/राजक शाखा
तहसील-रहटगांव


जिला-हरदा

आर्डर परगिट

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक / २४१/खनिज / परि.अनु. / 2022-23

हरदा, दिनांक 3/03/2023

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड महु,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-157/7 का कुल रकबा 1.456 हे0 क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन अनुज्ञा अवधि बढ़ाने बाबत।

- संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 16.03.2023
2.प्र.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 17.03.2023

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है, ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-157/7 का कुल रकबा 1.456 हेक्ट. क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक-173, दिनांक 17.02.2023 से दिनांक 16.03.2023 तक प्रदान की गई थी, सीमित अवधि होने से उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, इसलिये 1,00,000 घ.मी. साधारण मिट्टी उठाने की अनुमति एवं 03 माह की कार्यावधि बढ़ाने की अनुमति चाही गई है का लेख है।

प्र.खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 17.03.2023 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-157/7 का कुल रकबा 1.456 हे. क्षेत्र पर परिवहन किये जाने का लेख है उक्त भूमि पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, मौके पर वर्तमान में समतलीकरण कर मात्रा 80,000 घ.मी.खनिज निकली पाई गई है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-157/7 का कुल रकबा 1.456 हेक्ट. क्षेत्र उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 80,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 29/03/2023 से दिनांक 30/04/2023 तक बढ़ाई जाती है। अनुज्ञा की शर्तें आदेश क्रमांक-173/खनिज/परि.अनु./2022-23, हरदा दिनांक-17.02.2023 अनुसार यथावत रहेंगी।


प्रमारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)


निसार2

आडर परमिट

पृ.क्रमांक/२१०/खनिज/परि.अनु./2022-23
प्रतिलिपि :-

हरदा,दिनांक 3/10/2023

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-रहटगांव की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।


प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)



आर्डर परमिट

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक २९ / खनिज / परि.अनु. / 2022-23

हरदा, दिनांक ३ / ०३ / 2023

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड महु,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम डगावानीमा तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-90/3 का कुल रकबा 7.442 हे0 में से 1.214 हे. क्षेत्र पर तालाब निर्माण/गहरीकरण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन करने वावत।

- संदर्भ-** 1.आपका आवेदन दिनांक 11.04.2022
2.तहसीलदार, हरदा का रा0प्र0क्रं.0005/बी-121/2022-23 दिनांक 08.04.2022
3.प्र.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 27.03.2023

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है ग्राम डगावानीमा तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-90/3 का कुल रकबा 7.442 हे0 में से 1.214 हे. क्षेत्र पर तालाब निर्माण/गहरीकरण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने का लेख है।

तहसीलदार हरदा आर्डरशीट प्रतिवेदन दिनांक 08.04.2022 से उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम डगावानीमा तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-90/3 का कुल रकबा 7.442 हे0 में से 1.214 हे. क्षेत्र भूमिस्वामी रामदयाल आ.देवीसिंह राजपूत स्वयं की मर्जी से सिंचाई के लिये तालाब खुदाई करवाना चाहता है, जिसमें ग्राम पंचायत डगावानीमा को कोई आपत्ति नहीं है। इस सर्वे क्रमांक के पास कोई भी खदान,शमशन इत्यादि नहीं है यह सर्वे का क्षेत्र नहर का टेल क्षेत्र उपरी क्षेत्र है। यहा नहर का पानी बहुत देर से पहुँचता है एवं इस जगह भूमि नल स्तर भी बहुत नीचा है। जिससे आवेदक तथा इस सर्वे क्रमांक के आस-पास लगे कृषकों को फसल सिंचित करने में बहुत परेशानी होती है। सर्वे क्रं.90/3 में तालाब का निर्माण होने से आस-पास का भू-जल स्तर में सुधार होगा एवं फसले भी आसानी से सिंचित हो सकेगी।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 27.03.2023 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम डगावानीमा तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-90/3 का कुल रकबा 7.442 हे0 में से 1.214 हे. क्षेत्र पर तालाब निर्माण अंतर्गत निकले साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, मौके पर वर्तमान में तालाब निर्माण अंतर्गत लगभग मात्रा 1,00,000 घ.मी.खनिज निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में ग्राम डगावानीमा तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-90/3 का कुल रकबा 7.442 हे0 में से 1.214 हे. क्षेत्र पर तालाब निर्माण/गहरीकरण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 29 / 03 / 2023 से दिनांक 30 / 04 / 2023 तक निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

निरन्तर.....2



(Handwritten signature)

- 1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।
- 2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।
- 3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।
- 4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।
- 5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा। बगैर वैध ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।
- 6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।
- 7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
- 9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- 10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।


प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

पृ.क्रमांक/२१२/खनिज/परि.अनु./2022-23
प्रतिलिपि :-

हरदा,दिनांक 31/03/2023

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।


प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)


10/4/23
प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

आर्डर परमिट

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक 416 / खनिज / परि.अनु. / 2023-24

हरदा, दिनांक 02/05/2023

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

✓ प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड महु,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-259/81, 259/2 का कुल रकबा 3.184 हे0 क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन करने बावत।

- संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 20.03.2023
2.नायब तहसीलदार, रहटगांव का पत्र क्रमांक-459/प्रवा./ना.तह./2023/रहटगांव दिनांक 27.04.2023
3.प्र.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 01.05.2023

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है कि, ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि (जितेन्द्र कुमार आ.पन्नालाल एवं शिवकुमार आ.पन्नालाल) खसरा नं.-259/81, 259/2 का कुल रकबा 3.184 हे0 क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,60,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने का लेख है।

नायब तहसीलदार, रहटगांव (हल्का घटवारी प्रतिवेदन सहित) का प्रतिवेदन दिनांक 27.04.2023 में उल्लेख है, कि ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा का खसरा नं.-259/81, रकबा 1.592 हे.क्षेत्र जितेन्द्र कुमार आ.पन्नालाल के नाम से दर्ज है, जिसमें रकबा 1.000 हे.क्षेत्र भूमि उबड़-खाबड़ टीलेनुमा है। 259/2 रकबा 1.592 हे. क्षेत्र शिवकुमार आ. पन्नालाल के नाम दर्ज है, जिसमें रकबा 1.000 हे.भूमि उबड़-खाबड़ टीलेनुमा है खसरा नं.-259/81, 259/2 का कुल रकबा 3.184 हे0 में से 2.000 हे.क्षेत्र भूमि उबड़-खाबड़ व टीलेनुमा है। उक्तरोक्त दोनो खसरों के पूर्व दिशा में किनारे से गंजाल नदी लगी हुई है।

प्र.खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 01.05.2023 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-259/81, 259/2 का कुल रकबा 3.184 हे0 क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,60,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, खसरा नं.-259/81, 259/2 का कुल रकबा 3.184 हे0 में से 2.000 हे.क्षेत्र भूमि उबड़-खाबड़ व टीलेनुमा है। उपरोक्त खसरों के पूर्व दिशा में किनारे से गंजाल नदी लगी है, जिससे 100 मीटर दूरी छोड़ने के उपरांत बाकी बची जगह को ही समतल किया जावे। मौके पर वर्तमान में समतलीकरण पश्चात् लगभग मात्रा 1,00,000 घ.मी.खनिज निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-259/81, 259/2 का कुल रकबा 3.184 हे0 में से 2.000 हे क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 02/05/2023 से दिनांक 01/07/2023 तक निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।

निरन्तर.....2

आर्डर परमिट

02/05/2023

- 2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।
- 3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।
- 4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।
- 5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा। बगैर वैध ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।
- 6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।
- 7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
- 9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा जारी समय-समय पर समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- 10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।

02/05/2023
 प्रभारी अधिकारी
 खनिज शाखा
 जिला-हरदा(म.प्र.)

पु.क्रमांक/ ५१७/खनिज/परि.अनु./2023-24
 प्रतिलिपि :-

हरदा,दिनांक 02/05/2023

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-रहटगांव की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।


 प्रभारी अधिकारी
 खनिज शाखा
 जिला-हरदा(म.प्र.)

आर्डर परमिट

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक / 459 / खनिज / परि.अनु. / 2023-24

हरदा, दिनांक 1/05/2023

:: परिवहन अनुज्ञा ::

प्रति,

✓ प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड महू,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम डगावानीमा तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-90/3 का कुल रकबा 7.442 हे0 में से 1.214 हे. क्षेत्र पर तालाब निर्माण/गहरीकरण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी की परिवहन अनुज्ञा अवधि बढ़ाने बावत।

संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 04.05.2023
2.कार्यालयीन आदेश क्रमांक-291, दिनांक 31.03.2023
3.प्र.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 08.05.2023

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है ग्राम डगावानीमा तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-90/3 का कुल रकबा 7.442 हे0 में से 1.214 हे. क्षेत्र पर तालाब निर्माण/गहरीकरण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक-291, दिनांक 31.03.2023 से कार्यावधि दिनांक 29.03.2023 से दिनांक 30.04.2023 तक प्रदान की गई थी, चूंकि कंपनी द्वारा आवेदन में उल्लेख किया गया है, कि सीमित अवधि होने से उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, इसलिये अतिरिक्त मात्रा 1,00,000 घ.मी. साधारण मिट्टी उठाने की अनुमति एवं कार्यावधि बढ़ाने का लेख है।

खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 08.05.2023 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम डगावानीमा तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-90/3 का कुल रकबा 7.442 हे0 में से 1.214 हे. क्षेत्र पर तालाब निर्माण अंतर्गत निकले साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-291, दिनांक 31.03.2023 से कार्यावधि दिनांक 29.03.2023 से दिनांक 30.04.2023 तक प्रदान की गई थी, चूंकि कंपनी द्वारा आवेदन में उल्लेख किया गया है, कि सीमित अवधि होने से उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, इसलिये अतिरिक्त मात्रा 1,00,000 घ.मी. साधारण मिट्टी उठाने की अनुमति एवं कार्यावधि बढ़ाने का लेख है। मौके पर वर्तमान में तालाब निर्माण/गहरीकरण पश्चात मात्रा 80,000 घ.मी. खनिज निकाल कर रखी हुई है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः आपके पक्ष में ग्राम डगावानीमा तह0 हरदा जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-90/3 का कुल रकबा 7.442 हे0 में से 1.214 हे. क्षेत्र पर तालाब निर्माण/गहरीकरण अंतर्गत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 80,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 14/05/2023 से दिनांक 12/06/2023 तक तक सशर्त प्रदान की जाती है। अनुज्ञा की शर्तें आदेश क्रमांक-291/खनिज/परि.अनु./2022-23, हरदा दिनांक-31.03.2023 अनुसार यथावत रहेगी।

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)
निरन्तर.....2

आर्डर परमिट



पृ.क्रमांक / 460 खनिज / परि.अनु. / 2023-24
प्रतिलिपि :-

हरदा, दिनांक 11/05/2023

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।


प्रभासी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-हरदा(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक / 560/ खनिज/ परि.अनु./ 2023-24

हरदा, दिनांक 9/6/2023

:: संशोधित आदेश ::

प्रति,

प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड महू,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-259/81, 259/2 का कुल रकबा 3.184 हे0 क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन करने बावत।

संदर्भ- 1.आपका आवेदन दिनांक 20.03.2023

2.नायब तहसीलदार, रहटगांव का पत्र क्रमांक-459/प्रवा./ना.तह./2023/रहटगांव दिनांक 27.04.2023

3.प्र.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 01.05.2023

4.कार्यालयीन आदेश क्रमांक-416, दिनांक 02.05.2023

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है कि, ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि (जितेन्द्र कुमार आ.पन्नालाल एवं शिवकुमार आ.पन्नालाल) खसरा नं.-259/81, 259/2 का कुल रकबा 3.184 हे0 क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,60,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने का लेख है।

नायब तहसीलदार, रहटगांव (हल्का पटवारी प्रतिवेदन सहित) का प्रतिवेदन दिनांक 27.04.2023 में उल्लेख है, कि ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा का खसरा नं.-259/81, रकबा 1.592 हे.क्षेत्र जितेन्द्र कुमार आ.पन्नालाल के नाम से दर्ज है, जिसमें रकबा 1.000 हे.क्षेत्र भूमि उबड़-खाबड़ टीलेनुमा है। 259/2 रकबा 1.592 हे. क्षेत्र शिवकुमार आ. पन्नालाल के नाम दर्ज है, जिसमें रकबा 1.000 हे.भूमि उबड़-खाबड़ टीलेनुमा है खसरा नं.-259/81, 259/2 का कुल रकबा 3.184 हे0 में से 2.000 हे.क्षेत्र भूमि उबड़-खाबड़ व टीलेनुमा है। उक्तरोक्त दोनो खसरों के पूर्व दिशा में किनारे से गंजाल नदी लगी हुई है।

प्र.खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 01.05.2023 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-259/81, 259/2 का कुल रकबा 3.184 हे0 क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,60,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, खसरा नं.-259/81, 259/2 का कुल रकबा 3.184 हे0 में से 2.000 हे.क्षेत्र भूमि उबड़-खाबड़ व टीलेनुमा है। उपरोक्त खसरों के पूर्व दिशा में किनारे से गंजाल नदी लगी है, जिससे 100 मीटर दूरी छोड़ने के उपरांत बाकी बची जगह को ही समतल किया जावे। मौके पर वर्तमान में समतलीकरण पश्चात् लगभग मात्रा 1,00,000 घ.मी.खनिज निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः उपरोक्त कार्यालयीन आदेश क्रमांक-416, दिनांक 02.05.2023 से परिवहन अनुज्ञा अवधि दिनांक 02.05.2023 से दिनांक 01.07.2023 तक अनुमति प्रदान की गई थी, उक्त आदेश को संशोधित करते हुये आपके पक्ष में ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-259/81, 259/2 का कुल रकबा 3.184 हे0 में से 2.000 हे क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 02/05/2023 से दिनांक 05/06/2023 तक निम्नलिखित शर्ता पर प्रदान की जाती है।

1-अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।

निरन्तर.....2

आर्डर परमिट


- 2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।
- 3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।
- 4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।
- 5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा। बगैर वैध ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।
- 6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।
- 7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
- 9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा जारी समय-समय पर समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- 10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।


अपर कलेक्टर,
जिला-हरदा(म.प्र.)


पृ.क्रमांक / 56 / खनिज / परि.अनु. / 2023-24
प्रतिलिपि :-

हरदा, दिनांक 09/06/2023

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-रहटगांव की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।


अपर कलेक्टर,
जिला-हरदा(म.प्र.)

Google map of the site



कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा

हरदा से टेमागांव अंतर्गत ग्राम भादूगांव तह0रहटगांव में जारी प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड टोल इंडिया लिमि0 को जारी परिवहन अनुज्ञा का विवरण

क्र.	आवेदनकर्ता	खसरा	स्वीकृत रकबा (हे.)	आवेदित मात्रा (घ.मी.)	खनिज मिट्टी	भूमि/भूमि स्वामी सहमति	आवेदित ग्राम	तहसील	समयावधि	आदेश
1	प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड टोल हाईवेज(इंडिया) 76,माल रोड महु, जि0 इंदौर	259/26/2,2 59/26/3,25 9/26/4	2.000	15000, 50,000 एवं 1,00,000	साधारण मिट्टी	निजी भूमि	भादूगांव	रहटगांव	01.12.2021 से 01.02.2021 तक 20.04.2022 से 19.05.2022 एवं 01.09.2022 से 30.11.2022	1.आदेश क्रमांक /538/खनिज/परि. अनुज्ञा 2021-22 दिनांक 01.12.20 2. आदेश क्रमांक /41/खनिज/परि. अनुज्ञा 2022-23 दिनांक 20.04.2022 3. आदेश क्रमांक /270/खनिज/परि. अनुज्ञा 2022-23 दिनांक 01.09.2022
2	प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड टोल हाईवेज(इंडिया) 76,माल रोड महु, जि0 इंदौर	259/13/1 259/13/2 259/13/3 259/40 259/41	2.450	25000, एवं 1,00,000	साधारण मिट्टी	निजी भूमि	भादूगांव	रहटगांव	29.12.2021 से 28.01.2022 तक 01.09.2022 से 30.11.2022	1.आदेश क्रमांक /630/खनिज/परि. अनुज्ञा 2021-22 दिनांक 28.12.2022 2.आदेश क्रमांक /268/खनिज/परि. अनुज्ञा 2022-23 दिनांक 26.08.2022
3	प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड टोल हाईवेज(इंडिया) 76,माल रोड महु, जि0 इंदौर	157/18	1.012	1,00,000	साधारण मिट्टी	निजी भूमि	भादूगांव	रहटगांव	11.10.2022 से 10/12.2022	1. आदेश क्रमांक 386/खनिज परि. अनुज्ञा 2022-23 हरदा दिनांक 10.10.2022
4	प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड टोल हाईवेज(इंडिया) 76,माल रोड महु, जि0 इंदौर	90/3	1.214	1,00,000	साधारण मिट्टी	निजी भूमि	भादूगांव	रहटगांव	29.03.2023 से 30.04.2023 तक	2.आदेश क्रमांक 291/खनिज परि. अनुज्ञा 2022-23 हरदा दिनांक 31.03.2023
5	प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड टोल हाईवेज(इंडिया) 76,माल रोड महु, जि0 इंदौर	157/19	1.619	1,50,000	साधारण मिट्टी	निजी भूमि	भादूगांव	रहटगांव	21.12.2022 से 31/01.2023	1. आदेश क्रमांक 702/खनिज परि. अनुज्ञा 2022-23 हरदा दिनांक 21.12.2022

6	प्रकाश एसफाल्टिंग एंड टोल हाईवेज(इंडिया) 76,माल रोड महु, जि0 इंदौर	157/7	1.456	1,00,000, 80000	साधारण मिट्टी	निजी भूमि	भादूगाव	रहटगाव	17.02.2023 से 16.03.2023 तक 29.03.2023 से 30.04.2023 तक	1.आदेश क्रमांक 173/खनिज परि. अनुज्ञा 2022-23 हरदा दिनांक 17.02.2023 2.आदेश क्रमांक 289/खनिज परि. अनुज्ञा 2022-23 हरदा दिनांक 31.03.2023
7	प्रकाश एसफाल्टिंग एंड टोल हाईवेज(इंडिया) 76,माल रोड महु, जि0 इंदौर	157/11/2/1	0.809	1,00,000	साधारण मिट्टी	निजी भूमि	भादूगाव	रहटगाव	17.02.2023 से 16.03.2023 तक	1.आदेश क्रमांक 175/खनिज परि. अनुज्ञा 2022-23 हरदा दिनांक 17.02.2023
8	प्रकाश एसफाल्टिंग एंड टोल हाईवेज(इंडिया) 76,माल रोड महु, जि0 इंदौर	261/1,261/4, 261/3, एवं 261/5	2.915	2,00,000	साधारण मिट्टी	निजी भूमि	भादूगाव	रहटगाव	17.02.2023 से 16.03.2023 तक 29.03.2023 से 30.04.2023 तक	1.आदेश क्रमांक 177/खनिज परि. अनुज्ञा 2022-23 हरदा दिनांक 17.02.2023 2.आदेश क्रमांक 287/खनिज परि. अनुज्ञा 2022-23 हरदा दिनांक 31.03.2023
9	प्रकाश एसफाल्टिंग एंड टोल हाईवेज(इंडिया) 76,माल रोड महु, जि0 इंदौर	259/81,259/2	2.000	1,00,000	साधारण मिट्टी	निजी भूमि	भादूगाव	रहटगाव	02.05.2023 से 01.07.2023 तक	आदेश क्रमांक 416/खनिज परि. अनुज्ञा 2023-24 हरदा दिनांक 02.05.2023
10	प्रकाश एसफाल्टिंग एंड टोल हाईवेज(इंडिया) 76,माल रोड महु, जि0 इंदौर	259/1	0.911	50,000	साधारण मिट्टी	निजी भूमि	भादूगाव	रहटगाव	22.11.2021 से 07.10.2022 तक	आदेश क्रमांक 527/खनिज परि. अनुज्ञा 2021-22 हरदा दिनांक 26.11.2021
			16.386	1270000						



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
(Ministry of Road Transport and Highways)
पक्रिड. - गफान नं. 54-55 (प्रथम तल), अमरलोक कॉलोनी, हरदा (म.प्र.)-461331
P.U. Office - H.No. 54-55 (1st Floor) Amartok Colony Harda (M.P.)-461331
e-mail : piuharda@nhai.org, phaiharda@gmail.com



भाराराप्रा/पक्रिड/हरदा/रा.रा.-47/हरदा-टेमागाँव/पै-1/2023/2527

दिनांक 02.06.2023

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय MOPRO, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
प्लाट नं 28 सी, सेक्टर न्यू औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप,
जिला - रायसेन (म.प्र.)

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/2023 (राजेश यादव विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 21.04.2023 के अनुपालन बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 899/क्षेका/प्रनिबो/2023 मंडीदीप दिनांक 17.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत, संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा निम्नानुसार जानकारी चाही गई थी जिसके तारतम्य में इस कार्यालय के संविदाकार मेसर्स हरदा पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/2023 (राजेश यादव विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 21.04.2023 के अनुपालन हेतु गठित समिति द्वारा दिनांक 15.05.2023 को स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत फैंक्चुअल एक्शन टेकन रिपोर्ट हेतु प्रकरण से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है :-

स.क्र	प्रश्न	जबाब
1	निर्माणाधीन परियोजना, पिण्डगांव से टेमागांव 30 किलोमीटर से सड़क निर्माण कार्य हेतु डी.पी.आर अनुसार मिट्टी भूमि भराव हेतु कितनी मात्रा में मिट्टी प्रस्तावित की गयी है	निर्माणाधीन परियोजना, पिण्डगांव से टेमागाँव 30 किलोमीटर में सड़क निर्माण कार्य हेतु डी.पी.आर. अनुसार मिट्टी भराव हेतु लगभग 30,87,375 घनमीटर मात्रा में मिट्टी प्रस्तावित की गयी थी
	व वर्तमान अवधि तक कितनी मात्रा का उपयोग किया जा चुका है	व वर्तमान अवधि में मिट्टी लगभग 22,27,403 घनमीटर और फ्लाइ ऐश लगभग 7,09,972 घनमीटर मात्रा का उपयोग किया जा चुका है।
	तथा प्रोजेक्ट पूर्ण होने तक अभी कितनी मात्रा का ओर उपयोग होना संभावित है, की जानकारी प्रस्तुत करें।	तथा प्रोजेक्ट पूर्ण होने तक अभी लगभग 1,50,000 घनमीटर मात्रा का ओर उपयोग होना संभावित है।
2	उक्त परियोजना में भूमि भराव हेतु कितनी मात्रा फ्लाइ ऐश तथा कितनी मात्रा मिट्टी का प्रावधान रखा गया है कि जानकारी प्रस्तुत करें।	निर्माणाधीन परियोजना भूमि भराव हेतु 7,09,972 घनमीटर मात्रा फ्लाइ ऐश का उपयोग किया जा चुका है।
3	उक्त प्रोजेक्ट की डी.पी.आर की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।	उक्त प्रोजेक्ट की डी.पी.आर. इस पत्र के साथ संलग्न की गयी है।
4	सड़क निर्माण हेतु अनुबधित ठेकेदार द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत उपयोग में आने वाली मिट्टी के उखन्न व परिवहन हेतु क्या संबंधित विभागों से अनुमति प्राप्त की गई है, यदि हाँ तो कृपया सभी की प्रतियां प्रस्तुत करें।	ठेकेदार द्वारा मिट्टी के उखन्न व परिवहन अनुलग्नक ए में संलग्न है।

सधन्यवाद।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

परियोजना निदेशक
भा.रा.रा.प्रा.पक्रिड-हरदा



LION ENGINEERING CONSULTANTS PVT. LTD.

"Contributing in Building the Infrastructure of the Nation"

Project office:
House no. 27/121, Sudama Nagar,
Jaipur Tent Wali Gali
Harda (M.P.) - 461331
Email: hardatamgav@lionsgroup.in

Letter No. LEC/3321/23-24/Har-Tem/Environmental/577

Date: 31.05.2023

To,

The Project Director,
Project Implementation Unit (PIU),
National Highways Authority of India,
PIU-Harda 54-55, Amarlok Colony, Near LBS Colloge,
Harda (M.P.) Email: nhaiharda@gmail.com

Sub: Four laning of Harda to Temagav section from (Design Ch. 0+000/Existing Ch. 141+750) to (Design Ch. 30+000/Existing Ch. 180+500) section of NH-47 (Old NH-59A) (Design Length 30.000km) in the State of MP. **Reg.** माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/2023 (राजेश यादव विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 21.04.2023 के अनुपालन बाबत।

संदर्भ:

1. भा.रा.रा.प्रा. ई मेल दिनांक 17.05.2023.
2. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र क्रमांक 899/क्षे क/प्र नि बो/2023 मण्डीदीप दिनांक 17.05.2023
3. Letter no. LEC/3321/22-23/Har-Tem/CM Helpline/568 Dated: 22.05.2023
4. PATH/HPPL/2023-24/1460 Dated: 29.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा मांगी गई जानकारी Concessionaire द्वारा बिन्दुवार प्रस्तुत की गई। जिसकी (निर्माण सामग्री) मात्रा हमारे द्वारा Lab Record/DPR/Approved FRL के अनुसार जाँच की गई है। जिसकी मात्रा अनुमानित हो सकती है। चूंकि निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण अनुमानित मात्रा ही प्रस्तुत की जा सकती है। कृपया आपके अवलोकन हेतु Concessionaire द्वारा प्रस्तुत मात्रा इस पत्र के साथ संलग्न है।

क्रमांक	विवरण	मात्रा
1	DPR में प्रस्तावित मिट्टी की मात्रा	3087375 घन मी.
2	वर्तमान अवधि तक उपयोग की गई अनुमानित मिट्टी की मात्रा	2227403 घन मी.
3	उपयोग की जाने वाली फ्लाइऐश की अनुमानित मात्रा	709972 घन मी.
4	प्रोजेक्ट पूर्ण होने तक उपयोग होने वाली सम्भावित मिट्टी की मात्रा	150000 घन मी.

Corporate office : "LION TOWER", Plot No. 97, Elegant Estate, Mother Teresa School, Behind Petrol Pump, Kolar Road, Bhopal - 462042 (M.P.)
Regional Office : Mumbai | Gurugram | Raipur
Tele / Fax : +91 755 2879439 E-mail: corporate@lionsgroup.in info@lionsgroup.in
Website : www.lionsgroup.in





LION ENGINEERING CONSULTANTS PVT. LTD.

"Contributing in Building the Infrastructure of the Nation"

Project office:

House no. 27/121, Sudama Nagar,

Jaipur Tent Wall Gali


Harda (M.P)- 461331

Email: hardatengav@liongroup.in

Thanking you,

Yours Faithfully,

For & On Behalf of M/s Lion Engineering Consultants Private Limited,



Shaileendra Tiwari
Team Leader

संलग्न:-

1. सन्दर्भित पत्र क्रमांक 4

Copy to:-

1. The Authorized representative, M/s Harda Pathways Private Limited, 76, Mall, Road, Mhow Indore. Email: path@pathltd.com
2. H.Q Lion Engineering Consultants Pvt. Ltd., Bhopal-M.P. Email: design@liongroup.in

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.
2.
3.
4.

Corporate office : * LION TOWER *, Plot No. 97, Elegant Estate, Near Mother Teresa School, Behind Petrol Pump, Kelzar Road, Bhopal - 462042 (M.P.)
 Regional Office : Mumbai | Gurugram | Raipur
 Tele / Fax : +91 755 2879499 E-mail : corporate@liongroup.in, info@liongroup.in
 Website : www.liongroup.in



HPPL**HARDA PATHWAYS PRIVATE LIMITED**

PATH/HPPL/2023-24/1460

दिनांक: 29/05/2023

प्रति,
परियोजना प्रबंधक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
इकाई - हरदा,
म.प्र.

विषय: एनएच-47 (पुराना एनएच-59ए) (डिजाइन की नंबाई) (डिजाइन: 0+000/मोजूदा अर्थात् 141+750) में (डिजाइन 30+000/मोजूदा अर्थात् 180+500) खंड तक हरदा में टेमागाव खंड को चार लेन का बनाना (डिजाइन की नंबाई) हाइब्रिड वार्मिकी मोड-पैकेज। पर मध्य प्रदेश राज्य में भारत माना परियोजना चरण-1 (आर्थिक गतिधारा) के तहत 30.00 किमी.)- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/2023 (राजेश यादव विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 21/04/2023के अनुपालन बाबत।

संदर्भ: 1) आपका पत्र क्रमांक - 899/क्षेका/पनिबो / 2023 17/05/2023
2) NHAI Email :- 19/05/2023

उपरोक्त विषयसंगत लेख है कि दिनांक 15/05/2023 माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/2023 (राजेश यादव विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 21/04/2023 के अनुपालन हेतु गठित समिति द्वारा दिनांक 15/05/2023 को स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत कैम्प्युअल एक्शन टेकन रिपोर्ट हेतु प्रकरण से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है -

क्रमांक	अवलोकन	पत्र क्रमांक ८९९/क्षेका/पनिबो/२०२३ का अनुपालन
1	निर्माणाधीन परियोजना, पिडगांव में टेमागाव 30 किलोमीटर में सड़क निर्माण कार्य हेतु डी.पी.आर अनुसार मिट्टी भराव हेतु कितनी मात्रा में मिट्टी प्रस्तावित की गयी है व वर्तमान अवधि तक कितनी मात्रा का उपयोग किया जा चुका है, तथा प्रोजेक्ट पूर्ण होने तक अभी कितनी मात्रा का और उपयोग होना संभावित है, की जानकारी प्रस्तुत करें।	निर्माणाधीन परियोजना, पिडगाव में टेमागाव 30 किलोमीटर में सड़क निर्माण कार्य हेतु डी.पी.आर अनुसार मिट्टी भराव हेतु लगभग 30,87,375 घनमीटर मात्रा में मिट्टी प्रस्तावित की गयी थी व वर्तमान अवधि में मिट्टी लगभग 22,27,403 घनमीटर मात्रा का उपयोग किया जा चुका है, तथा प्रोजेक्ट पूर्ण होने तक अभी लगभग 1,50,000 घनमीटर मात्रा का और उपयोग होना संभावित है।
2	उक्त परियोजना में भूमि भराव हेतु कितनी मात्रा फ्लाई ऐश तथा कितनी मात्रा मिट्टी का प्रावधान रखा गया है की जानकारी प्रस्तुत करें।	निर्माणाधीन परियोजना भूमि भराव हेतु 7,09,972 घनमीटर मात्रा फ्लाई ऐश उपयोग किया जा चुका है।
3	उक्त प्रोजेक्ट की डी.पी.आर की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।	उक्त प्रोजेक्ट की डी.पी.आर इस पत्र के साथ संलग्न की गयी है।
4	सड़क निर्माण हेतु अनुबंधित ठेकेदार द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत उपयोग में आने वाली मिट्टी के उत्खनन व परिवहन हेतु क्या सम्बंधित विभागों से अनुमति प्राप्त की गयी है, यदि हां तो कल्पना यभी की प्रतिया प्रस्तुत करें।	ठेकेदार द्वारा मिट्टी के उत्खनन व परिवहन अनुमतिपत्र ए में संलग्न।

धन्यवाद
अधिकृत प्रा.
हरदा प्रा.प्रा.प्रा.
Harada Pathways Private Limited

प्रतिनिधि :- मेमर्स सायन इंजीनियरिंग कंगनटेंट, हरदा

Regd Office: 76, MALL ROAD, MIIOW - 453441, DISTRICT - INDORE, MADHYA PRADESH
Phone No. : +91-7324-275001, 274616, 400317
Fax No. : 400318
E-mail: path@pathltd.com



HARDA PATHWAYS PRIVATE LIMITED

अनुलप्रक-ए

क्र.	दिनांक	अनुशा. क्र.	खेती न.	अनुज्ञा मापा	सहमील	ग्राम	उत्पन्न मापा	रिभार्क
1	26-11-21	526/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2021-22	259/1	50000	रहदगाव	भादगाव	50000	1 खसरा
2	01-12-21	538/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2021-22	259/26/2,259/26/3,259/26/4	15000	रहदगाव	भादगाव	15000	3 खसरा
3	22-12-21	612/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2021-22	2	25000	हरदा	आवगाव पूर्व	25000	1 खसरा
4	22-12-21	614/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2021-22	97/1	20000	श्रवदा	हरदा पूर्व	20000	1 खसरा
5	28-12-21	630/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2021-22	259/12/1,259/40,259/13/2,259/13/3,259/41	25000	रहदगाव	भादगाव	25000	5 खसरा
6	23-03-22	956/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2021-22	4/1,4/7	7000	हरदा	आवगाव पूर्व	7000	2 खसरा
7	20-04-22	41/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2022-23	259/26/2,259/26/3,259/26/4	50000	रहदगाव	भादगाव	50000	3 खसरा
8	20-04-22	45/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2022-23	2	80000	हरदा	आवगाव पूर्व	80000	1 खसरा
9	20-04-22	47/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2022-23	97/1	50000	हरदा	हरदा पूर्व	50000	1 खसरा
10	20-04-22	43/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2022-23	186/1,185/1,184/1,184/2	80000	रहदगाव	मनिया घेडी	80000	4 खसरा
11	26-08-22	252/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2022-23	259/13/1,259/13/2,259/13/3,259/40,259/41	100000	रहदगाव	भादगाव	100000	5 खसरा
12	26-08-22	270/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2022-23	259/26/2,259/26/3,259/26/4	100000	रहदगाव	भादगाव	100000	3 खसरा
13	26-08-22	272/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2022-23	97/1	200000	हरदा	हरदा पूर्व	200000	1 खसरा
14	26-08-22	274/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2022-23	2	200000	हरदा	आवगाव पूर्व	100000	1 खसरा
15	10-10-22	385/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2022-23	157/18	100000	रहदगाव	भादगाव	100000	1 खसरा
16	10-10-22	390/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2022-23	14	60000	हरिदा	मोनिया	0	1 खसरा
17	10-10-22	382/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2022-23	26/1,29/3,30/1,98/1,99/1 (k),100/1,100/3,100/4	60000	हरिदा	कसपानाव	0	8 खसरा
18	10-10-22	384/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2022-23	141/4/1	60000	हरिदा	मोनिया	0	1 खसरा
19	10-10-22	383/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2022-23	186/1,185/1,184/1,184/2	200000	रहदगाव	मनिया घेडी	200000	4 खसरा
20	17-10-22	402/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2022-23	105/8	50000	हरदा	आवगाव पूर्व	0	1 खसरा
21	17-10-22	410/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2022-23	182/3	70000	रहदगाव	मनिया घेडी	70000	1 खसरा
22	20-11-22	102/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2022-23	157/19	150000	रहदगाव	भादगाव	100000	1 खसरा
23	08-02-23	122/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2022-23	195/1	100000	हरदा	पुगाव	100000	1 खसरा
24	08-02-23	126/प्रतिज्ञा/परि. अनु./2022-23	53	100000	हरदा	उदा	100000	1 खसरा

Regd. Office: 76, MALL ROAD, MHOW - 459441, DISTRICT - INDIRA PRAGHANA PRADESH
 Phone No. : +91-7524-275061, 274616, 400317
 Fax No. - 400318
 E-mail: path@hpppl.com



HPPL**HARDA PATHWAYS PRIVATE LIMITED**

क्र.	दिनांक	अनुज्ञा क्र.	सर्वे न.	अनुज्ञा मात्रा	सड़मील	ग्राम	उत्खनन मात्रा	रिमांक
25	08-02-23	124/अनिज्ञ/परि.अनु./2022-23	201	80000	रिमांकी	विद्रिक्याना	80000	1 खमरा
26	17-02-23	177/अनिज्ञ/परि.अनु./2022-23	261/1,261/4,261/3,261/5	200000	रहदगाव	भादगाव	45000	4 खमरा
27	17-02-23	173/अनिज्ञ/परि.अनु./2022-23	157/7	100000	रहदगाव	भादगाव	100000	1 खमरा
28	17-02-23	175/अनिज्ञ/परि.अनु./2022-23	157/11/2/1	100000	रहदगाव	भादगाव	70000	1 खमरा
29	31-03-23	267/अनिज्ञ/परि.अनु./2022-23	261/1,261/4,261/3,261/5	100000	रहदगाव	भादगाव	35000	4 खमरा
30	31-03-23	289/अनिज्ञ/परि.अनु./2022-23	157/7	80000	रहदगाव	भादगाव	80000	1 खमरा
31	31-03-23	291/अनिज्ञ/परि.अनु./2022-23	90/3	100000	हरदा	डगना नीमा	100000	1 खमरा
32	02-05-23	416/अनिज्ञ/परि.अनु./2023-24	259/81,259/2	100000	रहदगाव	भादगाव	100000	2 खमरा
33	11-05-23	459/अनिज्ञ/परि.अनु./2023-24	90/3	80000	हरदा	डगना नीमा	80000	1 खमरा
कुल				2892000			2262000	



Regd. Office: 76, MALL ROAD, MHOW - 431441, DISTRICT - INDRAPUR, MADHYA PRADESH
Phone No.: 491-7324-275004, 274610, 400317
Fax No.: 490318
E-mail: path@pathpl.com

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा

क्रमांक/148/खनिज/परि.अनु./2017 हरदा,दिनांक 27/04/2017

---: आदेश :---

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68 में हुये संशोधन दिनांक 22.06.2015 अनुसार, के उपनियम (6)नियम 3 के खण्ड(तीन) के अंतर्गत ठेकेदार कुनाल स्ट्रक्चर (इंडिया) प्रा०लिमि० कुनाल हाउस, गंगा पार्क, प्लाट नं.10, संस्कृति अपार्टमेन्ट के सामने पंचवटी, मेन रोड, राजकोट गुजराज ,हा०मु० केम्प ग्राम नांदवा कुटी तह०रहटगांव, जिला हरदा को कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यादेश क्रमांक-1830/एस.ए.सी./2016-17 हरदा,दिनांक 15.06.2016 अनुसार तवा,बांयी मुख्य नहर की आर.डी. 90240 से 128508 मी. तक सी.सी. लाइनिंग कार्य जिला हरदा में अनुबंध क्रमांक-5/2016-17 दिनांक 28.07.2016 के अंतर्गत प्राप्त कार्य को पूर्ण करने हेतु ग्राम भादूगांव तह० रहटगांव की निजी भूमि खसरा क्रमांक-261/3 रकबा 0.696 हेक्टे० क्षेत्र जिस पर भूमि स्वामी द्वारा भूमि को कृषि उपयोग बनाने हेतु किये जा रहे समतलीकरण अंतर्गत निकलने वाले खनिज मिट्टी मात्रा लगभग 25,000 घन मी. के मात्र परिवहन की अनुज्ञा आदेश दिनांक 27.04.2017 से 26.10.2017 तक निम्न लिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1- अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से उठाये एवं परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।
- 2- अनुज्ञापत्रधारी, दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/ सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।
- 3- अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा अभिवहन पासों की द्वितीय प्रति का उपयोग में न लाये हुए समस्त अभिवहन पासों को पूर्ण विवरण सहित संबंधित विभाग के प्राधिकृत द्वारा प्रमाणित हो, मंजूरी प्राधिकृत को प्रस्तुत करेगा।
- 4- म०प्र०राज्यपत्र दिनांक 06 सितम्बर 2013 में प्रकाशित अधिसूचना अनुसार म०प्र०गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68 में संशोधन उपरांत यह प्रावधान किया गया है कि "राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, प्राधिकरण, मण्डल, स्थानीय निकाय अथवा राज्य के सरकारी विभाग के अधीन किए गए और किए जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों के लिए साधारण मिट्टी और मुरम पर रायल्टी देय नहीं होगी "

निरंतर.....2

//2//

- 5- यह कि स्वीकृत खनिज मात्रा के परिवहन हेतु प्रारूप "नौ" में अभिवहन पास जारी किये जावेंगे।
- 6- यह कि अभिवहन पास में मूल रायल्टी जारी करते समय द्विसतही कार्बन का उपयोग करना होगा तथा रायल्टी रसीद में दिनांक एवं समय अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी अंकित करना होगा।
- 7- यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी तथा अवैध खनन का प्रकरण कायम किया जावेगा।
- 8- यह कि उपरोक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।

012
खनिज अधिकारी
खनिज अधिकारी
जिला-हरदा
खनिज शाखा, हरदा

पृ.क./149-53/खनिज/परि.अनु./2017 हरदा,दिनांक- 27/04/2017
प्रतिलिपि -

- 1- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी तहसील टिमरनी, जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- तहसीलदार, तहसील रहटगांव की ओर सूचनार्थ।
- 4- खनि निरीक्षक हरदा, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 5- ठेकेदार कुनाल स्ट्रक्चर (इंडिया) प्रा०लि०मि० कुनाल हाउस, गंगा पार्क, प्लॉट नं.10, संस्कृति अपार्टमेंट के सामने पंचवटी, मेन रोड, राजकोट गुजराज, हा०मु० केम्प ग्राम नांदवा कुटी तह०रहटगांव, जिला हरदा की ओर उनके आवेदन पत्र दिनांक 24/12/2016 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

खनिज अधिकारी
S.D.M. कृष्णा, तहसीलदार
तहसील हरदा

आर्डर परमिट

012
खनिज अधिकारी
खनिज शाखा, हरदा

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा

क्रमांक/154/खनिज/परि.अनु./2017 हरदा,दिनांक 24/04/2017

—:: आदेश ::—

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68 में हुये संशोधन दिनांक 22.06.2015 अनुसार, के उपनियम (6)नियम 3 के खण्ड(तीन) के अंतर्गत ठेकेदार कुनाल स्ट्रक्चर (इंडिया) प्रा०लिमि० कुनाल हाउस, गंगा पार्क, प्लॉट नं.10, संस्कृति अपार्टमेन्ट के सामने पंचवटी, मेन रोड, राजकोट गुजराज ,हा०मु० केम्प ग्राम नांदवा कुटी तह०रहटगांव, जिला हरदा को कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यादेश क्रमांक-1830/एस.ए.सी./2016-17 हरदा,दिनांक 15.06.2016 अनुसार तवा,बांयी मुख्य नहर की आर.डी. 90240 से 128508 मी. तक सी.सी. लाइनिंग कार्य जिला हरदा में अनुबंध क्रमांक-5/2016-17 दिनांक 28.07.2016 के अंतर्गत प्राप्त कार्य को पूर्ण करने हेतु ग्राम भादूगांव तह० रहटगांव की निजी भूमि खसरा क्रमांक-261/5 रकबा 0.714 हेक्टे० क्षेत्र जिस पर भूमि स्वामी द्वारा भूमि को कृषि उपयोग बनाने हेतु किये जा रहे समतलीकरण अंतर्गत निकलने वाले खनिज मिट्टी मात्रा लगभग 30,000 घन मी. के मात्र परिवहन की अनुज्ञा आदेश दिनांक 27.04.2017 से 26.10.2017 तक निम्न लिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1- अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से उठाये एवं परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।
- 2- अनुज्ञापत्रधारी, दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/ सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।
- 3- अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा अभिवहन पासों की 'द्वितीय प्रति का उपयोग में न लाये हुए समस्त अभिवहन पासो को पूर्ण विवरण सहित संबंधित विभाग के प्राधिकृत द्वारा प्रमाणित हो, मंजूरी प्राधिकृत को प्रस्तुत करेगा।
- 4- म०प्र०राज्यपत्र दिनांक 06 सितम्बर 2013 में प्रकाशित अधिसूचना अनुसार म०प्र०गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68 में संशोधन उपरांत यह प्रावधान किया गया है कि "राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, प्राधिकरण, मण्डल, स्थानीय निकाय अथवा राज्य के सरकारी विभाग के अधीन किए गए और किए जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों के लिए साधारण मिट्टी और मुरम पर रायल्टी देय नहीं होगी "

निरंतर.....2

//2//

- 5- यह कि स्वीकृत खनिज मात्रा के परिवहन हेतु प्रारूप "नौ" में अभिवहन पास जारी किये जावेंगे।
- 6- यह कि अभिवहन पास में मूल रायल्टी जारी करते समय द्दिसतही कार्बन का उपयोग करना होगा तथा रायल्टी रसीद में दिनांक एवं समय अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी अंकित करना होगा।
- 7- यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी तथा अवैध खनन का प्रकरण कायम किया जावेगा।
- 8- यह कि उपरोक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।

Mr. P. K.
खनिज अधिकारी
खनिज शाखा, हरदा

o/c

पृ.क./155-56/खनिज/परि.अनु./2017 हरदा,दिनांक-27/04/2017
प्रतिलिपि -

- 1- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी तहसील टिमरनी, जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- तहसीलदार, तहसील रहटगांव की ओर सूचनार्थ।
- 4- खनि निरीक्षक हरदा, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 5- ठेकेदार कुनाल स्ट्रक्चर (इंडिया) प्रा०लिमि० कुनाल हाउस, गंगा पार्क, प्लॉट नं.10, संस्कृति अपार्टमेन्ट के सामने पंचवटी, मेन रोड, राजकोट गुजराज, हा०मु० केम्प ग्राम नांदवा कुटी तह०रहटगांव, जिला हरदा की ओर उनके आवेदन पत्र दिनांक 24/12/2016 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अध्यक्ष की कार्यालय में जल संसाधन, हरदा
S.D.M. Panchwati, तहसील रहटगांव की
तारी 24/12/16

आर्डर परमिट

o/c
27/3/17

Mr. P. K.
खनिज अधिकारी,
खनिज शाखा, हरदा

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1960]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2013/श्रावण 31, 1935

No. 1960]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2013/SHRAVANA 31, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त 2013

का.आ.2559(अ).-केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय में पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (5) और उप-धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 दिसंबर, 2006 द्वारा निदेश दिया है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही नई परियोजनाओं या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या कार्यकर्ताओं के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए अपरिहार्य क्षमतावर्धन के लिए प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और या उत्पाद मिश्रण, भारत के किसी भी भाग में यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्बन्ध रूप से गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण संचालन निर्धारण प्राधिकरण की उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में पूर्व पर्यावरण निकासी के पश्चात् ही हाथ में लिया जाएगा;

और भारत सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय में राजमागी, भवनों और विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय निकासी प्रदान करने से संबंधित पर्यावरण संचालन निर्धारण अधिसूचना, 2006 के उपबंधों का पुनर्विचार करने के लिए कार्यालय गणन सं. 21-270/2008-आईए.III, तारीख 11 दिसंबर, 2012 और पर्यावरण और वन मंत्रालय के गणनपुंजी भवनों के संबंध में कार्यालय गणन तारीख 7 फरवरी, 2011 द्वारा सदस्य, (पर्यावरण और वन तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था :

3649 GI/2013

(1)

और समिति के संदर्भ के निबंधनों (टीओआर) में एक निबंधन पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना के अधीन 60 मीटर के मार्गाधिकार और 200 किलोमीटर लंबी राजमार्ग विस्तार परियोजनाओं के लिए पर्यावरण निकासी की अपेक्षाओं का पुनर्विलोकन करना था ;

और समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इस टीओआर पर समिति ने राजमार्ग विस्तार परियोजनाओं को विस्तारण की अपेक्षा और पर्यावरण संघात निर्धारण से छूट देने की सिफारिश की है या राजमार्ग विस्तार परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रबंधन परियोजना माइन टीओआर, जिसे मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा के अनुसार तैयार किया जा सकता है और पर्यावरण निकासी की अपेक्षा के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि 100 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का विस्तार जिसमें अतिरिक्त मार्गाधिकार या विद्यमान संरेखणों पर 40 मीटर तक अर्जन और पुनःसंरेखण पर 60 मीटर या उप-मार्गों को अधिसूचना की परिधि से बाहर रखने की सिफारिश की है ;

और समिति की रिपोर्ट की पर्यावरण और वन मंत्रालय में जांच की गई है । पहले ही अधिसूचना सं. का. आ. 3067(अ) तारीख 1 दिसंबर, 2009 द्वारा सभी राज्य राजमार्ग विस्तार परियोजनाओं को सिवाय उन परियोजनाओं के जो पहाड़ी क्षेत्रों (1000 मीटर एएमएसएल) और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में है, को पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना 2006 से छूट प्रदान कर दी गई है ।

और अन्य बातों के साथ पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कार्यालय जापन सं. 21-270/2008-आईए.III, तारीख 11 दिसंबर, 2012 द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की पूर्वोक्त सिफारिशों को स्वीकार करने का विनिश्चय किया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (5) और उपधारा (1) द्वारा पदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 में उक्त नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देने के लिए निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में,-

(क) पैरा 7 के उपपैरा 11 के मद (1) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

(1) "विस्तारण" उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है, जिसके द्वारा प्रवर्ग 'क' परियोजना क्रियाकलापों के मामले में विशेषज्ञ आंकलन समिति और प्रवर्ग 'ख 1' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में, राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति, जिसके अंतर्गत विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन उस परियोजना या क्रियाकलाप, जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति ईप्सित की गई है, के संबंध में पर्यावरण समाधात निर्धारण रिपोर्ट (ईआईए) तैयार करने के लिए सभी सुसंगत पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करते हुए विस्तृत और समय निर्देश के निबंधनों का अवधारण और विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर आंकलन समिति विहित आवेदन प्ररूप 1/प्ररूप1क में दी गई जानकारी के आधार पर जिसके अंतर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तावित निर्देश के निबंधन हैं, किसी विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर आंकलन समिति के किसी उप समूह द्वारा स्थल घमण यदि संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए, आवेदक द्वारा सुझाए गए निर्देश के निबंधन, यदि प्रस्तुत किए जाए और अन्य सूचना जो विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति के पास उपलब्ध हों, सम्मिलित है:

परंतु निम्नलिखित को विस्तारण की आवश्यकता नहीं होगी-

(I) अनुसूची के मद 8 में प्रवर्ग ख के रूप में सूचीबद्ध सही परियोजनाएं और कार्यकलाप (नगरों या वाणिज्यिक परिसरों या आवासन का संनिर्माण) ;

(II) अनुसूची के मद 7 की उपमद (घ) के अधीन स्तंभ (3) और स्तंभ (4) की प्रविष्टि (II) के अधीन आने वाली राजमार्ग विस्तार परियोजनाएं ; परंतु यह और कि -

अ. खंड (I) में निर्दिष्ट परियोजनाएं और कार्यकलापों का अंकन प्ररूप 1 या प्ररूप 1क और अवधारणा योजना के आधार पर किया जाएगा ;

आ. खंड (II) में निर्दिष्ट परियोजनाएं पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट माडल टीओआर के आधार पर ईआईए और इएमपी रिपोर्ट तैयार करेंगी ;

(ख) अनुसूची में मद 7 की उप मद (घ) के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टि (II) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(II) राष्ट्रीय राजमार्गों का 100 किलोमीटर से अधिक विस्तार जिनमें अतिरिक्त 40 मीटर से अधिक विद्यमान संरेखणों पर और पुनः संरेखणों या उपमार्गों पर 60 मीटर क्षेत्राधिकार या भूमि अर्जन अंतर्बन्धित है ।"

[फा.सं.21-270/2008-आईए.।।।]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (II) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए :

1. का.आ. 1733(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
4. का.आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012; और
5. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2013

S.O. 2559(E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas the Government of India in the Ministry of Environment and Forests had constituted a High Level Committee under the Chairmanship of Member (Environment and Forests and Science and Technology), Planning Commission, vide OM No.21-270/2008-IA.III dated the 11th December, 2012 to review the provisions of Environmental Impact Assessment Notification, 2006 relating to granting Environmental Clearances for Roads, Buildings and Special Economic Zone projects and provisions under the OM dated the 7th February, 2012 issued by the Ministry of Environment and Forests regarding guidelines for High Rise Buildings;

And whereas one of the terms of reference (ToR) of the Committee was to review the requirement of Environmental Clearance for highway expansion projects up to the right of way of 60 meters and length of 200 kms under Environmental Impact Assessment notification;

And whereas the Committee has submitted its report to the Ministry and on this ToR, the Committee has recommended exempting highway expansion projects from the requirement of scoping and that Environmental Impact Assessment or Environment Management Plan for highway expansion projects may be prepared on the basis of model ToRs to be posted on Ministry's website and in respect of requirement of environmental clearance, the Committee has recommended that expansion of National Highway projects up to 100 kms involving additional right of way or land acquisition up to 40 mts on existing alignments and 60 mts on re-alignments or by-passes may be exempted from the preview of the notification.

And whereas the report of the Committee has been examined in the Ministry of Environment and Forests. Earlier, vide notification S.O. 3067(E), dated the 1st December 2009 all State Highway expansion projects, except those in hilly terrain (above 1000 m AMSL) and ecologically sensitive areas, have already been exempted from the purview of the Environmental Impact Assessment notification, 2006.

And whereas, keeping inter-alia in view the foregoing, the Ministry of Environment and Forests has decided to accept the aforesaid recommendations of the High Level Committee constituted vide OM No.21-270/2008-IA.III, dated the 11th December 2012;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rule 5 in public interest, namely:—

2. In the said notification, —

(a) in paragraph 7, in sub-paragraph II, for item (i), the following item shall be substituted, namely:

(i) "Scoping" refers to the process by which the Expert Appraisal Committee in the case of Category A projects activities, and State level Expert Appraisal Committee in the case of Category 'B' projects or activities, including applications for expansion or modernization or change in product mix of existing projects or activities, determine detailed and comprehensive Terms of Reference (TOR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environment Impact Assessment (EIA) Report in respect of the project or activity for which prior environmental clearance is sought and the Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned shall determine the terms of reference on the basis of the information furnished in the prescribed application Form I or Form IA including terms of reference proposed by the applicant, a site visit by a sub-group of Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned only if considered necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, terms of Reference suggested by the applicant if furnished and other information that may be available with the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned:

Provided that the following shall not require Scoping:

- (i) all projects and activities listed as Category 'B' in item 8 of the Schedule (Construction or Township or Commercial Complexes or Housing);
- (ii) all Highway expansion projects covered under entry (ii) of column (3) and column (4) under sub-item (f) of item 7 of the Schedule;

Provided further that—

- A. the projects and activities referred to in clause (i) shall be appraised on the basis of Form I or Form IA and the conceptual plan;
- B. The projects referred to in clause (ii) shall prepare EIA and EMP report on the basis of model TOR specified by Ministry of Environment and Forests;

(b) in the Schedule, against sub-item (f) of item 7, in column (3), for the entry (ii), the following entry shall be substituted, namely:—

- "(ii) Expansion of National Highways greater than 100 km involving additional right of way or land acquisition greater than 40m on existing alignments and 60m on re-alignments or by-passes."

[F. No. 21-270/2008-IA.III]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:—

1. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;
3. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012; and
5. S.O. 674(E), dated the 13th March, 2013



राज्य स्तराया पर्यावरण रक्षाधात निधारण प्राधिकरण

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण निगोजन एवं सभनय सभनय

पर्यावरण परिषद, ई-३, अरण को-जरी

भोपाल-४६२०१४ (म.प्र.)

वेबसाइट:- <http://www.mppr.org.in>

दूरभाष नं - ०१५५-२४६६७०, २४६६६९

फैक्स नं - ०१५५-२४६२१३०

No: 1642 / SEIAA/2021
Date: 12.8.2021

प्रति,

कलेक्टर,

जिला - हरदा (म.प्र.)

विषय: ग्राम भादूगांव तहसील रहटगांव जिला हरदा की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 259/1 में से अंश रकबा 0.911 हे. क्षेत्र पर खनिज साधारण मिट्टी उत्खनन/अस्थाई अनुज्ञा में जारी औद्दातिक गंजूरी में मार्गदर्शन बावत्।

संदर्भ: संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म का पत्र क्र. 10311 दिनांक 28.07.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार मेसर्स प्रकाश एक्वालिटिक एण्ड टोल इण्डिया लि. को ग्राम भादूगांव तहसील रहटगांव जिला हरदा की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 259/1 में से अंश रकबा 0.911 हे. क्षेत्र पर खनिज साधारण मिट्टी उत्खनन/अस्थाई अनुज्ञा राष्ट्रीय राजमार्ग-47 हरदा-देतूल खण्ड के फोरलेन निर्माण कार्य हेतु साधारण मिट्टी की निकासी निष्कासन वा प्रयोग करने पर पर्यावरणीय अनापत्ति की आवश्यकता के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

उल्लेखनीय है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.03.2020 के परिशिष्ट-9 के विन्दु क्र. 6 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सड़क, हाईपलाईन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी की निकासी, निष्कासन वा प्रयोग करना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति से छूट प्रदान की गई है।

12/08/21
(श्रीगणेश शुक्ला)
सदस्य सचिव

/SEIAA/2021

दिनांक -

लेपि :-

संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, 29-ए खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।

प्रति,

प्रकारा एस्फालटिंग एवं टोल हाईवे (इंडिया) लिमि.
(पाथ इंडिया लिमि.)
हाल निवास ग्राम भादूर्गोव (अंधेरीखेडा)
तहसील- रहटर्गोव

द्वारा:- तहसीलदार रहटर्गोव (सूचना पत्र संबंधित को तामील कराने लेने से इंकार करने अथवा मीके पर न मिलने की स्थिति में ऑफिस पर चस्पा कर तामीली हेतु)

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) टिमरनी, जिला हरदा द्वारा तहसीलदार, रहटर्गोव के जॉच के आधार पर प्रतिवेदित किया है, कि आपकी कंपनी द्वारा ग्राम भादूर्गोव (अंधेरीखेडा) तहसील रहटर्गोव, जिला हरदा के विभिन्न खसरा नम्बरों जिनकी कुल संख्या 19 है, से 3,44,509.68 घनमीटर मुरुम/मिट्टी का बिना अनुमति के खनन कर लिया है ।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार, रहटर्गोव द्वारा अवैध उत्खनन हेतु बताई मात्रा 3,44,509.68 घनमीटर का खनिज विभाग से प्राप्त मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के नियम 18(1) एवं 18(2) के तहत अर्थदण्ड राशि रु. 25,83,82,260=00 एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि रु. 25,83,82,260=00 कुल शास्ति राशि रु. 51,67,64,520=00 परिगणित होती है ।

उक्तानुसार प्रतिवेदनों से मेरा समाधान है, कि आपके द्वारा ग्राम भादूर्गोव (अंधेरीखेडा) में बिना प्रथम अनुमति के कुल 3,44,509.68 घनमीटर मुरुम/मिट्टी का उत्खनन किया है । अतएव आपके उक्त हेतु हेतु क्यों न आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के नियम 18 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप नियम 18(1) एवं 18(2) के तहत अर्थदण्ड राशि रु. 51,67,64,520=00 (अर्थदण्ड+पर्यावरण क्षतिपूर्ति) अधिरोपित की जावे ।

आप पेशी दिनांक 14/03/2023 को उपस्थित होकर प्रतिउत्तर तथा पक्ष समर्थन करना निश्चित करें । यदि उक्त अवैध स्वीकार है, तो सूचना पत्र जारी होने से पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के तुर प्रकरण में प्रशमन शुल्क राशि रु. 1000/- का भुगतान कर प्रशमन कर सकते हैं ।

नियत पेशी दिनांक पर उपस्थित नहीं होने तथा पक्ष समर्थन नहीं करने अथवा सूचना-पत्र के दिवस के अंदर प्रकरण में प्रशमन एवं अर्थदंड राशि जमा न करने की स्थिति में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के नियम 18 (4) सहपठित धारा 18 (5) तथा विल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधो अनुसार अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि दुगनी कर अधिरोपित की वेगी ।

सूचना पत्र आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा लगाकर जारी किया जाता है ।



(प्रवीण फुलपगारे)
अपर कलेक्टर
जिला हरदा

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा (म.प्र.)

क्रमांक/555/खनिज/2023-24
प्रति,

हरदा, दिनांक 09/06/2023

1. अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
अनुभाग-टिभरनी,
जिला-हरदा (म.प्र.)
2. खनिज अधिकारी,
जिला-हरदा(म.प्र.)

विषय:- ग्राम भादूगांव तह0रहटगांव जिला हरदा में अवैध उत्खनन एवं परिवहन की निगरानी के संबंध में।


संदर्भ:- मा0राष्ट्रीय हरित अधिकारी सेन्ट्रल ब्रेंच, भोपाल का प्रकरण क्रमांक-28/2023 (cz)

-000-

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्रानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग फोरलेन(हरदा से टेमगांव) सड़क निर्माण प्रकाश एस्फालिटिंग एंड टोल हाईवेज(इंडिया) प्रा0लिमि0 महु द्वारा किया जा रहा है। उक्त ठेकेदार द्वारा ग्राम भादूगांव तह0रहटगांव में मुरुम/मिट्टी के परिवहन अनुज्ञा स्वीकृत कराया गया है। उनके अलावा अन्य ठेकेदार एवं भूमिस्वामी के द्वारा अनुमति लेकर खनिज का उत्खनन/परिवहन किया जाना पाया गया है। उपरोक्त अनुमतियों के बावजूद ग्राम भादूगांव में अवैध उत्खनन की शिकायतें प्राप्त होती हैं।

अतः ग्राम भादूगांव तह.रहटगांव में खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु सतत निगरानी रखे एवं अवैध उत्खनन/परिवहन पाये जाने की रिश्ति में सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करे।

(कलेक्टर महो0द्वारा आदेशित)


अपर कलेक्टर,
जिला हरदा (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा(म.प्र.)

क्रमांक / 560/ खनिज / परि.अनु. / 2023-24

हरदा, दिनांक 9/6/2023

:: संशोधित आदेश ::

प्रति,

प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड
टोल हाईवेज (इंडिया) प्रा.लिमि.,
76, माल रोड महु,
जिला- इंदौर(म.प्र.)

विषय- ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-259/81, 259/2 का कुल रकबा 3.184 हे0 क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी को परिवहन करने बावत।

- संदर्भ-**
1. आपका आवेदन दिनांक 20.03.2023
 2. नायब तहसीलदार, रहटगांव का पत्र क्रमांक-459/प्रवा./ना.तह./2023/रहटगांव दिनांक 27.04.2023
 3. प्र.खनि निरीक्षक, हरदा का प्रतिवेदन दिनांक 01.05.2023
 4. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-416, दिनांक 02.05.2023

--000--

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आपके आवेदन पत्र के तारतम्य में लेख है कि, ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि (जितेन्द्र कुमार आ.पन्नालाल एवं शिवकुमार आ.पन्नालाल) खसरा नं.-259/81, 259/2 का कुल रकबा 3.184 हे0 क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,60,000 घ.मी. को शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने का लेख है।

नायब तहसीलदार, रहटगांव (हल्का पटवारी प्रतिवेदन सहित) का प्रतिवेदन दिनांक 27.04.2023 में उल्लेख है, कि ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा का खसरा नं. -259/81, रकबा 1.592 हे.क्षेत्र जितेन्द्र कुमार आ.पन्नालाल के नाम से दर्ज है, जिसमें रकबा 1.000 हे.क्षेत्र भूमि उबड़-खाबड़ टीलेनुमा है। 259/2. रकबा 1.592 हे. क्षेत्र शिवकुमार आ. पन्नालाल के नाम दर्ज है, जिसमें रकबा 1.000 हे.भूमि उबड़-खाबड़ टीलेनुमा है खसरा नं. -259/81, 259/2 का कुल रकबा 3.184 हे0 में से 2.000 हे.क्षेत्र भूमि उबड़-खाबड़ व टीलेनुमा है। उक्तरोक्त दोनों खसरों के पूर्व दिशा में किनारे से गंजाल नदी लगी हुई है।

प्र.खनि निरीक्षक, हरदा के प्रतिवेदन दिनांक 01.05.2023 में उल्लेख किया गया है, कि आवेदित भूमि ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-259/81, 259/2 का कुल रकबा 3.184 हे0 क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,60,000 घ.मी. का परिवहन करने चाहते हैं, खसरा नं.-259/81, 259/2 का कुल रकबा 3.184 हे0 में से 2.000 हे.क्षेत्र भूमि उबड़-खाबड़ व टीलेनुमा है। उपरोक्त खसरों के पूर्व दिशा में किनारे से गंजाल नदी लगी है, जिससे 100 मीटर दूरी छोड़ने के उपरांत बाकी बची जगह को ही समतल किया जावे। मौके पर वर्तमान में समतलीकरण पश्चात् लगभग मात्रा 1,00,000 घ.मी. खनिज निकलने का अनुमान है, जिसको हरदा से टेमागांव फोर लेन निर्माण कार्य हेतु परिवहन किये जाने हेतु म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(3)(6) के तहत परिवहन अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा की गई है।


अतः उपरोक्त कार्यालयीन आदेश क्रमांक-416, दिनांक 02.05.2023 से परिवहन अनुज्ञा अवधि दिनांक 02.05.2023 से दिनांक 01.07.2023 तक अनुमति प्रदान की गई थी, उक्त आदेश को संशोधित करते हुये आपके पक्ष में ग्राम भादूगांव तह0 रहटगांव जिला हरदा की निजी भूमि खसरा नं.-259/81, 259/2 का कुल रकबा 3.184 हे0 में से 2.000 हे क्षेत्र पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतलीकरण उपरांत निकले खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 1,00,000 घ.मी. को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत तथा रॉयल्टी की छूट नियम 68(3) के प्रदत्त होने से परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन परिपत्र आदेश दिनांक 02/05/2023 से दिनांक 25/06/2023 तक निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

1- अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही-सही लेखा रखेगा।

निरन्तर.....2

आर्डर परमिट

- 2-अनुज्ञापत्रधारी में दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उठाये/परिवहन किये खनिज का निरीक्षण करने के लिए लेखाओं को सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा।
- 3-अनुज्ञापत्रधारी खनिज का परिवहन कार्य आदेश अवधि तक ही करेगा।
- 4-स्वीकृत परिवहन अनुज्ञा का उपयोग केवल शासकीय फोरलेन निर्माण कार्य में ही उपयोग करेगा, अन्य वाणिज्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।
- 5-वाहन के प्रत्येक फेरे के लिये एक नई वैध ई.टी.पी. के साथ खनिज का परिवहन करेगा। बगैर वैध ई.टी.पी. के खनिज परिवहन नहीं करेगा।
- 6-यह कि स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर परिवहन अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जावेगी।
- 7-समस्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों एवं शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8-यह कि उपरोक्त स्वीकृत स्थल के संबंध में कोई शिकायत या विवाद की स्थिति में तथा अन्य स्थानों पर खनिज बिक्री करने संबंधी शिकायत आने पर आपकी अनुज्ञा तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
- 9.स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा जारी समय-समय पर समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- 10.अनुज्ञा क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी अनुज्ञाधारी द्वारा विभाग को देना होगी।


अपर कलेक्टर,
जिला-हरदा(म.प्र.)

पृ.क्रमांक / 561 / खनिज / परि.अनु. / 2023-24
प्रतिलिपि :-

हरदा, दिनांक 09/06/2023

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार, तहसील-रहटगांव की ओर सूचनार्थ।
- 3- खनि निरीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।


अपर कलेक्टर,
जिला-हरदा(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा (म.प्र.)

क्रमांक / 589 / खनिज / 2023-24
प्रति,

हरदा, दिनांक 15 / 06 / 2023

वन मंडलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल,
जिला-हरदा(म.प्र.)

विषय:- ग्राम भादूगांव तह.रहटगांव में Flora and Fauna की जानकारी प्रदाय करने बावत ।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक-28 / 2023 आदेश दिनांक 21.04.2023

-000-

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक-28 / 2023 (राजेश यादव विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 21.04.2023 में निर्माणाधीन फोरलेन सड़क हेतु ग्राम भादूगांव तह. रहटगांव गंजाल नदी के किनारे Mud/gravel soil and others minreals उत्खनन किये जाने से Flora and Fauna को नुकसान होने का लेख किया गया है ।

अतः ग्राम भादूगांव तह.रहटगांव में गंजाल नदी के किनारे Flora and Fauna की सतत् निगरानी करे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी का प्रेमासिक प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

पृ.क्रमांक / 590 / खनिज / 2023-24
प्रतिलिपि :-

कलेक्टर,
जिला हरदा (म.प्र.)
हरदा, दिनांक 15 / 06 / 2023

1. अनुविभागीय अधिकारी(रा.), टिमरनी कि ओर सूचनार्थ एवं सतत् निगरानी हेतु पालनार्थ ।
2. खनि अधिकारी, जिला हरदा की ओर सूचनार्थ एवं सतत् निगरानी हेतु पालनार्थ ।

कलेक्टर,
जिला हरदा (म.प्र.)